

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. ई-1-153-2023-5-एक.—श्री सतेन्द्र सिंह, भाप्रसे (2009), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2023

क्र. ई-5-576-आयएस-लीव-5-एक.—डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ विभाग (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास

संस्थान, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2023 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 30 सितम्बर 2023 एवं दिनांक 01, 02 अक्टूबर 2023 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ विभाग (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

7697

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2023

क्र. ई-1-162-2023-5-एक.—श्री शोभित जैन, भाप्रसे (2000), सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2023

क्र. ई-5-609-आयएएस-लीव-5-1.—श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), सचिव, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 24 से 28 जुलाई 2023 तक कुल पाँच दिन तथा दिनांक 8 से 16 अगस्त 2023 तक कुल नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पर पर कार्य करती रहती।

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2023

क्र. ई-1-139-2023-5-एक.—श्री प्रताप नारायण यादव, भाप्रसे (2016), विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 90-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पु. मु., भोपाल को निम्नलिखित अवधियों के अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (1) दिनांक 13 जुलाई 2023 से 14 जुलाई 2023 तक, दो दिवस लघुकृत अवकाश।
- (2) दिनांक 18 जुलाई 2023 से 1 अगस्त 2023 तक, पन्द्रह दिवस लघुकृत अवकाश।
- (3) दिनांक 14 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक, तीस दिवस लघुकृत अवकाश।
- (4) दिनांक 13 सितम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक उनपचास दिवस संतान पालन अवकाश।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहती।

क्र. एफ 1 (ए) 87-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु. भोपाल को गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 31 अगस्त 2023 से 22 सितम्बर 2023 तक तेईस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर बैंगलूरू (कर्नाटक) की यात्रा पर जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहती।

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 25-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (का. ब्यव एवं सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 से 31 अगस्त 2023 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक (का. ब्यव एवं सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2023

फा. क्र. 4592-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री प्रकाश कुमार उईके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दमोह के पद से त्याग-पत्र दिनांक 21 जुलाई 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 26/27 सितम्बर 2023

पंजी. क्र. 4820-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आशीष ताम्रकार, छठवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा की सेवाएं रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, जबलपुर के पर पद उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक, उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की अवधि के लिए, एतद्द्वारा, प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2023

क्र. 2354-1576647-2023-बयालीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री लालाराम मीना पिता स्व. श्री रामसिंह मीना, निवासी-अंबेडकर कॉलोनी, ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए "मध्यप्रदेश जय मीनेष कल्याण बोर्ड" का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

क्र. 2358-1576675-2023-बयालीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री दुर्गेश सोनी पिता स्व. श्री शंकरलाल जी सोनी, निवासी वार्ड क्रमांक 13, हनुमान चौक, रेहटी, जिला सीहोर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिए "मध्यप्रदेश स्वर्णकला बोर्ड" का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

क्र. 2356-1576675-2023-बयालीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्न अशासकीय व्यक्तियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिए "मध्यप्रदेश स्वर्णकला बोर्ड" का सदस्य नियुक्त किया जाता है :-

1. श्री कमल कुमार सोनी पिता श्री रामकृपाल सोनी, निवासी-तरहटी, चित्रगुप्त मंदिर के पीछे, जिला-रीवा.

2. श्री भोलेशंकर सोनी पिता स्व. श्री गयाप्रसाद सोनी, निवासी-454/2, त्रिमूर्ति नगर, दमोह नाका, जिला-जबलपुर.

3. श्री कमलेश सोनी पिता श्री द्वारका प्रसाद सोनी, निवासी-लक्ष्मीनारायण मंदिर के पीछे, चकराघाट, जिला-सागर.

4. श्री अजय कुमार सोनी पिता श्री रामलालजी सोनी, निवासी-गली नंबर-3, जर्मींदार कॉलोनी, रामटेकरी, जिला-मंडसौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्र. एफ-HOR-03-02-01-23-58.—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन जारी बीज नियंत्रण आदेश, 1983 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 05 जनवरी, 2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-6-3-2006-58 दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक (2) में शब्द "तीन (3) वर्षों" के स्थान पर, शब्द "पांच (5) वर्ष" स्थापित किए जाये।

Bhopal, Dated 29th September, 2023

No. F-HOR-03-02-01-23-58.—In exercise of the powers conferred by the Seed Control Order 1983 issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 6-3-2006-58 dated 19th December, 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 5th January, 2007, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in serial (2), for the words "three (3) years", the words "five (5) years" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2023

क्र. यूडीएच-3-0180-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि. क. अ. सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-3001-टी सी-34-इंदौर-उपां-नगानि-2023 भोपाल, दिनांक 22 जून 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

क्रमांक	ग्राम/तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गाडराखेड़ी तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर.	218/1/1	1.2090	वर्तमान आवासीय वर्तमान मार्ग (30 मीटर) एवं प्रस्तावित मार्ग (24.00 मीटर).	
		219/1	0.1470	वर्तमान आवासीय	मिश्रित एवं
		217/1/1	0.4812	वर्तमान आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग (18.00 मीटर).	मार्ग
		217/2	0.0240	वर्तमान आवासीय	
		218/1/2	0.4580	वर्तमान आवासीय	
			योग . .	कुल रकबा 2.3192 हेक्टेयर	

नोट —

1. आवेदित स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित वर्तमान मार्ग की चौड़ाई इंदौर विकास योजना, 2021 में 30.00 मीटर निर्दिष्ट है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि छोड़ना आवश्यक होगा.
2. ग्राम गाडराखेड़ी की आवेदित भूमि खसरा क्रमांक 218/1/1 में इंदौर विकास योजना, 2021 में 24.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग है. अतः प्रस्तावित मार्ग की भूमि छोड़ना आवश्यक होगा.
3. आवेदित भूमि में से एवं उत्तर दिशा से लगकर इंदौर विकास योजना, 2021 में 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग है. अतः प्रस्तावित मार्ग की भूमि छोड़ना आवश्यक होगा.

शर्तें —

1. मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी.
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं इंदौर विकास योजना, 2021 के प्रावधानानुसार लागू होंगे.
3. आवेदित स्थल के पूर्व एवं दक्षिण सीमा से लगकर नाला है अतः नाले के किनारे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रश्नाधीन भूमि जल विकास/जल स्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9.00 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा.
4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.
5. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्र. यूडीएच-3-150-2023-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-150-2023-अठारह-5, दिनांक 16 अगस्त 2023 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-23 क (1) (क) के अधीन रीवा विकास योजना, 2021 में पुनर्धनत्वीकरण योजना अंतर्गत वाणिज्यिक उपांतरण के संबंध में जारी सूचना जिसका मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र के भाग-1 में दिनांक 18 अगस्त 2023 को प्रकाशन हुआ है. उक्त सूचना में खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर के स्थान पर टंकण त्रुटिवश खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 2.7180 हेक्टेयर हुआ है. अतः उक्त सूचना के खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 2.7180 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. यूडीएच-3-0127-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि. क. अ. आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-1147-टी सी-118-बैतूल-उपां-नगानि-2022, दिनांक 3 मार्च 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बैतूल विकास योजना 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	ग्राम हनोत्या तहसील एवं जिला बैतूल.	129/3 129/7 129/8	1.4160 0.6000 0.0370	कृषि, वर्तमान वाणिज्यिक, आमोद-प्रमोद (वृक्षारोपण) एवं मार्ग.	आवासीय आमोद-प्रमोद (वृक्षारोपण) एवं मार्ग.

कुल रकबा 2.0530

नोट —

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग की चौड़ाई बैतूल विकास योजना, 2035 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार रखना तथा मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
2. प्रश्नाधीन भूमि पर विद्यमान नाले को यथावत रखते हुए नाले के दोनों ओर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 में निहित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 9.00 मीटर खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा.
3. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग से भूमि पहुँच हेतु मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई नियोजन की दृष्टि से 12.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा.
4. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रुपये 39,52,025/- मात्र (उनचालीस लाख बावन हजार पच्चीस रुपये) दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2) के क्रमांक-051/9999999/0217/10/23/000030 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है.
5. उपरोक्त उपांतरण बैतूल विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षल पंचोली, उपसचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्र. एफ SNT-9-00015-2023-इकतालीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सुपर कॉरिडोर, इन्दौर में मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड को विभागीय आदेश क्र. एफ 7-2-2011-56 दिनांक 3 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 100 एकड़ एवं दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 30 एकड़ भूमि, इस प्रकार कुल आवंटित 130 एकड़ भूमि में से 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन को समर्पित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:—

1. मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के द्वारा 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश को समर्पित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार्य किया जाता है और मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड द्वारा समर्पित 50 एकड़ भूमि के एवज में 50% भू-प्रब्याजी (रुपये 10 लाख प्रति एकड़) वापस की जावे.
2. मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के नए प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय चरण में वर्ष 2027 तक राशि रुपये 200 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा तथा तृतीय चरण में वर्ष 2034 तक राशि रुपये 150 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 अतिरिक्त नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा. शासन द्वारा मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है और लीज डीड की शर्तों में तदानुसार संशोधन करते हुए एक अनुपूरक लीज डीड निष्पादित की जावे.
3. राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एम.पी.एस.ई.डी.सी.) को उक्त के संबंध में समस्त अनुषांगिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जाता है.
4. यह आदेश मंत्रि-परिषद् के आयटम क्रमांक 46 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है.

क्र. एफ 1-1-2022-इकतालीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार “मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 (Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy, 2023)” जारी करता है.

2. मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 के अंतर्गत इकाईयों को देय अनुदान राशि योजना क्रमांक 7608 “सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन” से विकलनीय होगा.

3. यह आदेश मंत्रिपरिषद् के आयटम क्रमांक 30 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आदित्य सिंह, उपसचिव.

परिशिष्ट-अ



Government of Madhya Pradesh

**Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment
Promotion Policy 2023**

Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh

Contents

1.	VISION	
2.	OBJECTIVES.....	
3.	TARGET.....	
4.	STRATEGY	
5.	SCOPE OF THIS POLICY	
6.	POLICY VALIDITY.....	
7.	ELIGIBILITY.....	
8.	POLICY FACILITATION.....	
8.1	Single Window Clearance system:.....	
8.2	MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries:.....	
8.3	Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP):	
8.4	Investment Advisory committee:	
9.	ASSISTANCES/ INCENTIVES (IT/ITeS).....	
9.1	Assistance for IT/ITeS units	
9.1.1	Capital Assistance Model	
9.1.1.1	CAPEX Assistance:	
9.1.1.2	Interest Assistance:.....	
9.1.2	Rental Assistance Model	
9.1.2.1	Rental Assistance:	
9.1.2.2	Employment Generation Assistance:.....	
9.1.3	Additional Assurances.....	
9.1.3.1	Marketing Assistance:.....	
9.1.3.2	Quality Certification Assistance:	
9.1.3.3	Assistance for filing Patents:	
9.1.3.4	Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges:.....	
9.1.4	Non-Fiscal Assurances.....	
9.2	CAPEX Assistance for IT/ITeS Developers	
10.	ASSISTANCES/INCENTIVES (ESDM)	
10.1	Assistance for ESDM Units	
10.1.1	CAPEX Assistance	
10.1.2	Interest Assistance	
10.1.3	Marketing Assistance	
10.1.4	Assistance for Testing & Calibration & Certification	
10.1.5	Assistance for filing of Patents.....	
10.1.6	Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges.....	
10.1.7	Power Tariff Rebate	
10.1.8	Non-fiscal assistance	
10.2	CAPEX Assistance for ESDM Developers.....	

(JAGANNATH BALODI
 OFFICER on Special Duty
 Director of Madhya Pradesh
 e Tech

11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES.....
 - 11.1 CAPEX Assistance
 - 11.2 Power Tariff Reimbursement
 - 11.3 Electricity Duty Reimbursement
 - 11.4 Transmission and Wheeling Charges Reimbursement
 - 11.5 Dual Power Grid availability
 - 11.6 Renewable Energy under Open Access System
 - 11.7 Assistance for filing of Patents
 - 11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges.....
 - 11.9 Quality Certification Assistance
 - 11.10 Non-Fiscal Measures to Data Centres.....
12. LAND RELATED BENEFITS
- 12.1 Land Allotment.....
- 12.2 Applicability of Land related benefits
- 12.3 Rebate in Cost of Land
- 12.4 Lease rent.....
- 12.5 Term of lease.....
- 12.6 Procedure for allotment of land.....
- 12.7 Floor Area Ratio (FAR)
- 12.8 Sub-lease
- 12.9 Change in Purpose.....
- 12.10 Mortgage
- 12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities.....
13. IT INVESTMENT AREA.....
14. MEGA PROJECTS.....
15. EXPANSION & DIVERSIFICATION
16. APPEAL
17. GENERAL CONDITIONS.....
18. ABBREVIATIONS:

Madhya Pradesh aims to attract investments in Information Technology (IT), Information Technology Enabled Services (ITeS), Data Centre and Electronics System Design & Manufacturing (ESDM) and the emerging niche sectors within this domain, promote innovation and entrepreneurship and create employment opportunities in this sector.

1. VISION

To make the state a leading hub for IT/ITeS/ESDM industry by attracting investments in the sector and generating employment opportunities through a conducive ecosystem and robust infrastructure for IT/ITeS, ESDM and allied sectors.

2. OBJECTIVES

- i. To increase the flow of investments in Madhya Pradesh in IT, ITeS & ESDM sectors.
- ii. To create direct and indirect employment opportunities for the youth in IT/ITeS/ESDM sectors.
- iii. To encourage investments by creating ready to use IT/ITeS workspaces, plug & play infrastructure and promote the use of co-working spaces.
- iv. To encourage the development of the IT/ITeS sector in semi-urban towns and rural areas to increase employment opportunities in such areas.
- v. To ensure availability of land parcels at reasonable rates for the use of IT, ITeS & ESDM units.
- vi. To enable the creation of skilled IT/ITeS and ESDM manpower.
- vii. Promotion of R&D and innovation activities.
- viii. To promote Micro, Small Medium Enterprises (MSME) and Start-ups as the growth engines of the economy.

3. TARGET

The policy targets to achieve the following in next 5 years:

- i. To create 2 lakh new jobs in IT /ITeS/ESDM sector in MP.
- ii. To attract ₹ 10,000 crores investment in IT /ITeS/ESDM sector.
- iii. Creation of 10 million Sq.Ft. State of the art IT Parks, Buildings, Plug & Play Spaces/Sheds across the State for IT/ITeS/ESDM sectors.

4. STRATEGY

- i. Promote the development of IT/ITeS/ESDM parks and other supporting infrastructure for attracting more and more investments. Support to private developers for creating co-working spaces, Plug & Play Parks for establishing state-of-the-art infrastructure for IT industry.
- ii. Facilitate the entities by streamlining the procedures, end-to-end investment facilitation, investor handholding and enhancing the overall experience of doing business in the state.
- iii. Facilitate industries by upskilling and providing industry ready workforce.

(JAGANNATH BALODIA)
Officer on Special Duty

- iv. Promote transparent mechanism through online system for claiming assistances and benefits.

5. SCOPE OF THIS POLICY

Information Technology (IT), Electronic System Design and Manufacturing (ESDM), Data Centres, Information Technology Enabled Services (ITeS), Business Process Outsourcing (BPO), Business Process Management (BPM), IT/ITeS and ESDM infrastructure developers etc. and investments in allied activities coming in territory of Madhya Pradesh will qualify for the benefits under this Policy.

'IT/ITeS' IT includes development, production and services pertaining to software and applications. ITeS are construed as any service, which results from the use of any IT software over a system of IT products for realising the value addition service rendering through the application of IT and may include the following:

- a) Call centres
- b) Medical transcriptions
- c) Back-office operation/Business Process Outsourcing (BPO)
- d) Knowledge Process Outsourcing (KPO)
- e) Business Process Management (BPM)
- f) Web aggregators
- g) Bioinformatics
- h) IT-enabled banking
- i) Depository, security registration and dematerialisation services
- j) GIS-enabled services
- k) IT support centres
- l) Website services
- m) AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming and Comic)
- n) Emerging Technologies, such as Cyber Security, Big Data, Artificial Intelligence, Block chain, Machine Learning

Or other related fields as decided by nodal agency from time to time. This does not include companies engaged in manufacturing of hardware related to IT, IOT, telecom and fields as mentioned above.

'ESDM' Industry constitutes of units engaged in following businesses-

1. Manufacturing of electronic products such as telecom systems/ mobiles/ IT systems and hardware/ consumer electronics/ medical electronics/ avionics/ industrial electronics/ defence and strategic electronics/ automotive electronics/ information and broadcasting equipment(s).
2. Manufacturing of PCB's/ semiconductors chip components/ ICs/ components/parts etc.
3. Electronic Manufacturing Services (EMS)
4. Scrapping of E-waste or related
5. IOT / IT Hardware design, prototyping and manufacturing.
6. Any other electronics vertical/ products covered by the National Policy on Electronics (NPE) or any other policies, issued by the Government of India from time to time.

'Data Centre' means a facility that centralises computing and network equipment to collect, store, process and disseminate a large amount of data and applications.

6. POLICY VALIDITY

This Policy shall remain in force with effect from notification of the policy for a period of 5 years or till a new policy comes into force whichever is earlier.

7. ELIGIBILITY

IT, ITeS, ESDM, Data Centre Units and Infrastructure Developers will register themselves with the nodal agency for claiming benefits/assistances under this policy. Nodal agency will issue registration certificate to the eligible units.

8. POLICY FACILITATION

8.1 Single Window Clearance system:

For this policy, Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd. (MPSeDC) will act as a nodal agency for undertaking the formalities related to Project Clearance & Facilitation. MPSeDC would work in close coordination with Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd. (MPIDC) for this purpose to make use of Single Window mechanism for all financial assistance, required/necessary permissions, approvals, applications and any other related processes.

8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries:

Under Madhya Pradesh Udyogon Ki Sthapana Evam Parichalan ka Saralakaran Adhiniyam – 2023 Industrial units coming in the state will be exempted from obtaining specified approvals and inspections for establishing and operationalising units in M.P.

8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP):

An enhanced tailor-made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP) on case-to-case basis, if required.

- a) CCIP constitutes, Chief Minister as its Chairman and Ministers of Finance, Commercial Taxes, Department of Science & Technology and Department of Industrial Policy and Investment Promotion and others as members. The CCIP is fully empowered to sanction a customized package of assistance beyond what has been explicitly provided in this policy. Such packages shall be available only to Mega Projects and Data Centres as defined under this policy.
- b) M.P. Industrial Development Corporation Ltd. will act as the Secretariat for CCIP cases.
- c) The CCIP cases will be dealt as per the rules and procedures described in the order dated 31.01.2013 and any other order issued in this regard from time to time by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.

8.4 Investment Advisory committee:

An investment advisory committee constituting senior officials of Government of Madhya Pradesh, Industry Experts, and Industrialists etc. will be formed under the Department of

Science & Technology, Government of Madhya Pradesh, to advise and guide the Department on industry trends, requirements and policy advocacy matters. Principal Secretary/Secretary, Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh will be the Chairman of this Committee and Head of the nodal agency will be the Member Secretary of this committee. Members of this committee can be increased or decreased with the approval of the Chairman of the committee.

9. ASSISTANCES/ INCENTIVES (IT/ITeS)

9.1 Assistance for IT/ITeS units

9.1.1 Capital Assistance Model

The units which undertake the construction of building(s) on private land or land leased from the government/government agencies/development authorities and start their operations in IT/ITeS sector will only be eligible to take benefits under Capital Assistance Model.

9.1.1.1 CAPEX Assistance:

- i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 25% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI). Additional assistance of 2% for unit/s set up by women entrepreneur(s).
- ii. CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:
 - a. For GFCI up to ₹10 crores – in 4 years
 - b. For GFCI >₹10 crores up to ₹50 crores – in 5 years
 - c. For GFCI >₹50 crores – in 7 years
- iii. The maximum CAPEX assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be ₹ 30 Crores.
- iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at:
 - a. ₹ 2,000/Sq.Ft. or actual whichever is lower of the built-up area, for creation of bare shell infrastructure.
 - b. ₹ 3,000/Sq.Ft. or actual whichever is lower of the built-up area, for furnished/plug & play spaces.
- v. The assistance instalments shall be disbursed, subject to continuation of services in eligible sectors.
- vi. CAPEX assistance on the building construction/development undertaken on land will be subject to a maximum of 80% of the total built-up area constructed/developed for core activities (commercial and non-IT activities excluded).
- vii. CAPEX Assistance will be available only if unit constructs minimum 10,000 Sq.Ft. of total built-up area, except where land is allotted by Nodal Agency.

(JAGANNATH BALODIA)

- viii. Gross Fixed Capital Investment (GFCI) here means, an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz. computer hardware, software, imported/indigenous/other machinery), electrical installations, office equipment, expenditure on transportation of machinery, furniture & fittings, building construction, all civil works, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units, site development, landscaping, vehicles).

9.1.1.2 Interest Assistance:

- Interest assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI.
- The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 5 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance). The assistance under this section can be given for five (5) years from the date of payment of first instalment of loan. However, disbursement will start only after the start of commercial operations.
- Term loan means loan sanctioned by financial institutions/banks, acquired by the unit for creation of fixed assets, excluding working capital term loan and CC/OD limits.

9.1.2 Rental Assistance Model

- IT/ITeS units which have taken bare shell spaces or plug & play spaces on rental basis will be eligible for rental assistance and Employment Generation Assistance under this model.
- IT/ITeS units which have taken bare shell or plug & play spaces leased by nodal agency on concessional monthly rentals will not be eligible to take rental assistance under this model.
- IT/ITeS units which have purchased any pre-constructed building or own any building will be eligible for Employment Generation Assistance under this model.

9.1.2.1 Rental Assistance:

- The eligible units can claim assistance on rental space as follows:

District Category	Co-working Rental Assistance (per seat per month (maximum up to))	Total Ceiling	Rental Assistance (per seat per month)	Total Ceiling
A	₹ 3000	₹10 Crores	₹ 1000	₹ 3 CR
B	₹ 1500	₹ 5 Crores	₹ 500	₹ 1.5 CR

- Category A districts: Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Ujjain

ANNAL PR BALODI
Special Duty
of Madhya P.
Page & T

- b) Category B districts: Sagar, Chhindwara, Satna, Raisen, Vidisha, Dhar, Dewas.
- c) CCIP can add, delete and modify districts in Category B.
- ii. This assistance will be provided for 3 years from the month of start of commercial operations.
- iii. Minimum carpet area rented on monthly basis should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance.
- iv. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance.
- v. In addition to above following are the conditions:

For Rental Assistance:

- a) Rental assistance will be on the basis of employees working in single shift. In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base.
- b) The assistance will be calculated on the basis of each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in case of BPO unit(s) and 60 square feet of carpet area in case of IT/ITeS unit(s) (other than BPO).
- c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month.

For Co-Working Rental Assistance: The co-working space with a minimum capacity of 50 seats would be required to be registered with the nodal agency.

- a) The unit will be eligible to apply for rental assistance provided it has taken minimum 20 seats in the co-working space and it should be occupied for a minimum period of 3 months.
- b) Actual rental per seat per month to the maximum ceiling given in the above table. In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base.
- c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month.

9.1.2.2 Employment Generation Assistance:

- i. Employees appointed in the period of first three (3) years from the date of start of commercial operations, whose employers' contribution towards EPF is deposited, will be eligible to receive assistance as follows:

Number of employees	Assistance (per employee per month)
Up to 1000	₹ 4000

(JAGANNATH BALODIA
Officer on Special Duty)

1000-1500	₹ 4500 for >1000 employees
1500-2000	₹ 5000 for >1500 employees
Up to 200 employees in Rural BPOs	₹ 5000

**Rural areas are those areas which are outside the limits / planning area of any municipal corporation or any municipality*

- ii. The assistance period will be for maximum 3 years and up to a maximum support of ₹ 15 crores with no annual ceiling.
- iii. Assistance will be claimed on employment of a minimum annual average of 20 employees and up to a maximum of 2,000 employees.
- iv. The provision of assistance will be applicable upon each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in the case of BPO unit(s) and 60 square feet of carpet area in the case of IT/ITeS unit(s) other than BPO.
- v. Employee count is to be calculated for the employees (excluding work from home) whose EPF has been deposited by the company for a minimum of six months in any financial year and on a pro-rata basis. Employee count will be calculated only on single shift basis.
- vi. Minimum carpet area on rent or of the preconstructed space/Owned space should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance.
- vii. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance.

9.1.3 Additional Assistances

9.1.3.1 Marketing Assistance:

- i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National/International Exhibitions/Events etc. subject to a maximum limit of ₹ 2 Lakh for international and ₹ 1 Lakh for national events.
- ii. This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations.

9.1.3.2 Quality Certification Assistance:

The eligible unit shall be entitled to receive 50% of the cost of Quality certification, with a maximum ceiling of ₹ 6 lakhs. This assistance can be availed only once, for a single type/kind of certification.

9.1.3.3 Assistance for filing Patents:

To promote Research and Development activities in the state, assistance for acquiring patents, subject to a limit of ₹ 5 lakhs per patent for domestic patents and ₹ 10 lakhs for international patents, or actual cost incurred, whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit or its employees.

9.1.3.4 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges:

100% reimbursement of stamp duty and registration charges to an eligible unit on the lease executed for a plot in industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations.

9.1.4 Non-Fiscal Assurances

The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the eligible units:

- i. Exemptions under Shops and Establishments Act:
 - a. Establishments of IT sector are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
 - b. Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women workers' security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
- ii. Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop floor during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act 1948 and as per the notification issued.
- iii. The IT units are considered independent employers in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers are classified separately and their wages can be fixed as per their efficiency and skill level.
- iv. Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the Labour department dated 24/06/2016.
- v. Exemption for IT/ITeS Industry from inspections under the below specified Acts and rules framed there under, barring inspections arising out of specific complaints. Under this provision, units shall be eligible for inspection only once every 5 years under the following acts:
 - a. Minimum Wages Act, 1948
 - b. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
 - c. MP Shop & Establishment Act, 1958
 - d. Payment of Bonus Act, 1965
 - e. Equal Remuneration Act, 1976
 - f. Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
 - g. Building and Construction Cess Act, 1996
 - h. Maternity Benefit Act, 1961
 - i. Payment of Gratuity Act, 1972

9.2 CAPEX Assistance for IT/ITeS Developers

State Government will incentivize the private developers/consortium of developers through a CAPEX Assistance for development of IT/ITeS office spaces on co-working/ plug & play model / ready to move-in / bare shell spaces (on government or private land). This will promote creation of modern infrastructure to support IT/ITeS sector, reduce timeframe for grounding of investments and promote employment in the sector. Such developer/consortium of developers shall have to register themselves with the nodal agency for claiming assistance under this model.

- i. All eligible developers will be eligible for CAPEX assistance as follows:
 - a. 25% capital assistance on GFCI in 5 years
 - 1) With a minimum 2 Lakh Sq.Ft. built up
 - 2) Maximum ceiling of ₹ 25 Cr at a single location
 - 3) Capex support (of 25%) will be given to first 5 IT/ITES parks in any Category A city
 - b. 15% capital assistance on GFCI in 5 years
 - 1) In city planning area of Category A districts: Minimum 50,000 Sq.Ft. saleable/leasable built-up area in case of private land and 25,000 Sq.Ft. saleable/leasable built-up area in case of development on Government land.
 - 2) In city planning area of Category B districts: Minimum 25,000 Sq.Ft. saleable/leasable built-up area.
 - 3) Maximum ceiling of ₹ 10 Cr at a single location.
- ii. Building permission and ground breaking to be done within one year from the date of in-principle approval accorded by the nodal agency.
- iii. IT / ITeS Spaces means area / site newly developed/constructed which provides ready to use office spaces/plug and play spaces on lease / sale basis to IT / ITeS units.
- iv. Of the total built-up area, 80% of the saleable/leasable built-up area must be allocated to IT / ITeS units and remaining 20% built-up area may be utilized for any other activities.
- v. Expenditure incurred towards the development of new building shall be capped at, for plug and play spaces ₹ 3,000/Sq.Ft. and bare shell spaces ₹ 2,000/Sq.Ft. or actual whichever is lower, of the built-up area.
- vi. Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy.
 - I Instalment – 50% construction and 20% occupancy of IT/ITeS units
 - II Instalment – 70% construction and 40% occupancy of IT/ITeS units
 - III Instalment – 90% construction and 60% occupancy of IT/ITeS units

- IV Instalment – 100% construction with minimum 60% occupancy of IT/ITeS units
- V Instalment – 80% occupancy of IT/ITeS
- vii. Sale / lease will be given only to IT / ITeS units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology.
- viii. IT / ITeS units occupying office spaces within such facilities can only claim support under Rental Assistance Model and additional assistances except reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges.
- ix. The developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development agencies of Govt. of M.P.
- x. Government will facilitate in getting permissions and clearances from various departments for setting up the IT/ITeS Spaces.
- xi. Gross Fixed Capital Investment (GFCI) here may include:
- For Bare Shell infrastructure: investment made by the developer towards building construction, electrical installations, fittings, all civil works, expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units, landscaping, interior works etc.).
- For Plug & Play (ready to move-in) infrastructure: investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations, furniture & fittings, all civil works, expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units, landscaping etc.).

10. ASSISTANCES/INCENTIVES (ESDM)

10.1 Assistance for ESDM Units

The unit(s) operating in ESDM sector including standalone R&D, Testing and Design labs in M.P. will be eligible to claim CAPEX Assistance.

10.1.1 CAPEX Assistance

- i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 40% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI). Additional assistance of 2% for unit/s set up by women entrepreneur(s).
- ii. CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:
 - a. For GFCI up to ₹ 10 crores – in 4 years
 - b. For GFCI > ₹ 10 crores up to ₹ 50 crores – in 5 years
 - c. For GFCI > ₹ 50 crores – in 7 years

- iii. The maximum assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be ₹ 150 Crores.
- iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at ₹ 2,000/Sq.Ft. or actual, whichever is lower of the built-up area.
- v. The assistance instalments shall be disbursed, subject to the continuation of production/rendering services in eligible sectors.
- vi. CAPEX assistance on the building construction/development undertaken on land will be subject to a maximum of 80% of the total built-up area constructed/developed for core activities (commercial and non-ESDM activities excluded).
- vii. Gross Fixed Capital Investment (GFCI) here means, an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz. imported/indigenous/other machinery), electrical installations, office equipment, expenditure on transportation of machinery, furniture & fittings, building & shed construction, all civil works, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant, expenditure on R&D (excluding investment made in land and dwelling units, site development, landscaping, vehicles). Expenditure made on imported second-hand machinery and expenditure on transportation of such machinery shall be considered eligible in GFCI.

10.1.2 Interest Assistance

- i. Interest assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI.
- ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 10 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance). The assistance under this section can be given for five (5) years from the date of payment of first instalment of loan. However, disbursement will start only after the start of commercial operations.
- iii. Term loan means loan sanctioned by financial institutions/banks, acquired by the unit for creation of fixed assets, excluding working capital term loan and CC/OD limits.

10.1.3 Marketing Assistance

- i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National/International Exhibitions/Events etc. subject to a maximum limit of ₹ 2 Lakh for international and ₹ 1 Lakh for national events.
- ii. This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations.

10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification

The eligible unit will be able to avail this assistance (on an annual basis) in first three years. Assistance for ISO certification can be availed only once.

Eligibility

Maximum Amount

50% of the cost (For testing and calibration in labs situated in M.P.)	₹ 10 Lakhs
--	------------

25% of the cost (For testing and calibration in labs situated outside M.P.)	₹ 5 Lakh
---	----------

50% of the cost for ISO Certification	₹ 1 Lakh
---------------------------------------	----------

10.1.5 Assistance for filing of Patents

To promote Research and Development activities in the state, assistance for acquiring patents, subject to a limit of ₹ 5 lakhs per patent for domestic patents and ₹ 10 lakhs for international patents, or the actual cost incurred whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit /office in M.P.

10.1.6 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges

Eligible unit(s) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations.

10.1.7 Power Tariff Rebate

Power Tariff Rebate as defined under Aggregate Revenue requirement & retail supply tariff order issued by MP Electricity Regulatory Commission from time to time for ESDM sector.

10.1.8 Non-fiscal assistance

The following exemptions under the relevant Acts will apply to the eligible units:

- i. Exemptions under Shops and Establishments Act:
 - Establishments are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
 - Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women worker's security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
- ii. Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop-floor during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act, 1948 and as per the notification issued.
- iii. Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the labour department dated 24/06/2016.
- iv. Establishments are exempted from inspections under below specified Acts and rules framed there under, barring inspections arising out of specific complaints. Under

this provision, units shall be eligible for inspection only once in every 5 years under the following acts:

- Minimum Wages Act 1948
- Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
- MP Shop & Establishment Act, 1958
- Payment of Bonus Act, 1965
- Equal Remuneration Act, 1976
- Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
- Building and Construction Cess Act, 1996
- Maternity Benefit Act, 1961
- Payment of Gratuity Act, 1972

10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers

State Government will incentivize the developers / consortium of developers on capital expenditure incurred on development of plug & play / ready to move factory sheds/vertical factories by private developers (on government or private land). This will help in the creation of infrastructure to support Electronics manufacturing and reduce the timeframe for implementation of project.

- i. All eligible developers creating Ready Built Factory Sheds will be eligible for CAPEX assistance as follows:
 - a. In the case of Ready Built Factory Sheds without Common Facility CAPEX supports 15% of eligible GFCI capped @ ₹ 1,500 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of ₹ 5 crores at a single location.
 - b. In case of Ready Built Factory Sheds with Common Facility CAPEX support 25% of eligible GFCI capped @ ₹ 2,000 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of ₹ 25 crores at a single location.
- ii. ESDM ready-to-use factory sheds means area/site developed during the operative period of this policy which provides Ready Built Factory Sheds / plug and play spaces on lease / sale basis for ESDM units,
 - a. With a minimum 25,000 Sq.Ft. built up area without CFC
 - b. With a minimum 50,000 Sq.Ft. built up area with CFC
- iii. Building permission and ground breaking to be done within one year from the date of in-principle approval accorded by the nodal agency.
- iv. Out of the total built-up area, minimum of 80% of the saleable/leasable built-up area must be allocated to ESDM units and remaining 20% of built-up area may be utilized for any other allied activities.
- v. Disbursement of CAPEX assistance will be in 5 equal installments. Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy.

- I Instalment – 50% construction and 20% occupancy of ESDM units
- II Instalment – 70% construction and 40% occupancy of ESDM units
- III Instalment – 90% construction and 60% occupancy of ESDM units
- IV Instalment – 100% construction with minimum 60% occupancy of ESDM units
- V Instalment – 80% occupancy of ESDM units
- vi. Sale / lease will be done only for ESDM units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology by the developer.
- vii. ESDM units occupying Ready Built Factory Sheds can claim all assistances mentioned under this policy.
- viii. Developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P.
- ix. Government will facilitate in getting permissions, clearances from various departments for setting up of Ready Built Factory Sheds.
- x. Gross Fixed Capital Investment (GFCI) here may include:
1. **Ready Built Factory Sheds without Common Facility:** investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations, fittings, all civil works, expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in any machinery, land and dwelling units, landscaping etc.).
 2. **Ready Built Factory Sheds with Common Facility:** investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations, furniture & fittings, all civil works, expenditure on setting-up test labs/ calibration centre and its machinery, expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units, landscaping etc.).

11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES

Data Center Units: Assistance will be available to data centers established in the state of Madhya Pradesh in Category A districts with more than 5MW capacity in a centralized location. Data Centre must propose to bring in active IT components of data centre and co-hosting; merely cooling and providing other data centres facilities etc. does not qualify for claiming assistance.

Edge Data Centers: Benefits will also be applicable on edge data centers with a minimum 50 KW and a maximum 1 MW capacity established at edge locations, provided minimum 50 edge data centers are proposed to be set up in Madhya Pradesh in a single proposal.

11.1 CAPEX Assistance

- i. The first five (5) anchor data centres (other than edge data centres) with a Minimum GFCI of ₹ 500 Crores starting their operations in Madhya Pradesh will be eligible for CAPEX assistance @ 25% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI). The maximum amount of ₹ 125 Crores can be reimbursed to each anchor data centre.
- ii. The edge data centre and data centre units coming after the first five (5) data centres will be entitled to CAPEX Assistance of 15% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI). The maximum amount of ₹ 50 Crores can be reimbursed to each data centre.
- iii. GFCI for data centres may include Building, IT/Non-IT components excluding investment made in land.
- iv. This assistance will be disbursed in 5 (five) equal yearly instalments.

11.2 Power Tariff Reimbursement

Power Tariff reimbursement of ₹ 2 per unit for the first five (5) data centres (with Min 5 MW capacity) and ₹ 1 per unit for others, for 5 years.

11.3 Electricity Duty Reimbursement

Units having new High Tension (HT) connection in the State shall be reimbursed 100% electricity duty as below:

- i. 33 KV connection for 3 years
- ii. 132 KV connection for 5 years
- iii. 220 KV connection for 7 years

11.4 Transmission and Wheeling Charges Reimbursement

50% reimbursement on intra state sale of power shall be provided for a period of 5 years from the date of start of commercial operations of the data centre transmission and wheeling charges to data centre units for 5 years.

11.5 Dual Power Grid availability

Dual-grid lines power supply shall be made available on demand at applicable charges.

11.6 Renewable Energy under Open Access System

Open access shall be permitted for data centre / edge data centre units who starts their operations during the policy period to purchase power at competitive rates in the open market. Open access shall be permitted as per applicable regulations issued by M.P. Electricity Regulatory Commission under the Electricity Act 2003.

11.7 Assistance for filing of Patents

To promote Research and Development activities in the state, an assistance for acquiring patent, subject to a limit of ₹ 5 lakhs per patent for domestic patents and ₹ 10 lakhs for international patents, or the actual cost incurred whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit /office in M.P.

11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges

Eligible unit(s) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations.

11.9 Quality Certification Assistance

The eligible units will be able to avail this assistance only once, for a single type/kind of certification as follows:

Type of Assistances			Eligibility	Maximum Amount
Quality Certification			50% of the cost	₹ 6 Lakhs
Uptime Certification	Tier 3/4		50% of the cost	₹ 10 lakhs

11.10 Non-Fiscal Measures to Data Centres

- Installation of chillers on the rooftop without inclusion in FAR but subject to safety & clearance of Airport Authority.
- For data centre units established in an area of any development authority of Government of Madhya Pradesh 24X7 uninterrupted water supply will be ensured.
- Data Centre would be classified as essential service under Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vighhinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (ESMA).
- As per circulars and notifications issued from time to time by Ministry of Finance, Government of India Infrastructure Status will be provided to the Data Centre Sector at par with other sectors to avail long-term credit from lenders at easier terms.

12. LAND RELATED BENEFITS

12.1 Land Allotment

Government would earmark developed and raw land for establishment of IT/ ITeS/ ESDM/ Data Centre units. This land would be made available to eligible units including Developers who are willing to set up IT/ ITeS/ESDM/Data Centre units or Plug & Play infrastructure.

12.2 Applicability of Land related benefits

All the Land related provisions/benefits under this policy will apply to the land parcels leased by Nodal agency appointed by Science and Technology Department, Govt. of M.P.

12.3 Rebate in Cost of Land

- i. Government land will be allotted to eligible units and Developers at a premium calculated after applying a rebate on the cost of land on prevailing Collector Guideline value.
- ii. The Collector Guideline for the land of that area would be taken as the cost of land of un-irrigated agricultural land.
- iii. Development charges would be levied separately if the land has been developed by Government of Madhya Pradesh or its Agencies/ Authorities and will be determined as per the rules framed by the authority/agency that has incurred the development cost.
- iv. The rebate on the collector guideline value will be as per the area as mentioned below:
 - Up to 0.5 acre - 75%
 - >0.5 acre up to 1 acre - 60%
 - >1 acre up to 5 acres - 50%
 - > 5 acres - 25%
- v. Built up area use on land allocated by nodal agency will be as follows:

Type of Units	Type of Land	Built-up area use (%)	
		Core Activities	Other Activities*
For Land Allotted by Nodal Agency			
For IT/ ITeS/ ESDM Units in Parks of MPSEDC	Developed	80	20
	Raw	80	20
For Data Centre	Developed /Raw	100	-
For Developers – IT/ITeS/ESDM	Developed /Raw	80	20
For Developers in ITIA	Developed/Raw	60	40

* Other activities: Food Courts, Hospitals, shopping malls, Residential Complex, Schools, Star Hotels, and other entertainment facilities.

- vi. To claim incentives under this policy, IT/ITeS/ESDM/Data Centre Units who have been allotted land in IT Parks of Nodal Agency, would be required to construct minimum 50% (for IT/ITeS/Data Centre) and minimum 40% (for ESDM) of the total built-up area that can be constructed on the said land as per the permitted FAR of the development plan of that area.

12.4 Lease rent

Lease rent will be charged at the rate of 2% per year of the actual lease premium payable to the allottee.

12.5 Term of lease

Land would be allotted on a lease for 99 years with the provision for renewal.

12.6 Procedure for allotment of land

Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh through its nodal agency will make the information available; regarding land availability for allotment to the public by various means including, hosting of information on its website, periodic notification in newspapers etc.

- i. Land allotment will be done through open tender / auction.
- ii. For Mega Projects and data centres for land allotment proposal may be placed through "Cabinet Committee for Investment Promotion" (CCIP).

12.7 Floor Area Ratio (FAR)

Eligible units and the Developers in IT Parks of Department of Science and Technology, Govt. of M.P. will be eligible to avail an FAR as per development plan of that area.

12.8 Sub-lease

Allottees will be permitted to sub-lease the built-up area constructed on the allotted land for activities permitted as per the Lease deed.

12.9 Change in Purpose

Units will be allowed to change the purpose for which land has been allotted to them which shall not go beyond the scope of this policy and with prior permission of the nodal agency. Change in purpose will be allowed only once to the unit during the tenure of the lease deed executed and applicable for the units who have not constructed and started their operations on the allotted land. This change in purpose will not be applicable for land parcels which have been earmarked for Electronic Manufacturing Clusters.

12.10 Mortgage

The units would be permitted to mortgage the land for securing the term loan to be acquired for construction of the premises on the land allotted or for creation of fixed assets.

12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities

For land allotted by other Development agencies of Government of M.P. to IT/ITeS/ESDM Units, the cost of land, land use and other terms and conditions viz. lease rent term of lease development charges etc. will be governed by their rules.

13. IT INVESTMENT AREA

- i. A contiguous area of private ownership of more than 5 acres will be considered as an IT Investment Area, provided the developer has registered itself with the nodal agency appointed by Department of Science and Technology, Govt. of M.P.
- ii. Minimum Built up area should be 4 lakh sq. Ft. and Minimum Gross Fixed Capital investment to be ₹ 120 Crores.

(JAGANNATH BALODIA)
Officer on Special Duty

- iii. The minimum area under IT/ITeS/ESDM activity in an IT Investment Area shall be 60% of the built-up area, Subject to the conditions specified in the rules.
- iv. GFCI as defined for IT/ITeS developers/units, as applicable.
- v. For Government Agencies/Corporations/Board/Development Authorities of Government M.P., an area under their ownership and developed can be notified as an IT Investment Area, provided the Government Agency/Corporation/Board/Development Authority has total built up of minimum 2 lakh Sq.Ft. area out of which minimum 60% of built-up should be leased/sold/rented to IT/ITeS Units except Data Centre units.

14. MEGA PROJECTS

Projects may be covered under Mega Projects as follows:

- Investment proposal of more than ₹ 200 crores for IT/ITeS
- Investment proposal of more than ₹ 300 crores for ESDM
- Investment proposal of more than ₹ 500 crores for Data Centres

Or

IT/ITeS/BPO unit generating minimum direct employment of 2,000 employees' will be considered as mega projects.

An enhanced tailor-made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP) on case-to-case basis, if the unit requires assistances/benefits which are not specified in the policy.

15. EXPANSION & DIVERSIFICATION

- i. IT/ITeS/ESDM/Data Centre Units which have constructed their premises earlier and now planned to undertake expansion should invest minimum 30% of existing investment to claim assistance for expansion under the policy.
- ii. IT/ITeS/ESDM/Data Centre Units which are on rental or owned pre-constructed premises and have expanded can claim assistance as new units provided expansion should be of minimum 30% of the existing area. In case if a rental unit shifts to another place, then new rental space should be more than minimum 30% the existing area to qualify for expansion.
- iii. The quantum of assistance to units undertaking expansion shall be at par with new standalone units.
- iv. Expansion means existing company / proprietor / partnership firm / company who already have their operations in M.P. and have taken benefits/assistance under any of the earlier IT policies and have now expanded at other locations, within or outside the city.

16. APPEAL

Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Science and Technology will be the appellate authority in all matters related to this policy.

(JAGANNATH BALODIA)

17. GENERAL CONDITIONS

- i. Unit(s) can apply for any of the above fiscal assistances only after the start of commercial operations.
- ii. All/any such unit(s) developed/housed on Government or Private land in Madhya Pradesh can avail benefits under this policy.
- iii. Units will be eligible for assistance for a maximum period of 5 years from the date of its start of its commercial operation except where period on assistance is expressed specifically in the policy.
- iv. Categorisation of districts for claiming assistances:
 - a. Category A districts: Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Ujjain
 - b. Category B districts: Sagar, Chhindwara, Satna, Raisen, Vidisha, Dhar, Dewas. CCIP can add, delete and modify districts in Category B.
- v. Nodal Agency will perform all the calculations, approval and disbursement of all the benefits/assistance to the eligible units under this policy.
- vi. The Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh will:
 - a. Formulate rules, implementation guidelines for the policy.
 - b. Issue directions and guidelines to enable ease of implementation, interpretation of the rules etc.
- vii. Department of Science & Technology reserves the right to add or amend the nodal agency/agencies.
- viii. In case of interpretation of the rules/provisions of this policy, the decision/interpretation/clarification by the Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh shall be considered as final and binding.
- ix. In the event of any dispute, the courts of Madhya Pradesh will have the jurisdiction.
- x. **Applicability of the Policy:**
 - a) All such units who have applied/availing any of the assistances under earlier policies would continue to be covered as per the provisions of the erstwhile policy(ies) and would be ineligible for benefits under this Policy.
 - b) Units which have been allotted land/executed lease deed in IT parks of nodal agency under earlier policy(ies) and have not taken any benefit (except reimbursement of stamp duty and registration charges) can opt and inform for taking financial assistances under earlier policy of 2016 or this policy, within 3 months from the date of notification of this policy. In case the unit has not opted they will be covered under this policy. Option once selected will not be changed later on. Land related benefits viz. built-up area use, % of construction to be completed for claiming assistance etc. will also to be complied with as per the new policy if the unit opts for new policy.
 - c) All units who were eligible to apply under MP IT, ITeS and ESDM Investment Promotion Policy, 2016, whose commercial operations have commenced 6 months prior to the notification of this policy and have not applied for any benefits under any previous

policy(ies), can opt for incentives under this policy within 6 months from the date of notification of this policy.

- d) Units whose commercial operations have commenced after notification of this policy will be eligible to avail benefits under this Policy.
- e) The amount of total assistance provided to unit shall not exceed the total eligible GFCI.
- f) If there are two investment policies of different departments of the State Government providing similar incentive/benefits, units shall be eligible for claiming incentive/benefits from one policy only.

18. ABBREVIATIONS:

Abbreviation	Description
AVGC	Animation, Visual Effects, Gaming and Comic
BPM	Business Process Management
BPO	Business Process Outsourcing
CAPEX	Capital Expenditure
CC/OD	Cash Credit/Overdraft
CCIP	Cabinet Committee on Investment Promotion
CFC	Common Facility Centre
EMS	Electronic Manufacturing Services
EPF	Employees Provident Fund
ESDM	Electronics System Design Manufacturing
ESMA	Essential Services Maintenance Act
FAR	Floor Area Ratio
GFCI	Gross Fixed Capital Investment
GIS	Geographic Information System
IC	Integrated Circuits
IOT	Internet of Things
IT	Information Technology
ITeS	Information Technology enabled Services
KPO	Knowledge Process Outsourcing
MP	Madhya Pradesh
MPIDC	Madhya Pradesh Industrial Development Corporation
MPSeDC	Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation
NPE	National Policy on Electronics
PCB	Printed Circuit Board
R&D	Research and Development

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्रमांक/1974 /आर-1629884 /2023 /10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 21°52'16.00" से 21°52'52.00" उत्तर अक्षांश तथा 76°18'47.09" से 76°19'07.00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- खण्डवा

वनमण्डल - खण्डवा सामान्य

तहसील - जुन्नारदेव

वन परिक्षेत्र - खण्डवा सामान्य

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	मोघट 'अ'	मोघट	शासकीय भूमि	291 भाग	40.00	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 8 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 10 एवं 1 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि के बाद नागचुन-टिटगांव मार्ग।
				योग	40.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPR003/2023-BHO दिनांक 20.07.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड भोपाल की स्वीकृत परियोजना सक्तापुर सबस्टेशन एवं रोड निर्माण में प्रभावित 36.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 40.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 40.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला-खण्डवा के आदेश क्रमांक/50-अ-59/2022-23 खण्डवा, दिनांक 05.12.2022 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र.-1974-आर-1629884-2023-10-तीन.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-1974-आर-1629884-2023-10-तीन, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, Dated 5th October 2023

No./1974/1629884/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22^o14'53.95" to 22^o15'05.67" North Latitude and 78^o19'41.17" to 78^o19'57.82" East Longitude.

SCHEDULE

District - Khandwa

Tahsil - Khandwa

Forest Division - Khandwa (G)

Forest Range - Khandwa

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Moghat (A)	Moghat	Government Land	291 Part	40.00	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 3 of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291 East - Artificial Forest boundary from pillar Number 3 to 4 of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291 South - Artificial Forest boundary from pillar Number 4 to 8 of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291 West - Artificial Forest boundary from pillar Number 8 to 10 and 1, of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291 Nagchun-Titgaon Road.
				Total	40.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPR003/2023-BHO dated 20.07.2023 and in lieu of 36.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Saktapur Unit, Substation and Road Project of Rewa Ultra Mega Solar Limited Bhopal, the above mentioned Non Forest Land 40.00 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 50-A-59/2022-23 Khandwa dated 05-12-2022 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report of Tehsildar Khandwa are as under:-

1. Individual Rights :- Nil
2. Community Rights :- Nil

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग), डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी

क्र. 1726-सहा. आयु.-वन अधि.-2023

डिण्डौरी, दिनांक 14 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक एफ 23-2/2021/25-3/384 भोपाल दिनांक 22.04.2022 एवं जापन क्र. एफ 23-2/2021/25-3/484 भोपाल दिनांक 26.05.2022 द्वारा जारी निर्देश के तारतम्य में मंत्री परिषद आदेश आईटम क्रमांक 15 दिनांक 04 मई 2022 द्वारा किये गये अनु समर्थन के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (ज) के प्रावधान अंतर्गत प्रदेश के 827 वनग्रामों (वर्तमान में वन विभाग के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन) को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है तथा पत्र क्रमांक/767/एफ-23-2/2022/25-3/ भोपाल दिनांक 25.08.2022 द्वारा निर्धारित समयसारणी जिसमें से 86 वनग्राम डिण्डौरी जिले के सम्मिलित हैं।

उपरोक्त प्राप्त निर्देशों के परिपालन में वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण की गई। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा के परीक्षण उपरांत दिनांक 15.11.2022 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा डिण्डौरी जिले के निम्नांकित वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला डिण्डौरी के पत्र क्रमांक/3478/सहा.आयु./वन अधि./ 2022 डिण्डौरी दिनांक 18.11.22 के द्वारा 82 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने की अधिसूचना जारी की गई, तथा पत्र क्रमांक/282/सहा.आयु./वन अधि./2023 डिण्डौरी दिनांक 24.04.23 के द्वारा 03 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने की अधिसूचना जारी की गई है।

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल डिण्डौरी के पत्र क्रमांक/मा.चि./3600 दिनांक 07.06.23 के अनुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन भू-अभिलेख) सतपुडा भवन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्रक्रमांक/वन ग्राम/2023/664 भोपाल दिनांक 19.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जारी की गई अधिसूचना प्रारूप के कॉलम क्रमांक 10, 11 एवं 12 में अंकित शब्दावली में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	डिंडोरी	डिंडोरी	उत्तर समानपुर	सिमरवा	अ-11 ठालवा	357b, 361b, 362b, 363b, 364b	सिमरवा	345.730	308.360		आर.एफ. 337, 381, 384	आर.एफ. 381, 384, 382, 383	आर.एफ. 355	636	36	
15	डिंडोरी	डिंडोरी	उत्तर समानपुर	मानिकपुर	अ-8 लखा	400	सई	268.250	354.720		राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 405	आर.एफ. 398	आर.एफ. 401, 401-1549, 1538	308	29
16	डिंडोरी	डिंडोरी	उत्तर समानपुर	रघाई	अ-8 लखा	387, 389a, 390, 391b	बीलबहरा	205.940	160.340		राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 388	आर.एफ. 388	राजस्व क्षेत्र एवं ग्राम खामा	280	36
17	डिंडोरी	डिंडोरी	बजाग	पौड़ी	D-12 बावा	491, 492B, 493A, 500B	पौड़ी	236.070	226.410		आर.एफ. 483, 495	आर.एफ. 500	आर.एफ. 498	राजस्व सीमा	602	81
विकासखण्ड--करंजिया																
18	बजाग	डिंडोरी	परिचय करंजिया	माधोपुर	K-1 धाली	645B, 646	जमपानी	189.410	189.410		राजस्व क्षेत्र, ग्राम धनरास	आर.एफ. 644, 647	राजस्व क्षेत्र ग्राम डोगरीटोला	आर.एफ. 645, 644	354	46
19	बजाग	डिंडोरी	परिचय करंजिया	ददरावां	K-4 कुनाल	722B, 726B, 729B, 730B, 738B, 739B	ददरावां (कुटली)	481.670	468.720		आर.एफ. 727, 731, 740, 738, 739	आर.एफ. 725, 723, 728, 722, 739	आर.एफ. 729	आर.एफ. 722, 725 एवं ग्राम जुगई	1197	103
20	बजाग	डिंडोरी	परिचय करंजिया	चकरार	K-3 उदौर	668B, 698C	चकरार	373.510	362.070		आर.एफ. 698	आर.एफ. 670	आर.एफ. 689	आर.एफ. 671, 687	599	139
21	बजाग	डिंडोरी	परिचय करंजिया	चकरार	K-3 उदौर	670B, 664B, 667B, 671B, 672B, 673B, 674C, 675C, 664C	राइम्भरा	290.520	267.630		वनग्राम चकरार एवं आर.एफ. 671	आर.एफ. 672, 675	आर.एफ. 670, 673, 689	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 685	633	108
22	बजाग	डिंडोरी	परिचय करंजिया	पण्डरीपानी	K-3 उदौर	684B	पण्डरीपानी	321.670	294.820		आर.एफ. 685	वनग्राम लदरादावर	आर.एफ. 678, 688, 684	आर.एफ. 674, 684	552	98
23	बजाग	डिंडोरी	परिचय करंजिया	बोयरा	K-3 उदौर	689B, 690B, 691B, 692B, 693B, 696C, 688C	कौन्दाबहरा	243.120	166.510		आर.एफ. 686, 695	आर.एफ. 680, 688	आर.एफ. 687, 688	आर.एफ. 687, 688	345	56
24	बजाग	डिंडोरी	परिचय करंजिया	पण्डरीपानी	K-3 उदौर	683B	लदरादावर	165.700	145.580		वनग्राम पण्डरीपानी एवं आर.एफ. 683	राजस्व क्षेत्र, ग्राम धकरारटोला	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 683	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 683	242	39
25	बजाग	डिंडोरी	परिचय करंजिया	पण्डरीपानी	K-3 उदौर	675B, 676B, 677B, 678B	कादाटोला	216.420	216.420		आर.एफ. 674, 675	आर.एफ. 678	आर.एफ. 67, 676	राजस्व क्षेत्र, ग्राम मिलकीगाव	470	74
26	बजाग	डिंडोरी	परिचय करंजिया	कादाटोला	K-3 उदौर	681B	त्रिधुला	263.430	250.050		वनग्राम पण्डरीपानी एवं आर.एफ. 682	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 682 एवं छत्तीसगढ़ सीमा	आर.एफ. 679 एवं वनग्राम बर्दाना	292	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	बजाग	खिंडोरी	पश्चिम करजिया	कांदाटोला	K-3 खंडार	679C, 679B, 680B	बभंगा	295.380	260.880	---	आर.एफ. 678	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 680	बनग्राम त्रिभुला	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 679	358	61
28	बजाग	खिंडोरी	पश्चिम करजिया	दक्षिण खंडार	K-3 खंडार	696B, 705B	खंडार	491.240	421.120	---	आर.एफ. 704 एवं ग्राम खण्डारखुंदरा	आर.एफ. 706	आर.एफ. 706 एवं राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 704	771	113
29	बजाग	खिंडोरी	पश्चिम करजिया	दोकरहा	K-3 खंडार	708B, 695B	दोकरहा	254.980	708B, 695B	---	आर.एफ. 707	आर.एफ. 717, 694	आर.एफ. 719	आर.एफ. 707, 695	532	61
30	बजाग	खिंडोरी	पश्चिम करजिया	दक्षिण खंडार	K-3 खंडार	685B, 686B,	दोनुहानी	95.190	82.770	---	आर.एफ. 686	आर.एफ. 687, 685	आर.एफ. 685, 685	आर.एफ. 685, 685	196	34
31	बजाग	खिंडोरी	पश्चिम करजिया	पाण्डपुर	K-3 खंडार	656B, 657B, 658B, 659B	पाण्डपुर	280.170	265.130	---	आर.एफ. 686	आर.एफ. 690, 689	आर.एफ. 687, 686	राजस्व क्षेत्र	554	78
32	बजाग	खिंडोरी	पश्चिम करजिया	बहादुर	K-3 खंडार	697B, 698B, 699B, 700B	लिम्बा	124.710	95.550	---	आर.एफ. 689	आर.एफ. 698	आर.एफ. 700	आर.एफ. 696, 689	767	100
33	बजाग	खिंडोरी	पूर्व करजिया	करजिया	K4 - खन्नात	811B	बावली	400.970	393.010	---	आर.एफ. 865 एवं राजस्व क्षेत्र	बनग्राम जोगीवारा एवं आर.एफ. 810	आर.एफ. 816, 818	आर.एफ. 816, 812	796	103
34	बजाग	खिंडोरी	पूर्व करजिया	जोगीवारा	K4 - खन्नात	805B	जोगीवारा	433.160	393.700	---	आर.एफ. 818 एवं बनग्राम बावली	बनग्राम जोगीवारा एवं आर.एफ. 806, 810, 804	आर.एफ. 821, 822	बनग्राम बावली	679	88
35	बजाग	खिंडोरी	पूर्व करजिया	संगरूडा	K4 - खन्नात	800B, 801B, 788B	विजोरी	657.510	628.410	---	आर.एफ. 808, 809	आर.एफ. 789, 787	आर.एफ. 799, 798	राजस्व क्षेत्र एवं खण्डार	1131	162
36	बजाग	खिंडोरी	पूर्व करजिया	घोरादादर	K4 - खन्नात	794B, 792B	घोरादादर	546.510	539.690	---	आर.एफ. 801	आर.एफ. 781, 782	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 783, 791	812	206
37	बजाग	खिंडोरी	पूर्व करजिया	सोनतीरस	K4 - खन्नात	777B	सोनतीरस	91.770	82.240	---	आर.एफ. 779, 776	राजस्व क्षेत्र चत्तीसगढ़ सीमा	आर.एफ. 778	आर.एफ. 775	201	55
38	बजाग	खिंडोरी	पूर्व करजिया	खारीढीह	K4 - खन्नात	784B	खारीढीह	835.320	809.570	---	आर.एफ. 783, 785, 786, 787	आर.एफ. 769, 772, 773, 756, 786	आर.एफ. 782, 780, 779	राजस्व क्षेत्र ग्राम गोपालपुर	1711	311
39	बजाग	खिंडोरी	पूर्व करजिया	दलदलकपोटी	K4 - खन्नात	764B	दलदलकपोटी	145.950	139.380	---	आर.एफ. 755 एवं राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 787, 765	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 718	251	63
40	बजाग	खिंडोरी	पूर्व करजिया	जागतपुर	K4 - खन्नात	827B	जागतपुर	335.440	328.560	---	आर.एफ. 836, 837	आर.एफ. 828, 826	आर.एफ. 830, 831	राजस्व क्षेत्र	544	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	बलाग	डिंडोरी	पूर्व करीजिया	जगतपुर	K4 - खन्नात	831B	रानीरधुतरा	70.830	70.830		आर.एफ. 830, 831, 832	आर.एफ. 830	राजस्व क्षेत्र, छत्तीसगढ़ सीमा	बनग्राम जगतपुर एवं आर.एफ. 830	215	34
42	बलाग	डिंडोरी	पूर्व करीजिया	पकरीसोदा	K4 - खन्नात	849B	पकरीसोदा	197.860	197.860		नर्मदा नदी	आर.एफ. 846, 847	नर्मदा नदी	ओ-1647, 1648 एवं ग्राम खन्नात	241	80
विकासखण्ड-डिंडोरी																
43	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	नागरखण्डो	S-11 नवनीको	223	टिकारनखण्डो	59.280	59.280		आर.एफ. 226	आर.एफ. 224	आर.एफ. 227	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 224	151	28
44	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	रानीजुदर	S-10 सुखार	189B, 190B	रानीजुदर	234.690	179.420		आर.एफ. 190, 188	आर.एफ. 190, 189	आर.एफ. 188	आर.एफ. 180	305	55
45	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	उमरथा	S-10 सुखार	184B	उमरथा	193.530	181.080		राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र एवं ग्राम गनवाही	आर.एफ. 184	राजस्व क्षेत्र	318	44
46	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	देवकरा	S-14 नैला	242	देवकरा	278.140	273.010		आर.एफ. 240	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 243	राजस्व क्षेत्र एवं ग्राम गोपालपुर	332	61
47	डिंडोरी	डिंडोरी	शाहपुर	सुरखी	S-8 अखवार	122B	सुरखी	178.560	146.390		आर.एफ. 123, 116	आर.एफ. 122	आर.एफ. 122	आर.एफ. 123	321	46
48	डिंडोरी	डिंडोरी	शाहपुर	पटकुही	S-6 बरखेडा	158B, 159B, 160B	पटकुही	290.040	269.980		आर.एफ. 160	आर.एफ. 158	आर.एफ. 160	ओ-1330 एवं राजस्व क्षेत्र	251	81
49	डिंडोरी	डिंडोरी	शाहपुर	कुदवारी	S-8 अखवार	114B	कुदवारी	686.290	660.180		आर.एफ. 112, 113, 115	आर.एफ. 124	आर.एफ. 123	आर.एफ. 124	1215	126
50	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	रान्हेपुर	S-10 सुखार	182	रान्हेपुर	286.210	275.800		राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 147, 183	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र एवं मार्ग	357	75
विकासखण्ड-अमरपुर																
51	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	अमरपुर	डी-7 चारवाणी	289	रौतपुरी	565.810	484.910		राजस्व क्षेत्र एवं पी. डब्ल्यू.डी. मार्ग	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 290, 293	आर.एफ. 287	673	122
52	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	हरटोला	डी-7 चारवाणी	286	झरना	605.600	562.000		आर.एफ. 279	आर.एफ. 287	आर.एफ. 278, 288 एवं पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग	बनग्राम घुसरी	731	110
53	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	घुसरी	डी-7 चारवाणी	285	घुसरी	277.490	261.940		आर.एफ. 280	आर.एफ. 284	बनग्राम झरना	आर.एफ. 281, 282, 283	543	99
54	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	घुसरी	डी-7 चारवाणी	256	हथकटा	762.460	735.800		वन विकास क्षेत्र आर.एफ. 252, 254	वन विकास निगम क्षेत्र आर.एफ. 255 एवं राजस्व क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	1159	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	मोहनगिर	अ-7 धारवाणी	294	गोरखपुर	526.080	431.960	---	आर.एफ. 292, 293	आर.एफ. 295, 296	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 298	वनग्राम खुदरुपानी	506	61
56	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	सिपरिया	अ-7 धारवाणी	297	खुदरुपानी	1242.460	1108.630	---	आर.एफ. 293	वनग्राम सुन्डीसर्द, आर.एफ. 298, 298	राजस्व क्षेत्र एवं ग्राम चंदा	राजस्व क्षेत्र एवं ग्राम चंदा	850	155
57	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	सिपरिया	अ-7 धारवाणी	300	उत्तरीखुन्डी	531.950	428.130	---	वनग्राम खुदरुपानी	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 298	राजस्व क्षेत्र एवं पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग	555	83
58	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	ढोलबीजा	अ-7 धारवाणी	337B	ढोलबीजा	415.150	412.930	---	आर.एफ. 238	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र एवं ओ-1509	495	79
59	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	बिलागाव	अ-7 धारवाणी	260B	चन्द्रगढ़	425.020	334.090	---	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 283, 281	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	557	70
विकासखण्ड-बजाग																
60	बजाग	डिंडोरी	बजाग	घाड़ा	K-2 बिजोरी	513B, 516B, 517B, 561B, 562B, 563B, 567B, 510C, 511, 512, 513C	घाड़ा	503.080	418.210	---	आर.एफ. 518, 561	वनग्राम तातर	राजस्व एवं आर.एफ. 564	वनग्राम सिलपिडी	1121	188
61	बजाग	डिंडोरी	बजाग	तातर	K-2 बिजोरी	510C, 511, 512, 513C	तातर	731.170	731.170	---	वनग्राम घाड़ा	राजस्व सीमा	आर.एफ. 584	आर.एफ. 545	1158	224
62	बजाग	डिंडोरी	बजाग	सिलपिडी	K-2 बिजोरी	510B, 513D, 504B, 505B, 515C	सिलपिडी	392.260	376.490	---	आर.एफ. 517 एवं वनग्राम घाड़ा	राजस्व सीमा	वनग्राम घाड़ा	राजस्व सीमा	925	146
63	बजाग	डिंडोरी	बजाग	तरख	K-2 बिजोरी	518B, 520B, 558B, 559B, 560B	तरख	758.600	591.190	---	आर.एफ. 555	आर.एफ. 561	राजस्व सीमा	राजस्व सीमा एवं आर.एफ. 520	1801	122
64	बजाग	डिंडोरी	बजाग	बीना	D-6 लखदा, DP इन्फिरिया, DP-75 पिपरिया, DP-76 पिपरिया	404B, 466B, 467B, 468B, 411B	जल्दा-बीना	1599.100	1562.930	---	आर.एफ. 466, 468	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 481 एवं आ-1597, 1598	राजस्व क्षेत्र	2505	323
65	बजाग	डिंडोरी	बजाग	खन्देरा	K-2 बिजोरी	527B, 529B, 530B, 531B, 532B, 533B, 537C, 496B, 497B, 498B, 506B, 507B	खन्देरा	850.770	850.770	---	आर.एफ. 537	आर.एफ. 507, 506	आर.एफ. 481 एवं आ-1597, 1598	आर.एफ. 598, 596	1115	129
66	बजाग	डिंडोरी	बजाग	शीतलपानी	K-2 बिजोरी	518B, 521B, 522B, 524B, 525B, 528B, 529C	शीतलपानी	410.200	368.610	---	आर.एफ. 525, 528	आर.एफ. 522, 524	आर.एफ. 528, 529	आर.एफ. 523 एवं राजस्व क्षेत्र	686	121
विकासखण्ड-शहपुरा																
67	शहपुरा	डिंडोरी	शहपुरा	श्रीरामनी	SH-14 अरवा	45B	श्रीरामनी	385.360	382.390	---	आर.एफ. 46 एवं राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 45	वनग्राम टिकरा महेरपुरी	वनग्राम टिकरा महेरपुरी	454	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	शहपुरा	डिंडोरी	शहपुरा	छौरपानी	SH-14 अंश	468	पुण्डीसरई	51.850	49.910	---	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 40	आर.एफ. 46	आर.एफ. 48	1026	21
69	शहपुरा	डिंडोरी	शहपुरा	पौन्डी	S-5	348	जलधरा	188.130	188.130	---	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र एवं जिला सीमा	आर.एफ. 34	294	63
70	शहपुरा	डिंडोरी	शहपुरा	संगामपुर	SHP-10 अंश	178	अगरहिटा	107.240	94.040	---	आर.एफ. 17	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 17	232	27
71	शहपुरा	डिंडोरी	शहपुरा	मगरटार	SH-5	78, 88	गढी	298.820	275.940	---	आर.एफ. 7	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	ओ-1140, 1141	395	69
72	शहपुरा	डिंडोरी	शहपुरा	चंदवाही	SH-14 अंश	488	चंदवाही	146.750	146.750	---	आर.एफ. 46	आर.एफ. 48	वनग्राम टिकरा मोहपुरी	राजस्व क्षेत्र	1204	54
73	शहपुरा	डिंडोरी	शहपुरा	छौरपानी	SH-14 अंश	468	टिकरामोहपुरी	349.770	340.420	---	आर.एफ. 46	आर.एफ. 47	वनग्राम छौरपानी	वनग्राम चंदवाही	358	96
विकासखण्ड-महदवानी																
74	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	ददरगाव	जे 24 गुरका	9908	ददरगाव	440.490	363.330	---	आर.एफ. 890	वनग्राम डोनी	ओ-1807	आर.एफ. 960	450	116
75	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	डेभी	जे 24 गुरका	9808	डेभी	270.850	265.950	---	वनग्राम ददरगाव	आर.एफ. 983	आर.एफ. 808	आर.एफ. 984	381	98
76	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	हरटोला	जे 28 मरुपुरी	9498	खाहकिया	177.470	157.090	---	वन विकास निगम क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	230	33
77	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	खुदरी	जे 24 गुरका	9898	खुदरी	206.300	149.560	---	आर.एफ. 989	आर.एफ. 988	आर.एफ. 988, 989	नर्मदा नदी	245	55
78	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	हिरदपुर	एस.एच. 21 कुदरई	8758	हिरदपुर	122.960	120.300	---	आर.एफ. 873, 875	आर.एफ. 874 एवं नर्मदा नदी	आर.एफ. 873, 874	आर.एफ. 875	212	35
79	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	संतया	एस.एच. 21 कुदरई	8738	संतया	285.840	267.940	---	आर.एफ. 873	नर्मदा नदी	नर्मदा नदी	आर.एफ. 873	488	75
80	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	विरईपानी	एस.एच. 14 अंश	8808	विरईपानी	242.550	238.100	---	आर.एफ. 880	आर.एफ. 879	वनग्राम टिकरा मोहपुरी	आर.एफ. 878	285	60
81	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	कुदरई	एस.एच. 35 बरगरी	8708	बटागरी	495.030	483.530	---	आर.एफ. 886 एवं ओ-1783	ओ-1795 एवं राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 869	772	104
82	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	हरटोला	जे 29 मरुपुरी	9438	हरटोला	684.140	656.730	---	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 940	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 961	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 941, 944	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 942	1075	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	शहपुरा	डिंडोरी	मैहदवानी	हरोटोला	जे 29 मसूरपुचरी	954B	अमरपुर	268.030	206.820		वन विकास निगम क्षेत्र एव आर. एफ. 953	राजस्व क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र एव आर. एफ. 955	राजस्व क्षेत्र जिला सीमा	264	57
84	शहपुरा	डिंडोरी	मैहदवानी	हरोटोला	जे 29 मसूरपुचरी	945B	ग्रामसोला	430.220	408.250		वन विकास निगम क्षेत्र एव आर. एफ. 946	वन विकास निगम क्षेत्र एव राजस्व क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र एव आर. एफ. 948	वन विकास निगम क्षेत्र एव आर. एफ. 944	792	128
85	शहपुरा	डिंडोरी	मैहदवानी	हरोटोला	जे 29 मसूरपुचरी	941B	दादरपुचरी	226.670	223.440		वन विकास निगम क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र	482	40

विकास मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश

प्रारंभिक अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्र.-441-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- समसपुर, का कुल रकबा 8.389 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) सूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनसंपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- समसपुर, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.मै)	अर्जित रकबा (हे.मै)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितकब्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	9	2.810	0.739	निजी	सिंचित	महाना वेन्चर्स द्वारा पार्टनर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर राजोरिया एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
2	8	0.550	0.355	निजी	सिंचित	उदय प्रताप शर्मा पिता श्री रामचरण लाल शर्मा पता ए-46 गोविन्दपुरी मुनिवसिंठी रोड सिटी सेंटर ग्वालियर
3	22	1.380	0.263	निजी	सिंचित	महाना वेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर राजोरिया पता बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली भोपाल
4	7	0.610	0.162	निजी	सिंचित	महाना वेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर राजोरिया पता बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली भोपाल
5	25	1.0700	0.185	निजी	सिंचित	वंदना गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
6	87	1.780	0.001	निजी	सिंचित	मायाबाई पत्नी रामरूप जाति देशवाली पता मिडलवैली भोपाल
7	26	1.700	0.090	निजी	सिंचित	वंदना गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
8	71	2.770	0.509	निजी	व्यवहारीक (वैवाहिक, सिंचित)	कमलेश्वर युवक एवं समाज कल्याण समिति भोपाल अध्यक्ष कन्हैयालाल अमरनाथी पुत्र शंकरराज अमरनाथी एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9	74	2.190	0.825	निजी	सिंचित	अरविन्द मंगोलिया पिता एम एसांगोलिया एवं अन्य भोपाल
10	85	0.810	0.485	निजी	सिंचित	रामगोपाल पिता चतर सिंह जाति देशवाली पता सा० देह भोपाल
11	83	1.480	0.284	निजी	सिंचित	मोहम्मद दानिश खान पुत्र स्व श्री मोहम्मद शाहिद खान पता ग्राम पटारिया साकल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12	90	0.810	0.166	निजी	सिंचित	मोहम्मद दानिश खान पुत्र स्व श्री मोहम्मद शाहिद खान एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13	91	1.180	0.351	निजी	सिंचित	मु. भागवतीबाई पत्नी कमलसिंह एवं अन्य पता सा० देह भोपाल
14	93	7.900	1.193	निजी	सिंचित	गांधवी देवी पत्नी लखनलाल शर्मा एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश
15	98/1	0.505	0.296	निजी	सिंचित	पंकज राय पिता पी सी राय पता 10 ग्लोबल केब सिटी सुयश अस्पताल के पीछे गुना मंडी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16	98/2/1	0.064	0.044	निजी	सिंचित	शमंत मीणा पुत्र प्रभूलाल मीणा पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
17	98/2/2	0.121	0.105	निजी	सिंचित	पवन पाठक पिता राजेन्द्र पाठक पता 1012 रोशनबाग पुष्पा नगर रोड रोशनबाग भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18	99	0.250	0.250	निजी	सिंचित	मुन्नी बाई पत्नी नवल सिंह जाति देशवाली पता मिचुखेडी भोपाल
19	102	0.190	0.095	निजी	सिंचित	मुन्नी बाई पत्नी नवल सिंह जाति देशवाली पता मिचुखेडी भोपाल
20	103	1.180	0.039	निजी	सिंचित	जसलता बाई पत्नी विक्रम सिंह पता मिचुखेडी भोपाल मध्य प्रदेश
21	101	0.150	0.004	निजी	सिंचित	मुन्नी बाई पत्नी नवल सिंह जाति देशवाली पता मिचुखेडी भोपाल
22	100	0.360	0.224	निजी	व्यवहारीक (व्यवसायिक, सिंचित)	शमंत मीणा पिता प्रभूलाल मीणा एवं अन्य मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
23	97	1.580	0.158	निजी	सिंचित	मरुन्द कुमार बाजपेयी पिता सी पी बाजपेयी एवं अन्य भोपाल
24	21	0.220	0.210	निजी	सिंचित	महाना वेन्चर्स द्वारा डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर राजोरिया पता बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली भोपाल
25	20	1.030	0.550	निजी	सिंचित	महाना वेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर राजोरिया पता बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली भोपाल
26	23	1.220	0.328	निजी	सिंचित	प्रमोद कुमार वैद्य पिता श्री हरगोविन्द वैद्य पता ई-8/391 त्रिलोचन नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
27	81/1	0.750	0.007	निजी	सिंचित	कमला मीणा पत्नी श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 ग्राम समसपुर
28	72	0.372	0.002	निजी	सिंचित	अरविन्द मंगोलिया पिता एम एसांगोलिया एवं अन्य भोपाल
29	84/1	0.090	0.077	निजी	सिंचित	कमला मीणा पत्नी श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 ग्राम समसपुर
30	84/2	0.090	0.028	निजी	सिंचित	दिनेश मीणा पिता श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 समसपुर
31	5	0.280	0.122	निजी	सिंचित	महाना वेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर गुना
32	6	0.380	0.242	निजी	सिंचित	महाना वेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर गुना
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			8.389			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसका कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या कैचन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगन सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-443-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- भानपुर केकड़िया का कुल रकबा 9.251 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- भानपुर केकड़िया की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- भानपुर केकड़िया, रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप, तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे. में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	559	0.630	0.489	निजी	सिंचित	भाव सिंह पुत्रगण देवी सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
2	674	1.010	0.851	निजी	सिंचित	नाथू पिता सेकड़िया जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
3	673	1.000	0.197	निजी	सिंचित	चतरसिंह पिता नानसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
4	481	0.730	0.380	निजी	सिंचित	नान सिंह आ. चमरिया एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
5	476	1.000	0.047	निजी	सिंचित	गुड्डाबाई पुत्री धनिया जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
6	574	1.000	0.590	निजी	सिंचित	फतहसिंह पिता विस्ता जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
7	573	1.000	0.713	निजी	सिंचित	सुमला,भमरा पुत्र करन सिंह एवं अन्य भिलाला पता नि. ग्राम भूमि
8	642	0.540	0.418	निजी	सिंचित	भेरूसिंह पिता गुलसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
9	641	1.000	0.675	निजी	सिंचित	मसरीवाई वेवा धनसिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
10	643	0.460	0.299	निजी	सिंचित	भेरूसिंह पिता गुलसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
11	640	1.000	0.069	निजी	सिंचित	नवलसिंह पुत्रगण जूरसिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी कलेक्टर
12	675	1.000	0.568	निजी	सिंचित	एकलसिंह पिता धनसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
13	677	1.000	0.010	निजी	सिंचित	कासीराम,रायसिंह ना.वा. पुत्रगण दूकलसिंह एवं अन्य नि. ग्राम
14	482	0.270	0.003	निजी	सिंचित	नान सिंह एवं अन्य ग्राम भूमि स्वामी
15	561	1.000	0.279	निजी	सिंचित	खूमसिंह पिता रेमसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
16	562	1.030	1.030	निजी	सिंचित	भेरूसिंह पिता बालाराम जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
17	563	1.010	0.117	निजी	सिंचित	भुवानसिंह पिता अलसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
18	566	1.020	0.352	निजी	सिंचित	तेरसिंह पिता बालसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
19	557	1.000	0.010	निजी	सिंचित	खेतूसिंह पिता विस्ता जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
20	560	0.370	0.370	निजी	सिंचित	भाव सिंह पुत्रगण देवी सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
21	558	0.610	0.088	निजी	सिंचित	झूमरी वाई प्रताप सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी कलेक्टर
22	480	1.020	1.020	निजी	सिंचित	भूरसिंह पिता शिमला जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी,
23	477	1.010	0.561	निजी	सिंचित	रतनसिंह पिता नाथूसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
24	479	0.260	0.115	निजी	सिंचित	सुन्दरीवाई वेवा नारायण एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			9.251			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संयवहार नहीं करेगा या कोई भी संयवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-445-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- समसगढ़, का कुल रकबा 9.425 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनित द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- समसगढ़, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम- समसगढ़, रा.नि.न.- नुंगलिया छाप तहसील- हुजूर, जिला-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.मै)	अर्जित रकबा (हे.मै)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	29	1.470	0.865	निजी	सिंचित	श्रीमती गोमती बाई पत्नी अयोध्या प्रसाद पता नि. रातीबड भोपाल
2	33	0.820	0.473	निजी	सिंचित	दीपक सिंह पिता अशोक सिंह पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3	34	0.790	0.033	निजी	सिंचित	दीपक सिंह पिता अशोक सिंह पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4	39/1	0.778	0.475	निजी	सिंचित	शेखर अबुल फेसलन एवं अन्य काला दरवाजा बेनजोर रोड भोपाल
5	40/1	0.847	0.404	निजी	सिंचित	फिरोजनसर मुन्न स्व. अबुनसर एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
6	42	0.190	0.163	निजी	सिंचित	शेखर अबुल फेसलन एवं अन्य पता काला दरवाजा बेनजोर रोड
7	41	0.150	0.150	निजी	सिंचित	फिरोजनसर मुन्न स्व. अबुनसर एवं अन्य हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश
8	235	0.880	0.484	निजी	सिंचित	श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत जाति रावत पता ई डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9	236	0.930	0.458	निजी	सिंचित	श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत जाति रावत पता ई डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10	239	0.100	0.028	निजी	सिंचित	श्रीमती इन्द्रावती गुप्ता पत्नी श्री प्रेमनारायण अग्रवाल जाति अग्रवाल पता 116 टी वार्ड सैनिक कॉलोनी बैरागड भोपाल मध्य प्रदेश
11	245	0.990	0.755	निजी	सिंचित	श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत जाति रावत पता ई डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12	247	1.030	0.740	निजी	सिंचित	श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत जाति रावत पता ई डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13	250	0.320	0.170	निजी	सिंचित	प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14	251	0.230	0.155	निजी	सिंचित	प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15	255	0.260	0.221	निजी	सिंचित	प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16	262	0.400	0.001	निजी	सिंचित	कुंवर सिंह पिता भुवान सिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
17	261/1	0.060	0.038	निजी	सिंचित	सोनावार्डे पु एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18	261/2	0.100	0.009	निजी	सिंचित	कुंवर सिंह पिता भुवान सिंह एवं अन्य भोपाल
19	260	0.210	0.177	निजी	सिंचित	सोनावार्डे पु एवं अन्य भोपाल
20	234	0.210	0.041	निजी	सिंचित	श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत जाति रावत पता ई डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21	259	0.840	0.607	निजी	सिंचित	सोनावार्डे पु एवं अन्य भोपाल
22	258	0.250	0.139	निजी	सिंचित	सोनावार्डे पु एवं अन्य भोपाल
23	243	0.380	0.108	निजी	सिंचित	श्रीमती इन्द्रावती गुप्ता पत्नी श्री प्रेमनारायण अग्रवाल जाति अग्रवाल पता 116 टी वार्ड सैनिक कॉलोनी बैरागड भोपाल मध्य प्रदेश
24	246	0.530	0.006	निजी	सिंचित	श्रीमती इन्द्रावती गुप्ता पत्नी श्री प्रेमनारायण अग्रवाल जाति अग्रवाल पता 116 टी वार्ड सैनिक कॉलोनी बैरागड भोपाल मध्य प्रदेश
25	264	0.470	0.074	निजी	सिंचित	गुलाब सिंह पिता मिहू जाति भील पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
26	214	0.390	0.019	निजी	सिंचित	गुलाब सिंह पिता मिहू जाति भील पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
27	213	0.730	0.343	निजी	सिंचित	गुलाब सिंह पिता मिहू जाति भील पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
28	208	0.160	0.131	निजी	सिंचित	लीलाबाई पत्नी स्व शिवनारायण एवं अन्य ग्राम समसगढ़ भोपाल
29	207	1.880	0.665	निजी	सिंचित	लीलाबाई पत्नी स्व शिवनारायण एवं अन्य ग्राम समसगढ़ भोपाल
30	202	0.240	0.126	निजी	सिंचित	बंदर सिंह पिता पतल्या जाति भील पता सा देह भोपाल
31	205	0.100	0.100	निजी	सिंचित	नगर सिंह पिता कानूराम जाति भील पता सा देह भोपाल
32	32	0.270	0.135	निजी	सिंचित	दीपक सिंह पिता अशोक सिंह पता सा भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश
33	28	1.430	0.019	निजी	सिंचित	श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री महेश शर्मा जाति शर्मा पता नि. रातीबड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
34	319/1/2	0.100	0.001	निजी	सिंचित	कामेश्वर दयाल मेहरा पिता रामदयाल मेहरा एवं अन्य भोपाल
35	244/2	0.850	0.265	निजी	सिंचित	श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत जाति रावत पता ई डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भूमि स्वामी अहतरानगरमीड
36	249	0.450	0.348	निजी	सिंचित	प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
37	309	0.350	0.001	निजी	सिंचित	प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
38	238	0.960	0.359	निजी	सिंचित	श्री प्रभात अग्निहोत्री पिता के एन अग्निहोत्री जाति अग्निहोत्री पता एल 24 शंकर नगर कालोनी शिवाजी नगर भोपाल
39	241	0.240	0.021	निजी	सिंचित	श्रीमती इन्द्रावती गुप्ता पत्नी श्री प्रेमनारायण अग्रवाल भोपाल
40	237	0.910	0.087	निजी	सिंचित	श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
41	30/2	0.130	0.031	निजी	सिंचित	श्रीमती गोमती बाई पत्नी अयोध्या प्रसाद पता सा रातीबड भोपाल
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			9.425			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारियों को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमूला में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलिंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 80 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी ह्चुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-447-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- अमरपुरा, का कुल रकबा 2.323 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- अमरपुरा की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- अमरपुरा, रा.नि.न:- मुंगलिया छाप तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.मे)	अर्जित रकबा (हे.मे)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
1	10	2.93	1.398	निजी	सिंचित	जगदीश पिता सेवाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल
2	9	1.880	0.289	निजी	सिंचित	जगदीश पिता सेवाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल
3	15	1.500	0.118	निजी	सिंचित	नवलसिंह पिता बंशीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल
4	11	1.830	0.498	निजी	सिंचित	कमलाबाई बेवा बृजलाल एवं संतोष दिनेश पवन पिता बृजलाल जाति देशवाली पता सरवर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5	6	1.630	0.020	निजी	सिंचित	शिवचरण पिता सेवाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			2.323			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगन सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-449-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- आवंला, का कुल रकबा 6.123 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- आवंला, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- आवंला, रा.नि.न.- मुंगलिया छाप तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	82	52.252	5.232	निजी	सिंचित	धनविद्या रियलटर्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर अजय संतोष नागर पिता श्री संतोष कुमार नागर एवं अन्य मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
2	82/2/1/3/1	0.202	0.182	निजी	सिंचित	विवेकानन्द विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष राजेश कुमार साहू पिता के. के. साहू पता ए-4 गीत बंगले दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल
3	82/2/1/2/1	0.405	0.096	निजी	सिंचित	विवेकानन्द विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष राजेश कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगले दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था
4	82/2/1/2/2	0.506	0.134	निजी	सिंचित	राजेश कुमार साहू पिता के के साहू एवं मनोज कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगलो दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल
5	82/2/1/3/2	0.101	0.101	निजी	सिंचित	राजेश कुमार साहू पिता के के साहू एवं मनोज कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगलो दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल
6	77/1	8.281	0.378	निजी	सिंचित	सतीश तैलंग पिता परमनाथ सदाशिव तैलंग एवं अन्य भोपाल
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			6.123			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-451-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- सरवर का कुल रकबा 11.524 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- सरवर की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- सरवर, रा.नि.न:- मुंगलिया छाप तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	124/1	0.100	0.100	निजी	सिंचित	रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि. बड़झिरी भोपाल
2	124/2	0.390	0.300	निजी	सिंचित	राजेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता निवासी ग्राम भोपाल
3	61/1	0.920	0.800	निजी	सिंचित	रामदयाल पिता रघुवरदयाल जाति कायस्त पता सा भोपाल मध्य
4	61/2	0.440	0.150	निजी	सिंचित	कु.वदान्या नाबा पुत्री मनोज श्रीवास्तव सर मां श्रीमती मुक्ती श्रीवास्तव जाति कायस्थ पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5	75	0.280	0.006	निजी	सिंचित	कु.वदान्या नाबा पुत्री मनोज श्रीवास्तव सर मां श्रीमती मुक्ती श्रीवास्तव जाति कायस्थ पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6	59	0.590	0.014	निजी	सिंचित	विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आ सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7	38	0.230	0.051	निजी	सिंचित	विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आ सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
8	39/1	0.150	0.035	निजी	सिंचित	विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आ. सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9	39/2	0.300	0.058	निजी	सिंचित	रामचरण पिता आशाराम जाति खाली पता नि बड़झिरी भोपाल
10	60	0.480	0.107	निजी	सिंचित	विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आ. सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
11	88	9.200	0.105	निजी	सिंचित	निशा चौधरी पत्नी अरुण चौधरी पता नि न्यू मार्केट भोपाल
12	97	2.380	0.704	निजी	सिंचित	बिटारी डिस्टलरीज प्रा लि महारणप्रताप नगर भोपाल द्वारा डायरेक्टर रंजीत नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल
13	92	0.280	0.280	निजी	सिंचित	अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता 111 अरुणोदम वरखेड़ी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14	166	0.230	0.172	निजी	सिंचित	सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनुग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15	171/1	0.260	0.090	निजी	सिंचित	दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी- 129 शाहपुरा सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल
16	111/1	1.270	0.455	निजी	सिंचित	दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी-129 शाहपुरा सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल
17	68	2.470	1.511	निजी	सिंचित	शिरीष द्विवेदी,पीयूष द्विवेदी पुत्रगण आर जी द्विवेदी पता भोपाल
18	62	0.290	0.096	निजी	सिंचित	रामदयाल पिता रघुवरदयाल जाति कायस्त पता सा भोपाल
19	121	1.460	0.055	निजी	सिंचित	छोटेलाल पुत्र बटनलाल जाति देशवाली पता सा आवला भोपाल
20	117/791	0.100	0.053	निजी	सिंचित	कौशल्याबाई पत्नी देवीप्रसाद पता आवला भोपाल मध्य प्रदेश
21	99	1.170	0.245	निजी	सिंचित	बिटारी डिस्टलरीज प्रा लि महारणप्रताप नगर भोपाल द्वारा डायरेक्टर रंजीत नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल
22	109	0.560	0.299	निजी	सिंचित	अंकित चौधरी पुत्र अरुण चौधरी पता नि अरुणादय 111 बरखेड़ीकला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23	89/1	0.400	0.056	निजी	सिंचित	अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरुणोदम वरखेड़ी कलाभोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24	89/2	0.660	0.140	निजी	सिंचित	अंकित चौधरी पुत्र अरुण चौधरी पता नि अरुणादय 111 बरखेड़ीकला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25	90	0.200	0.144	निजी	सिंचित	अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरुणोदम वरखेड़ी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26	91	0.840	0.220	निजी	सिंचित	अशोक चौधरी पिता श्री पी वी चौधरी पता नि अरुणोदय ग्राम वरखेड़ी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
27	108	0.500	0.001	निजी	सिंचित	अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरुणोदम वरखेड़ी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
28	110/1	1.910	0.726	निजी	सिंचित	ओम चौधरी पिता पी वी चौधरी पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

29	98	0.150	0.150	निजी	सिंचित	विटारी डिस्टलरीज प्रा लि महारणप्रताप नगर भोपाल द्वारा डायरेक्टर रजौत नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल
30	170	0.230	0.181	निजी	सिंचित	रामनूग्रह द्विवेदी पुत्र छोटेई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश
31	169	0.100	0.051	निजी	सिंचित	रामनूग्रह द्विवेदी पुत्र छोटेई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश
32	168/1	0.100	0.024	निजी	सिंचित	रामनूग्रह द्विवेदी पुत्र छोटेई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश
33	93	0.940	0.246	निजी	सिंचित	अशोक चौधरी पिता श्री पी वी चौधरी पता नि अरूणोदय ग्राम बरखेड़ी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
34	165	0.180	0.056	निजी	सिंचित	सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनूग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
35	167	0.180	0.180	निजी	सिंचित	सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनूग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
36	105/1/1	0.870	0.213	निजी	सिंचित	विंगकमान्दर ए०सी० बाजपेई पिता वी पी बाजपेई पता सा भोपाल
37	105/1/2	0.110	0.038	निजी	सिंचित	अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरूणोदय बरखेड़ी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
38	139/1	0.820	0.358	निजी	सिंचित	रामनूग्रह द्विवेदी पुत्र छोटेई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्यप्रदेश
39	139/2	0.510	0.297	निजी	सिंचित	सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनूग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
40	139/3	0.030	0.030	निजी	सिंचित	छोटीबाई बेवा प्रभुलाल एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
41	125/1	0.020	0.002	निजी	सिंचित	रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल
42	120	2.570	0.001	निजी	सिंचित	छोटेलाल पुत्र बटनलाल जाति देशवाली पता सा आवंला भोपाल
43	119/1	0.370	0.016	निजी	सिंचित	दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी-129 शाहपुरा सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल
44	138/1	1.000	0.429	निजी	सिंचित	राजेन्द्र नाहर पिता स्व.मानिकलाल नाहर एवं अन्य भोपाल मध्य
45	138/2	0.060	0.014	निजी	सिंचित	मुकेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता बड़झिरी सरवर हुजूर भोपाल
46	138/3	0.130	0.025	निजी	सिंचित	वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश
47	122/1	1.156	0.258	निजी	सिंचित	राजेन्द्र नाहर पिता स्व.मानिकलाल नाहर एवं अन्य भोपाल
48	122/2	0.060	0.034	निजी	सिंचित	मुकेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता बड़झिरी सरवर हुजूर
49	122/3	0.184	0.107	निजी	सिंचित	वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश
50	126/1	0.640	0.072	निजी	सिंचित	राजेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता निवासी ग्राम भोपाल
51	126/2	0.420	0.009	निजी	सिंचित	गीताबाई पुत्री रामकिशन सौरभबाई पुत्री रामकिशन जाति पवार सुनीताबाई पुत्री रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल
52	66	0.970	0.219	निजी	सिंचित	लीलाबाई पत्नी रमेन्द्रपाल एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी "
53	123/2	0.183	0.098	निजी	सिंचित	वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश
54	123/1/2	0.214	0.163	निजी	सिंचित	अनीता राठौर पत्नी के एल राठौर पता निवासी ग्राम दी 325/1 फूटि बाबड़ी पुष्पा नगर चांदबड़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
55	123/1/1	0.103	0.083	निजी	सिंचित	रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य
56	131/1	0.270	0.033	निजी	सिंचित	रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल
57	132/2	0.080	0.080	निजी	सिंचित	वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश
58	132/1/2	0.098	0.080	निजी	सिंचित	अनीता राठौर पत्नी के एल राठौर पता निवासी ग्राम दी
59	132/1/1	0.012	0.012	निजी	सिंचित	रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल
60	133/2	0.165	0.018	निजी	सिंचित	वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश
61	133/1/2	0.097	0.001	निजी	सिंचित	अनीता राठौर पत्नी के एल राठौर पता दी-325/1 फूटि बाबड़ी पुष्पानगर चांदबड़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी"
62	67	2.120	0.936	निजी	सिंचित	रामनाथ साहनी पिता दन्डू साहनी एवं अन्य पता भोपाल
63	69	0.430	0.036	निजी	सिंचित	शिरिष द्विवेदी पुत्र श्री आर जी द्विवेदी पता 71ई ए स्कीम न 54विजय नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			11.524			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-453-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- झागरीया खुर्द, का कुल रकबा 13.169 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- झागरीया खुर्द, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम- झागरीया खुर्द, रा.नि.न.- मुंगलिया छाप तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	173	1.530	0.587	निजी	सिंचित	मगन सिंह पिता आप सिंह जाति भीम पता नि. ग्राम भोपाल
2	245	2.280	0.126	निजी	सिंचित	शाबाना सुल्तान पत्नी तोफीक मो खान पता सा देह भोपाल
3	242/1	1.116	0.631	निजी	सिंचित	असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसाद मुगदल जाति ब्राह्मण पता निवासी नेहरू नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
4	189	0.860	0.320	निजी	सिंचित	"अखिलेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद पता सा देह भोपाल
5	188	0.800	0.603	निजी	सिंचित	"अखिलेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद पता सा देह भोपाल
6	187	0.330	0.114	निजी	सिंचित	आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल पता निवासी भोपाल
7	214	0.320	0.064	निजी	सिंचित	असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक भोपाल
8	211	0.550	0.334	निजी	सिंचित	असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक भोपाल
9	163	0.150	0.096	निजी	सिंचित	जसोदाबाई पत्नी अनोखीलाल जाति बलाई पता सा देह भोपाल
10	73	2.299	0.179	निजी	सिंचित	नीरेन्द्र उपाध्याय पिता सतीश उपाध्याय एवं अन्य पता भोपाल
11	241/1	0.621	0.130	निजी	सिंचित	असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसाद मुगदल जाति ब्राह्मण पता निवासी नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12	213	0.460	0.198	निजी	सिंचित	आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल पता भोपाल मध्य प्रदेश
13	212	0.140	0.115	निजी	सिंचित	असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक बरखेड़ी
14	240	0.210	0.108	निजी	सिंचित	देवेन्द्र मुदगल पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण पता भोपाल
15	238	0.120	0.084	निजी	सिंचित	विनोदसुरेश,हरीशाररुण,इन्द्रा उमा पिता रामप्रसाद एवं अन्य पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16	244	1.550	1.348	निजी	सिंचित	देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण झागरिया खुर्द भोपाल
17	172	1.210	0.457	निजी	सिंचित	विश्वनोई कल्लू विष्णुसिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18	252	0.090	0.090	निजी	सिंचित	"देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण झागरिया खुर्द भोपाल
19	243	0.250	0.215	निजी	सिंचित	असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसादमुगदल जाति ब्राह्मण पता निवासी नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20	251	1.120	0.368	निजी	सिंचित	देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण झागरिया खुर्द भोपाल
21	75	0.840	0.148	निजी	सिंचित	प्रहलाद पिता बुलाखी पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
22	186	0.240	0.021	निजी	सिंचित	आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल भोपाल मध्य प्रदेश
23	236	2.240	0.090	निजी	सिंचित	तोफिक मो खान पिता इकराम अहद खान पता नि अरेबियन कार्टेज गांधी भवन के पास भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24	239/1	2.390	1.129	निजी	सिंचित	विनोदसुरेश हरीशाररुण इन्द्राउमा पिता रामप्रसाद एवं अन्य भोपाल
25	239/2	0.670	0.499	निजी	सिंचित	श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी प्रमोद कुमार पता 53/2 शान्ती निकेतन भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26	101	14.230	2.899	निजी	सिंचित	शासकीय, फुंदीबाई पत्नी स्व. श्री देवी सिंह एवं अन्य भोपाल
27	77/2/3	0.200	0.006	निजी	सिंचित	सरोज शर्मा पत्नी डी पी शर्मा 68/1साउथ टी टी नगर भोपाल
28	77/2/4	0.204	0.090	निजी	सिंचित	डी भट्टाचार्य पिता सिरीन भट्टाचार्य नीतू भट्टाचार्य पत्नी डी भट्टाचार्य व्दारा के बी घाटी 43बी एकता बिहार अम्बाला हरियाणा
29	77/2/5	0.300	0.166	निजी	सिंचित	इस्माईल शोक्त दुरानी पिता आई एस दुरानी पता ए50 कोहेफिजा
30	162	3.980	0.637	निजी	सिंचित	शासकीय, जीतमल पिता रघुराज एवं अन्य स्वामी

31	74/1	1.300	0.687	निजी	सिंचित	कबीर चुघ पिता श्री हेमंत कुमार चुघ पता मकान क्रमांक 18 सचिदानंद नगर अन्नपूर्णा रोड सुदामा नगर इन्दौर मध्य प्रदेश
32	74/2/2	0.300	0.160	निजी	सिंचित	देवकली साकेत पत्नी ए आर साकेत पता ज्योति स्कूल राजीव गाँधी रोटरी वाल उद्यान नेहरू भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रीवा
33	74/2/3	0.200	0.134	निजी	सिंचित	सरोज शर्मा पत्नी डी पी शर्मा 68/1साउथ टी टी नगर भोपाल
34	74/2/4	0.150	0.107	निजी	सिंचित	डी भट्टाचार्य पिता सिरीन भट्टाचार्य एवं अन्य पता द्वारा के बी घाटी 43बीएकता बिहार अम्बाला केन्ट अम्बाला हरियाणा भूमि स्वामी
35	74/2/5	0.140	0.114	निजी	सिंचित	श्रीमती मोनागोविन्द उत्तमचन्दानी पत्नी गोविन्द जे उत्तम चन्दानी पता सोमवार पैठ पुणे महाराष्ट्र भूमि स्वामी
36	74/2/1	0.196	0.115	निजी	सिंचित	श्रीकान्त श्रीवास्तव पिता स्व पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव पता ए156 अलकापुरी भोपाल मध्य प्रदेश
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			13.169			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-455-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- मुण्डला, का कुल रकबा 8.042 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- मुंडला, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम- मुण्डला, रा.नि.न.- मुंगलिया छाप तहसील- हुजूर, जिला- भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	289/3	0.913	0.064	निजी	सिंचित	सन्तोष कुमार पिता बलदेव एवं अन्य मध्य प्रदेश भोपाल
2	274/1	0.619	0.332	निजी	सिंचित	जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल
3	274/2	0.931	0.430	निजी	सिंचित	कुंवरजीघनश्याम, ओमप्रकाश,दिनेश एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
4	263/2	1.215	0.062	निजी	सिंचित	धीसीलाल,कुंवर सिंह,भगवान सिंह आ.अमर सिंह मनकुंवरबाई देवा अमर सिंह एवं अन्य मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5	261	2.174	0.825	निजी	सिंचित	ज्ञानेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र लालजी उपाध्याय एवं अन्य भोपाल
6	271/2/3	0.493	0.274	निजी	सिंचित	पन्नालाल पुत्र धन्नालाल जाति चमार पता मूंडला हुजूर भोपाल
7	288	0.616	0.353	निजी	सिंचित	ज्ञानेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र लालजी उपाध्याय पता नि एफ जी 46 स्क्रीम नम्बर 54 न वजय नगर मध्य प्रदेश भोपाल
8	273	4.620	0.757	निजी	सिंचित	(273/1/1/1 शास.), श्रीमती धापूर्बाई देवा बाबूलाल एवं अन्य भोपाल
9	302	9.755	0.203	निजी	सिंचित	शान्ताबाई पुत्री भवरजी रामप्यारी बाई पुत्री भवरजी एवं अन्य भोपाल
10	290/3	20.896	2.752	निजी	सिंचित	(290/3/1 शास.), धीसीलाल,कान्ताप्रसाद पुत्र रामसिंह एवं अन्य
11	289/1	0.726	0.329	निजी	सिंचित	जमना प्रसाद पिता बलदेव एवं अन्य पता निवासी भोपाल
12	297/3	8.012	0.334	निजी	सिंचित	(297/3/1 शासकीय), मोहन सिंह शाताबाई रामकुंवरबाई पुत्र पुत्री राम सिंह एवं अन्य मध्यप्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13	277/1	2.020	1.218	निजी	सिंचित	कुंवरजी घनश्याम,ओमप्रकाश,दिनेश,सुमित्रा,सुलोचना पिता भवरजी एवं अन्य पता मूंडला हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14	277/2	0.392	0.077	निजी	सिंचित	जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल
15	275/1, 276	6.322	0.033	निजी	सिंचित	मानसिंह पुत्र मांगीलाल एवं अन्य पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			8.042			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलिंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे

क्र.-457-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- टीलाखेड़ी का कुल रकबा 5.997 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- टीलाखेड़ी, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम- टीलाखेड़ी, सा.नि.न.- मुंगलिया छाप तहसील- हुजूर, जिला-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.मै)	अर्जित रकबा (हे.मै)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	644	0.200	0.143	निजी	सिंचित	हेमन्त सिंह पुत्र स्व श्री केदार सिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
2	651	0.340	0.288	निजी	सिंचित	मोहन पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य
3	652	0.360	0.266	निजी	सिंचित	सोहन पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
4	653	0.360	0.234	निजी	सिंचित	श्वेशकुमार पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
5	663	0.200	0.095	निजी	सिंचित	मोहन पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
6	650	0.510	0.026	निजी	सिंचित	राजेश पुत्र गंगाराम जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
7	655	0.490	0.074	निजी	सिंचित	प्रीतम सिंह पुत्र रूप सिंह जाति खाती पता सा0देह भोपाल मध्य
8	654	0.720	0.455	निजी	सिंचित	मोहनसिंह पुत्र मांगीलाल एवं अन्य पता सा0देह भोपाल मध्यप्रदेश
9	661	0.340	0.160	निजी	सिंचित	गंगाप्रसाद पुत्र मूलचंद जाति खाती पता सा0देह भोपाल मध्यप्रदेश
10	676	0.890	0.621	निजी	सिंचित	हुकूमसिंह पिता हनुमंतसिंह जाति खाती पता सा0देह भोपाल
11	677	0.740	0.364	निजी	सिंचित	सुन्दरलाल पिता भगवत सिंह पता निगम भोपाल मध्यप्रदेश
12	687	0.080	0.080	निजी	सिंचित	ललित वर्मा पुत्र प्रेमनारायण एवं अन्य पता भोपाल मध्य प्रदेश
13	686	0.420	0.187	निजी	सिंचित	सुन्दरलाल पिता भगवत सिंह एवं अन्य पता नि ग्राम हुजूर भोपाल
14	730	1.250	0.836	निजी	सिंचित	शादीलाल पिता भगवत सिंह पता नि ग्राम हुजूर भोपाल
15	688	1.000	0.106	निजी	सिंचित	सुन्दरलाल पिता भगवत सिंह पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16	675	0.930	0.166	निजी	सिंचित	ललित वर्मा पुत्र प्रेमनारायण एवं अन्य पता हुजूर भोपाल
17	664	0.840	0.147	निजी	सिंचित	नारायणी बाई देवा देवीप्रसाद एवं अन्य पता सा0देह भोपाल
18	732	0.580	0.336	निजी	सिंचित	गंगाप्रसाद पुत्र मूलचंद जाति खाती पता सा0देह भोपाल
19	733	0.580	0.286	निजी	सिंचित	अनोखीलाल पुत्र मूलचंद जाति खाती पता सा0देह भोपाल
20	731	0.530	0.219	निजी	सिंचित	शादीलाल पिता भगवत सिंह पता नि ग्राम हुजूर भोपाल
21	729	0.350	0.016	निजी	सिंचित	शादीलाल पिता भगवत सिंह पता नि ग्राम हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश
22	646/1	0.390	0.002	निजी	सिंचित	सुमर्या जाफरी पुत्री संय्यद फरासत अली पत्नी संय्यद हसन अफजल पता 116 बी हजरत निजामुद्दीन नरेला शकरी भोपाल
23	642	0.720	0.001	निजी	सिंचित	गजराजसिंह पुत्र काशीराम जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
24	685	1.000	0.077	निजी	सिंचित	परसराम पुत्र कनीराम जाति खाती पता भोपाल मध्यप्रदेश
25	660	0.320	0.169	निजी	सिंचित	बालचंद पुत्र हनुमंतसिंह जाति खाती पता सा0देह भोपाल मध्यप्रदेश
26	662	0.170	0.072	निजी	सिंचित	मनीष कुमार पुत्र स्व श्री बाबूलाल जाति खाती पता टीलाखेड़ी
27	645/1	0.200	0.108	निजी	सिंचित	ऋषभ सिंह पुत्र आनंद सिंह पता 149 डी अम्बेडकर नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी साउथ टीटी नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
28	643/1	0.200	0.170	निजी	सिंचित	हेमन्त सिंह पुत्र स्व श्री केदार सिंह पता 403 डी अम्बेडकर नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी साउथ टीटी नगर भोपाल
29	643/2	0.120	0.120	निजी	सिंचित	आनन्द सिंह पुत्र स्व श्री केदार नाथ सिंह पता 403 डी अम्बेडकर नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी साउथ टीटी नगर भोपाल
30	643/3	0.200	0.168	निजी	सिंचित	ऋषभ सिंह पुत्र आनंद सिंह पता 149 डी अम्बेडकर नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी साउथ टीटी नगर भोपाल मध्यप्रदेश
31	684	1.230	0.004	निजी	सिंचित	परसराम पुत्र कनीराम जाति खाती पता भोपाल मध्यप्रदेश
प्रभावित रकबे का कुल योग-			5.997			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संय्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संय्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-459-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- जाटखेड़ी का कुल रकबा 3.411 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- जाटखेड़ी की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- जाटखेड़ी, रा.नि.न:- फन्दा कल्ले तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.मै)	अर्जित रकबा (हे.मै)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
1	328	1.780	0.601	निजी	सिंचित	रजलबाई बेवा रामप्रसाद कैलाश आत्मज रामप्रसाद एवं अन्य नि.
2	327	1.640	0.385	निजी	सिंचित	रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
3	241	0.410	0.022	निजी	सिंचित	रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
4	239	1.170	0.427	निजी	सिंचित	रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
5	245	0.400	0.273	निजी	सिंचित	जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
6	248	1.470	0.223	निजी	सिंचित	जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
7	232	0.430	0.027	निजी	सिंचित	कमल सिंह पिता केवल सिंह एवं अन्य नि.ग्राम भूमि स्वामी
8	230	0.220	0.170	निजी	सिंचित	राकेश पुत्र केवल सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
9	228	1.090	0.119	निजी	सिंचित	पंकज वर्मा पिता राधेश्याम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
10	231	0.090	0.002	निजी	सिंचित	पंकज वर्मा पिता राधेश्याम एवं अन्य निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	225	0.170	0.023	निजी	सिंचित	जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
12	229	0.800	0.575	निजी	सिंचित	बद्रीप्रसाद पिता केवल सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
13	326	0.070	0.008	निजी	सिंचित	रजलबाई बेवा रामप्रसाद कैलाश आत्मज रामप्रसाद एवं अन्य नि.
14	240	0.130	0.007	निजी	सिंचित	श्रीमती चन्दन बाई पत्नी किशोरी लाल एवं अन्य नि. ग्राम
15	242	0.230	0.005	निजी	सिंचित	रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
16	243	0.150	0.067	निजी	सिंचित	जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
17	244	0.650	0.422	निजी	सिंचित	पंकज वर्मा पिता राधेश्याम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
18	226	0.300	0.002	निजी	सिंचित	जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
19	329	0.120	0.053	निजी	सिंचित	धन सिंह पिता सुखराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
प्रभावित रकबा का कुल योग:-			3.411			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला-भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-461-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- खोकरिया का कुल रकबा 4.780 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- खोकरिया की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम- खोकरिया, रा.नि.:- फन्दा कलौ तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.मै)	अर्जित रकबा (हे.मै)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	295	1.620	0.745	निजी	सिंचित	अर्जुनसिंह पिता गंगाप्रसाद एवं अन्य जाति खाती नि. ग्राम
2	273	1.550	0.276	निजी	सिंचित	राजेन्द्र कुमार पिता गंगाप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
3	297	0.320	0.057	निजी	सिंचित	प्रभूलाल पिता खुशीलाल पता बोरखेडी भोपाल भूमि स्वामी मध्य प्रदेश
4	218	1.140	0.391	निजी	सिंचित	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल एवं अन्य निवासी ग्राम भोपाल भूमि
5	219/1	0.370	0.302	निजी	सिंचित	अनारसिंह पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल भूमि स्वामी
6	219/2	0.380	0.192	निजी	सिंचित	रामस्वरूप पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल
7	219/3	0.340	0.073	निजी	सिंचित	जगदीश प्रसाद पिता केवल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
8	219/4	0.370	0.004	निजी	सिंचित	महेन्द्रकुमार पिता लखनलाल एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
9	277/1	0.310	0.007	निजी	सिंचित	सज्जनसिंह पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्य प्रदेश
10	277/2	0.390	0.093	निजी	सिंचित	सज्जनसिंह पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्य प्रदेश
11	264	1.650	0.131	निजी	सिंचित	लीलाबाई पत्नी बापूलाल एवं अन्य नि. ग्राम
12	276/1	0.610	0.324	निजी	सिंचित	सज्जनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल
13	276/2	0.540	0.423	निजी	सिंचित	वद्रीप्रसाद पुत्र ज्ञानसिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
14	291/3	0.280	0.015	निजी	सिंचित	द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल
15	294	0.930	0.188	निजी	सिंचित	गंगाप्रसाद पिता भवरलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
16	221	0.750	0.294	निजी	सिंचित	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता खोकरिया हुजूर भोपाल
17	220/1	0.230	0.016	निजी	सिंचित	अनारसिंह पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
18	220/2	0.240	0.091	निजी	सिंचित	रामस्वरूप पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
19	220/3	0.290	0.167	निजी	सिंचित	जगदीश प्रसाद पिता केवल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
20	220/4	0.420	0.308	निजी	सिंचित	महेन्द्रकुमार पिता लखनलाल एवं अन्य निवासी ग्राम हुजूर भूमि
21	222	0.390	0.048	निजी	सिंचित	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
22	296/1	0.310	0.284	निजी	सिंचित	द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल भूमि स्वामी
23	296/2	0.720	0.346	निजी	सिंचित	द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल भूमि स्वामी
24	309/216	0.170	0.006	निजी	सिंचित	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता नि. भूमि स्वामी
प्रभावित रकबा का कुल योग:-			4.780			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला-भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमूदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-463-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- बोरखेड़ी का कुल रकबा 6.477 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है; इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- बोरखेड़ी की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- बोरखेड़ी, रा.नि.न.- फन्दा कलाँ तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.मै)	अर्जित रकबा (हे.मै)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	125,145/125	1.851	0.860	निजी	सिंचित	प्रेम सिंह पिता बाफूलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2	113/2	0.607	0.401	निजी	सिंचित	रमेश पुत्र सवाई सिंह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य
3	122	2.185	0.008	निजी	सिंचित	अर्जुन सिंह पिता खुशीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
4	131/1	0.311	0.245	निजी	सिंचित	रमेश पिता रामप्रसाद जाति गेहलोट बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
5	131/2	0.311	0.079	निजी	सिंचित	ज्ञानसिंह,प्रेमसिंह,सुनेरसिंह,पन्नालाल पुत्र शिवचरण एवं अन्य नि. ग्राम
6	131/3	0.311	0.001	निजी	सिंचित	प्रभूलाल पिता खुशीलाल जाति गेहलोट बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
7	126	3.889	0.079	निजी	सिंचित	दामोदर,सचिन पिता हरीचरण एवं अन्य नि. ग्राम
8	109/1	0.409	0.059	निजी	सिंचित	रमेश पिता रामप्रसाद जाति गेहलोट पता निवासी ग्राम
9	109/2	0.409	0.054	निजी	सिंचित	ज्ञानसिंह,प्रेमसिंह,सुनेरसिंह,पन्नालाल पुत्र शिवचरण एवं अन्य नि. ग्राम
10	109/3	0.405	0.086	निजी	सिंचित	प्रभूलाल पिता खुशीलाल जाति गेहलोट पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी
11	109/4	0.709	0.115	निजी	सिंचित	सीमाबाई पत्नी अर्जुन सिंह जाति मेवाड़ा पता नि ग्राम बोरखेड़ी
12	111/1/1, 112	1.103	0.167	निजी	सिंचित	मोरसिंह पुत्र हेमराज एवं अन्य पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13	111/1/2, 112	1.102	0.121	निजी	सिंचित	भादरसिंह पिता स्वरूपसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल भूमि स्वामी मध्य प्रदेश
14	111/1/3, 112	1.102	0.102	निजी	सिंचित	कुमेशसिंह पिता रामरतन एवं अन्य पता नि ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15	110/1	0.356	0.245	निजी	सिंचित	दामोदर सचिन मेवाड़ा पिता हरीचरण पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
16	110/2	0.713	0.508	निजी	सिंचित	प्रभूलाल पुत्र खुशीलाल एवं अन्य पता नि. ग्राम बोरखेड़ी हुजूर
17	110/3	0.356	0.275	निजी	सिंचित	नारायणसिंह पुत्र नरसिंह एवं अन्य पता नि.ग्राम बोरखेड़ी हुजूर
18	99,102	8.436	2.689	निजी	सिंचित	लखीचंद पिता बापू एवं अन्य पता नि. ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
19	116/7	0.274	0.146	निजी	सिंचित	धनसिंह,जमनाप्रसाद पिता हीरालाल जाति गेहलोट निवासी ग्राम
20	116/8	0.274	0.234	निजी	सिंचित	रामभरोसे पिता गोपीलाल जाति गेहलोट पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
21	30,31	1.263	0.003	निजी	सिंचित	रुकमणी बाई बेवा फूल सिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम मध्य प्रदेश
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			6.477			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला-भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-465-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- रसुलिया घाट का कुल रकबा 4.257 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- रसुलिया घाट की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम- रसुलिया घाट, रा.नि.न.- मुंगलिया छाप तहसील- हुजूर, जिला-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	66/2	1.090	0.005	निजी	सिंचित	श्यामलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
2	71	0.420	0.258	निजी	सिंचित	कैलाश पुत्र पन्नालाल जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश
3	75	0.340	0.289	निजी	सिंचित	हीरालाल पुत्र पन्नालाल जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्य
4	76/1	0.400	0.154	निजी	सिंचित	देवकुंवरबाई पत्नी बन्ने सिंह जाति गेहलोत पता सादेह भोपाल
5	76/2	0.490	0.005	निजी	सिंचित	दिनेश श्रीवास्तव एच यू एफ पुत्र के एन श्रीवास्तव पता नि 101 वासईराय पार्क ई 8 एक्सटेंशन गुलमोहर भोपाल मध्यप्रदेश
6	72	0.490	0.277	निजी	सिंचित	कैलाश पुत्र पन्नालाल एवं अन्य पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश
7	103	0.450	0.178	निजी	सिंचित	प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य पता भोपाल मध्य प्रदेश
8	104	0.140	0.081	निजी	सिंचित	कृष्णाबाई पुत्री अमर सिंह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
9	100	0.330	0.287	निजी	सिंचित	प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह 1/2 संतोषबाई पुत्र अमर सिंह 1/2 जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
10	101	0.150	0.037	निजी	सिंचित	शिवचरण पुत्र फतेह सिंह एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
11	69	0.400	0.304	निजी	सिंचित	विजयसिंह पुत्र गुरुबक्स एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12	102	0.610	0.095	निजी	सिंचित	प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह 1/2 संतोषबाई पुत्र अमर सिंह 1/2 जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
13	72/341	0.180	0.043	निजी	सिंचित	देवेन्द्र पुत्र भावसिंह एवं अन्य पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14	74	0.446	0.015	निजी	सिंचित	कैलाश पुत्र पन्नालाल एवं अन्य पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश
15	68	0.440	0.184	निजी	सिंचित	विजयसिंह पुत्र गुरुबक्स एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16	98	0.390	0.322	निजी	सिंचित	निविता पुत्री ओमप्रकाश एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
17	97	0.150	0.116	निजी	सिंचित	शिवचरण पुत्र फतेह सिंह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
18	99	0.390	0.068	निजी	सिंचित	निविता पुत्री ओमप्रकाश एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
19	267	0.110	0.025	निजी	सिंचित	संतोष पुत्र केशरी सिंह एवं अन्य पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश
20	266	0.630	0.089	निजी	सिंचित	संतोष पुत्र केशरी सिंह एवं अन्य पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश
21	271	0.420	0.106	निजी	सिंचित	नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
22	269	0.250	0.239	निजी	सिंचित	नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
23	270	0.670	0.257	निजी	सिंचित	नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
24	109	2.170	0.821	निजी	सिंचित	प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25	259	0.380	0.002	निजी	सिंचित	गोपी कृष्णश्रीधरन पिता कृष्णन श्रीधरन एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश
26	96	0.540	0.001	निजी	सिंचित	रेखा शर्मा पत्नी विमल शर्मा पता त्रिलंगा कोलर भोपाल मध्यप्रदेश
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			4.257			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका

सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-467-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- दूबड़ी का कुल रकबा 1.361 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- दूबड़ी की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- दूबड़ी, रा.नि.न.- फन्दा कलाँ तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	193	0.500	0.434	निजी	सिंचित	सम्पतबाई पुत्री रामलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भोपाल
2	192	0.250	0.054	निजी	सिंचित	प्रहलादसिंह पिता कालूराम एवं अन्य पता नि. ग्राम मध्य प्रदेश
3	190	0.630	0.511	निजी	सिंचित	राजेश पिता मुंशीलाल पता निवासी वार्ड न 03 म न 146 बेरागढ
4	194	0.200	0.051	निजी	सिंचित	राजलबाई बेवा मांगीलाल,मदनलाल पिता मांगीलाल एवं अन्य नि. ग्राम
5	189	0.520	0.253	निजी	सिंचित	कलीबाई बेवा रामगोपाल कृष्णा पिता रामगोपाल एवं अन्य नि. ग्राम
6	181	0.650	0.058	निजी	सिंचित	कलीबाई बेवा रामगोपाल कृष्णा पिता रामगोपाल एवं अन्य नि. ग्राम
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			1.361			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला-भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-469-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- पिपलिया धाकड का कुल रकबा 8.022 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- पिपलिया धाकड की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- पिपलिया धाकड, रा.नि.न.- फन्दा कलौं तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	439/2	0.850	0.006	निजी	सिंचित	घीसीलाल पिता लक्ष्मण सिंह जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी हुजूर
2	439/1	0.860	0.086	निजी	सिंचित	दामोदर पिता हरीचरण सचिन मेवाड़ा पिता हरीचरण बोरखेड़ी
3	428	0.540	0.009	निजी	सिंचित	ज्ञान सिंह पिता धनलाल जाति कारीगर पता पिपलिया धाकड हुजूर
4	284	0.540	0.353	निजी	सिंचित	राकेश मेवाड़ा पिता सुखराम मेवाड़ा पता नि. खजूरी सडक भोपाल
5	430	0.290	0.092	निजी	सिंचित	लखन सिंह पुत्र पर्वत सिंह जसरथ पुत्र पर्वत सिंह लसूडिया घाट
6	434	0.810	0.405	निजी	सिंचित	सजन सिंह पिता हनुमंत सिंह पता लसूडिया हुजूर भोपाल
7	429	1.200	0.686	निजी	सिंचित	श्रीमती धापूबाई पत्नी भागीरथ, श्रीमती मिश्रीबाई पत्नी पर्वत सिंह जाति मेवाड़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8	395	0.050	0.050	निजी	सिंचित	मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड हुजूर
9	393	0.450	0.051	निजी	सिंचित	मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड हुजूर
10	389	0.500	0.032	निजी	सिंचित	मूलचंद पिता गोपीलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड हुजूर
11	394	0.260	0.244	निजी	सिंचित	मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड हुजूर
12	388	0.070	0.070	निजी	सिंचित	मूलचंद पिता गोपीलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड हुजूर
13	387	0.260	0.222	निजी	सिंचित	मूलचंद पिता गोपीलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड भोपाल
14	386/1/1	0.141	0.119	निजी	सिंचित	अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजूरी सडक
15	386/1/3	0.186	0.170	निजी	सिंचित	श्रीमती विमलाबाई पत्नी ज्ञानसिंह मेवाड़ा पता हुजूर भोपाल
16	386/1/2	0.093	0.051	निजी	सिंचित	अनिल पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजूरी सडक हुजूर
17	386/2	0.120	0.014	निजी	सिंचित	रमेश पिता उमरावसिंह जाति विश्वकर्मा पता नि बरखेड़ा नाथू
18	396	0.260	0.090	निजी	सिंचित	मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड हुजूर
19	376	0.780	0.004	निजी	सिंचित	रामप्रीत पिता धनई पता म.न एच सर्वोदय कॉलोनी सीटीओ बैरागढ़
20	377/1	0.246	0.065	निजी	सिंचित	दुर्गादास पिता नारायणदास जाति बैरागी निवासी ग्राम पिपलिया
21	377/2	0.404	0.040	निजी	सिंचित	राम प्रीत पिता श्री धनई प्रसाद पता सर्वोदय कालोनी बैरागढ़
22	463/1/1	0.074	0.004	निजी	सिंचित	अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजूरी सडक
23	381/1/1	0.424	0.382	निजी	सिंचित	अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजूरी सडक
24	381/1/3	0.430	0.129	निजी	सिंचित	श्रीमती विमलाबाई पत्नी ज्ञानसिंह मेवाड़ा पता हुजूर भोपाल
25	381/1/2	0.423	0.002	निजी	सिंचित	अनिल मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजूरी सडक
26	379/1	0.170	0.065	निजी	सिंचित	अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजूरी सडक
27	378/2	0.404	0.269	निजी	सिंचित	बालेश मारण नाबा पिता हनुमंत सिंह मारण एवं अन्य पता निवासी
28	285	0.210	0.118	निजी	सिंचित	राकेश मेवाड़ा पिता सुखराम मेवाड़ा पता नि. खजूरी सडक भोपाल
29	286	0.340	0.152	निजी	सिंचित	सरजू बाई वि.इमरत सिंह सूरजबाई वि. बालमुकुन्द जाति धाकड

30	283	0.210	0.091	निजी	सिंचित	राधेश्याम पिता करन सिंह जाति धाकड़ पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
31	281	0.240	0.143	निजी	सिंचित	सायित्री पत्नी श्री ज्ञान सिंह पता ग्राम पिपलिया धाकड़ हुजूर
32	282	0.140	0.140	निजी	सिंचित	हुकम सिंह पुत्र अमर सिंह जाति धाकड़ पता भोपाल मध्य प्रदेश
33	264	1.410	0.008	निजी	सिंचित	राकेश मेवाड़ा पिता श्री सुखराम मेवाड़ा पता खजूरी सड़क भोपाल
34	263	0.100	0.025	निजी	सिंचित	राकेश मेवाड़ा पिता श्री सुखराम मेवाड़ा पता खजूरी सड़क भोपाल
35	262	1.580	0.712	निजी	सिंचित	सुखराम पिता नन्मूलाल पता खजूरी सड़क भोपाल मध्य प्रदेश
36	207/1	0.312	0.239	निजी	सिंचित	मोहन दास पिता भगवानदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम
37	207/2	0.312	0.117	निजी	सिंचित	सोहन दास पुत्र भगवानदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भोपाल
38	207/3	0.312	0.004	निजी	सिंचित	मनोहर दास पुत्र भगवानदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम
39	190	0.490	0.020	निजी	सिंचित	प्रहलाद सिंह प्रजापति पिता काशीराम प्रजापति पिपलिया धाकड़
40	188	0.990	0.043	निजी	सिंचित	सुभाष कुमार प्रजापति पुत्र प्रहलाद सिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम
41	179	0.750	0.405	निजी	सिंचित	घनश्याम पिता रामदयाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भोपाल
42	178/1	0.850	0.223	निजी	सिंचित	हरीनारायण पिता रामदयाल जाति मीना पता नि. भोपाल मध्य प्रदेश
43	178/2	0.100	0.082	निजी	सिंचित	घनश्याम पिता रामदयाल जाति मीना पता निवासी भोपाल
44	167	0.180	0.014	निजी	सिंचित	घनश्याम पिता रामदयाल एवं अन्य पता नि. ग्राम भोपाल म.प्र.
45	158/1	1.200	0.011	निजी	सिंचित	शंकर पिता गोपी, पईया बाई पत्नी शंकर पता नि. ग्राम भोपाल म.प्र.
46	28/1	0.150	0.063	निजी	सिंचित	गंगाराम पिता कनीराम जाति दरोई पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
47	8	0.820	0.820	निजी	सिंचित	गंगाराम पिता कनीराम जाति दरोई पता नि ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
48	9	0.780	0.262	निजी	सिंचित	गंगाराम पिता कनीराम जाति दरोई पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
49	6	0.360	0.192	निजी	सिंचित	अपूर्व लोया पिता डा.बी.एम.लोया एवं अन्य पता नि बैरागढ़ भोपाल
50	12	0.470	0.056	निजी	सिंचित	हेमराज पिता छीतू रामबाई पत्नी हेमराज जाति दरोई पता नि.ग्राम
51	5/1	0.250	0.226	निजी	सिंचित	रामनाथ सिंह पिता वीरमान जाति बलाई पता नि.ग्राम भोपाल मध्य
52	5/2	0.250	0.144	निजी	सिंचित	रीत तेजवानी पत्नी मनीष तेजवानी एवं अन्य पता बैरागढ़ भोपाल
53	278	0.320	0.001	निजी	सिंचित	हुकुम सिंह पिता अमर सिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भोपाल
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			8.022			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला-भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवसुदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 80 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-471-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- फन्दा कलौं, का कुल रकबा 14.681 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- फन्दा कलौं, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- फन्दा कलौं, रा.नि.न:- फन्दा कलौं तहसील:- हुजूर, जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	971	0.861	0.170	निजी	सिंचित	दुलेसिंह पिता दिलीपसिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
2	983	2.346	0.501	निजी	सिंचित	महेन्द्र पुत्र गेंदालाल एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
3	984	0.417	0.298	निजी	सिंचित	महेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता एवं अन्य पता नि. ग्राम
4	982/1	1.619	0.357	निजी	व्यपवर्तित (आवासीय, सिंचित)	जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
5	982/2	1.619	0.659	निजी	व्यपवर्तित (आवासीय, सिंचित)	जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
6	979	0.915	0.096	निजी	सिंचित	तरविन्दर सिंह पिता सरदार एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
7	970	2.885	0.841	निजी	आवासीय, सिंचित	दुले सिंह पिता दिलीप सिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
8	980/1/1	0.381	0.177	निजी	सिंचित	श्रीमती मनीषा जोहरी पत्नी दिलीप जोहरी पता पीरगेट भोपाल
9	980/1/2	0.161	0.139	निजी	सिंचित	प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार पता पीरगेट भोपाल मध्य प्रदेश
10	980/2	0.995	0.851	निजी	सिंचित	वैदिक सिंहल पत्नी स्व दिलीप कुमार सिंहल एवं अन्य नि. ग्राम
11	980/1/3	0.405	0.001	निजी	सिंचित	श्रीमती श्यामलता जौहरी पत्नी अशोक कुमार जौहरी हुजूर
12	978	1.501	0.047	निजी	आवासीय	जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी पता नि. ग्राम
13	909/2/3	0.810	0.050	निजी	सिंचित	संजय कश्यप पुत्र राजेंद्र कश्यप पता फन्दा कलौं हुजूर भोपाल
14	909/2/1/1/1/2	0.141	0.030	निजी	व्यपवर्तित (व्यवसायिक, सिंचित)	प्रेमनारायण पिता हरकिशन एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
15	909/2/1/2/1	0.047	0.002	निजी	सिंचित	हेमलतासिंह पत्नी रामाश्रय सिंह पता महाराणा प्रताप नगर वार्ड न 09 श्यामपुर फन्दा कलौं हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16	986	2.950	0.272	निजी	सिंचित	(186/1 शासकीय) ज्योति पत्नी परशोत्तमदास भोजवानी एवं अन्य
17	409	2.358	0.804	निजी	सिंचित	श्रीमति आरती परमानी पत्नी किशोर परमानी एवं अन्य नि. ग्राम
18	431	2.101	0.219	निजी	सिंचित	अनिल परमानी पुत्र गागनदास एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
19	382/1	1.408	0.029	निजी	सिंचित	सुनील पुत्र जोहरीमल पारेख एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
20	383	1.684	0.340	निजी	सिंचित	(383/1/2 शास.) रुचि अग्रवाल पत्नी अशविनी अग्रवाल एवं अन्य
21	387	0.377	0.332	निजी	सिंचित	(387/2 शासकीय) हरमेहन्द्र पुत्र सरदार शोभा सिंह एवं अन्य
22	388	0.770	0.074	निजी	सिंचित	(388/2/2 शासकीय) कुलदीप पत्नी करतार सिंह एवं अन्य
23	389/1/1	0.194	0.012	निजी	सिंचित	शीतल राठौर पुत्र प्रकाश राठौर पता फन्दा कलौं हुजूर भोपाल
24	389/1/2	1.214	1.137	निजी	सिंचित	संजय मिश्रा पुत्र हरीराम सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
25	389/3	0.809	0.409	निजी	सिंचित	सुशीला सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
26	389/2/1	0.486	0.419	निजी	व्यपवर्तित (व्यवसायिक, सिंचित)	मोहम्मद शाहवर पिता अब्दुलजलील एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
27	396	3.160	0.037	निजी	व्यपवर्तित (आवासीय, सिंचित)	करन सिंह पुत्र राजमल एवं अन्य पता फन्दा कलौं हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,

28	395	0.356	0.033	निजी	सिंचित	सिटी इन्फार्बेचर प्रा.लि.द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ.कुजबिहारी अग्रवाल पता एम.पी.नगर जोन-1 भोपाल भूमि स्वामी
29	394	0.466	0.009	निजी	सिंचित	सिटी इन्फार्बेचर प्रा.लि.द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ. कुजबिहारी अग्रवाल पता नि.एम.पी.नगर जोन-1 भोपाल
30	390/2	0.809	0.413	निजी	सिंचित	श्रीमती अलका अग्रवाल पत्नी प्रदीप अग्रवाल एवं अन्य पता भोपाल
31	406/1	0.348	0.166	निजी	सिंचित	कुनाल अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल एवं अन्य पता भोपाल
32	406/1/3	0.522	0.119	निजी	व्यपवर्तित (व्यवसायिक, सिंचित)	जयराम दावानी पुत्र धनराजमल दावानी एवं अन्य पता भोपाल
33	406/1/4	0.433	0.050	निजी	सिंचित	घनश्याम सराफ, हुकुमचन्द, सराफ, वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आ. नारायण सिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी
34	406/1/5	0.210	0.026	निजी	सिंचित	घनश्याम सराफ, हुकुमचन्द सराफ, वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आ. नारायण सिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी
35	406/2	0.405	0.003	निजी	सिंचित	रामकुमार मंशानी पुत्र ए.जी. मंशानी एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
36	407	3.522	3.506	निजी	व्यपवर्तित (व्यवसायिक, सिंचित)	(407/1/1/2 शासकीय) जयराम दावानी पुत्र धनराजमल दावानी एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
37	985	0.595	0.595	निजी	सिंचित	महेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता एवं अन्य नि. ग्राम
38	981	1.845	1.459	निजी	सिंचित	मेसर्स नयासा डेवलपर्स अभितेष जैन एवं अन्य पता नि. भोपाल म.प्र.
39	963/3	0.096	0.001	निजी	सिंचित	चंदनसिंह पुत्र भागीरथ जाति गेहलोत पता फन्दा कलाँ भोपाल
40	963/4	0.096	0.001	निजी	सिंचित	राकेश पुत्र भागीरथ पता फन्दा कलाँ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			14.681			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला-भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विव्गम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-473-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- नरेला, का कुल रकबा 10.377 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- नरेला, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम- नरेला, रा.नि.न.- मुंगलिया छाप तहसील- हुजूर, जिला- भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	562	0.780	0.012	निजी	सिंचित	विनोदकुमार पुत्र छीतूलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
2	577/1	0.820	0.007	निजी	सिंचित	विक्रमसिंह पिता करनसिंह जाति खाती पता सा देह हुजूर भोपाल
3	606	0.440	0.030	निजी	सिंचित	मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
4	610	0.370	0.163	निजी	सिंचित	मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
5	631/1	0.210	0.017	निजी	सिंचित	सीताराम पुत्र माखन सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
6	631/2	0.370	0.016	निजी	सिंचित	धीसीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम नरेला हुजूर
7	633	0.080	0.080	निजी	सिंचित	राधेश्याम पुत्र काशीराम पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि
8	634	0.080	0.027	निजी	सिंचित	राधेश्याम पुत्र काशीराम पता निवासी ग्राम भोपाल
9	636	0.240	0.006	निजी	सिंचित	श्रीमती कौशल्या वर्मा पत्नी भगवान सिंह जाति खाती भोपाल
10	632	0.120	0.120	निजी	सिंचित	राधेश्याम पुत्र काशीराम पता निवासी ग्राम भोपाल
11	604	0.270	0.270	निजी	सिंचित	मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी
12	607	0.330	0.287	निजी	सिंचित	मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता भोपाल
13	603	0.190	0.086	निजी	सिंचित	जगदीश पुत्र छोडेराम जाति घोषी भोपाल
14	549/1	0.690	0.014	निजी	सिंचित	गजराज सिंह पुत्र मूरत सिंह जाति खाती भोपाल
15	540/1	0.520	0.438	निजी	सिंचित	कूपालसिंह पुत्र इमरतलाल पता सा0देह भोपाल मध्यप्रदेश
16	540/2	0.510	0.225	निजी	सिंचित	विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा0देह भोपाल मध्यप्रदेश
17	516	0.150	0.124	निजी	सिंचित	मानोबाई बेवा इमरतलाल जाति खाती पता सा0देह भोपाल
18	547	0.910	0.297	निजी	सिंचित	विनोद पुत्र इमरतलाल एवं अन्य सा0देह भोपाल
19	641	0.970	0.606	निजी	सिंचित	(641/1 शासकीय भूमि), राधेश्याम पुत्र काशीराम भोपाल
20	594	0.260	0.221	निजी	सिंचित	गंगाप्रसाद पुत्र हजारीलाल पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
21	593	0.260	0.224	निजी	सिंचित	गंगाप्रसाद पुत्र हजारीलाल पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
22	563	1.450	0.814	निजी	सिंचित	फूलसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य पता नि0ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
23	573/1	0.330	0.064	निजी	सिंचित	शिवनारायण पुत्र जालम सिंह पता सा. देह सा0देह भोपाल
24	573/2	0.370	0.104	निजी	सिंचित	फूलसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य पता नि0ग्राम भोपाल
25	539	0.120	0.024	निजी	सिंचित	अनारसिंह पुत्र हेमराज जाति खाती पता सा0देह भोपाल
26	538	1.010	0.635	निजी	सिंचित	दिनेश पुत्र हेमराज जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
27	541/1	0.420	0.030	निजी	सिंचित	कूपालसिंह पुत्र इमरतलाल पता सा0देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
28	518/3	0.460	0.001	निजी	सिंचित	शादीलाल पुत्र इमरतलाल पता सा0देह भोपाल
29	518/4	0.220	0.040	निजी	सिंचित	मानोबाई बेवा इमरतलाल एवं अन्य पता नि. भोपाल
30	519/1	0.800	0.020	निजी	सिंचित	कूपालसिंह पुत्र इमरतलाल पता सा0देह भोपाल
31	519/2	0.300	0.061	निजी	सिंचित	विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा0देह भोपाल
32	566	0.850	0.078	निजी	सिंचित	मोहितवर्मा पिता शिवनारायण जाति खाती भोपाल मध्यप्रदेश २
33	597	0.420	0.171	निजी	सिंचित	सुशीलाबाई बारकलाबाई चन्द्रकलाबाई पिता करनसिंह जाति खाती पता हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
34	574	0.430	0.086	निजी	सिंचित	रोहित वर्मा पिता शिवनारायण जाति खाती पता निवासी भोपाल
35	575	0.640	0.435	निजी	सिंचित	रोहितवर्मा पिता शिवनारायण जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल

36	576/1	0.640	0.502	निजी	सिंचित	विक्रमसिंह पिता करनसिंह जाति खाती पता सा देह हुजूर भोपाल
37	576/2	0.640	0.058	निजी	सिंचित	हरीप्रसाद पिता करन सिंह जाति खाती पता सा देह भोपाल
38	596	0.260	0.180	निजी	सिंचित	गंगाप्रसाद पुत्र हजारीलाल पता निवासी ग्राम भोपाल
39	595	0.100	0.088	निजी	सिंचित	जगदीश पुत्र छोडेराम जाति धोबी पता निवासी ग्राम भोपाल
40	511	0.280	0.107	निजी	सिंचित	श्यामलाल पुत्र हरीनारायण जाति खाती पता सा0देह भोपाल
41	548/1	0.700	0.449	निजी	सिंचित	भोजराज वर्मा पुत्र निवासी ग्राम जाति खाती भोपाल
42	548/2	0.350	0.002	निजी	सिंचित	लखनलाल पुत्र अमर सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
43	564/1	1.520	0.919	निजी	सिंचित	रमेश ज्ञानसिंह शांताबाई पिता हरप्रसाद जाति खाती पता नरेला हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
44	564/2	0.070	0.002	निजी	सिंचित	नर्बदाप्रसाद पिता माधो सिंह पता 48 नरेला हुजूर भोपाल
45	550	0.270	0.038	निजी	सिंचित	प्रहलादसिंह पुत्र मूरत सिंह जाति खाती पता सा0देह भोपाल
46	517/1	0.330	0.130	निजी	सिंचित	विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा0देह भोपाल मध्य प्रदेश
47	517/2	0.520	0.405	निजी	सिंचित	शादीलाल पुत्र इमरतलाल पता सा0देह भोपाल मध्यप्रदेश
48	517/3	0.120	0.111	निजी	सिंचित	मानोबाई बेवा इमरतलाल जाति खाती पता सा0देह भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
49	515	1.420	0.370	निजी	सिंचित	शादीलाल पुत्र इमरतलाल एवं अन्य पता सा0देह भोपाल मध्य प्रदेश
50	543/1	0.120	0.031	निजी	सिंचित	विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा0देह भोपाल मध्य प्रदेश
51	543/2	0.500	0.019	निजी	सिंचित	शादीलाल पुत्र इमरतलाल पता सा0देह भोपाल मध्य प्रदेश
52	605	0.400	0.185	निजी	सिंचित	मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
53	710	0.340	0.289	निजी	सिंचित	जगदीश वर्मा पुत्र देवकरण वर्मा एवं अन्य म.न. 156 ग्राम मुंडला
54	711	0.350	0.350	निजी	सिंचित	श्रीमति लक्षणा वर्मा पत्नी जीतेन्द्र कुमारवर्मा पता ग्राम नरेला हुजूर
55	713	0.270	0.005	निजी	सिंचित	जगदीश वर्मा पुत्र देवकरण वर्मा एवं अन्य म.न. 156 ग्राम मुंडला
56	712	0.290	0.072	निजी	सिंचित	श्रीमति लक्षणा वर्मा पत्नी जीतेन्द्र कुमारवर्मा नरेला हुजूर भोपाल
57	708	0.660	0.060	निजी	सिंचित	लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय सिंह जाति खाती भोपाल
58	709	0.660	0.160	निजी	सिंचित	लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय सिंह जाति खाती भोपाल
59	707	0.790	0.001	निजी	सिंचित	महेशप्रसाद पुत्र राम सिंह जाति खाती पता नरेला भोपाल
60	601	0.250	0.008	निजी	सिंचित	जगदीश पुत्र छोडेराम जाति धोबी पता निवासी ग्राम भोपाल
61	529	1.090	0.002	निजी	सिंचित	अनारसिंह पुत्र हेमराज जाति खाती पता सा0देह भोपाल
62	537/2	0.190	0.001	निजी	सिंचित	दिनेश पुत्र हेमराज जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			10.377			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

क्र.-2398-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- कोलार के 04 ग्रामों की कुल 38.431 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

अतः भोपाल जिले की तहसील- कोलार के कुल 04 ग्रामों की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- पंचामा रा.नि.न.:- कोलार तहसील:-कोलार जिला:-भोपाल						
क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे. में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
1	64/1	1.200	0.045	निजी	सिंचित	निर्मयसिंह पुत्र भगवानदास, महेशसिंह पुत्र हरीप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2	56	1.220	0.787	निजी	सिंचित	पन्नालाल पिता रामचन्द्र जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3	50	0.750	0.044	निजी	सिंचित	पन्नालाल पिता रामचन्द्र जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	55	1.330	0.729	निजी	सिंचित	शिवनारायण पिता गंगाराम जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5	53	1.440	0.024	निजी	सिंचित	गायत्रीबाई पत्नि गोरेलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6	65/1	0.900	0.642	निजी	सिंचित	अर्जुनसिंह पिता हरीसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7	65/2	0.920	0.250	निजी	सिंचित	दीनदयाल पिता मानसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8	49/1	0.580	0.458	निजी	सिंचित	हरीसिंह पिता नाथूराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9	49/2/1	0.400	0.032	निजी	सिंचित	नारायणसिंह पिता रामचन्द्र जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10	77	2.060	0.697	निजी	सिंचित	मानसिंह पुत्र नेतराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	76	1.110	0.302	निजी	सिंचित	रामदयाल पुत्र भग्गा एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
12	259	0.750	0.168	निजी	सिंचित	रामदयाल पुत्र भग्गा एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
13	263/1	0.160	0.070	निजी	सिंचित	पन्नालाल पिता नेतराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14	263/2/1	0.340	0.178	निजी	सिंचित	ग्यारसीबाई बेवा श्यामलाल, घिसियाबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	263/2/2/2	0.210	0.163	निजी	सिंचित	भागवतीबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16	263/2/2/1	0.140	0.130	निजी	सिंचित	ग्यारसीबाई बेवा श्यामलाल, घिसियाबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17	260	0.760	0.402	निजी	सिंचित	पन्नालाल पुत्र नेतराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
18	270/1	0.650	0.404	निजी	सिंचित	कालूराम पुत्र हरप्रसाद जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
19	270/2	0.290	0.138	निजी	सिंचित	सजनसिंह पिता हरप्रसाद जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20	272/1	0.260	0.184	निजी	सिंचित	कालूराम पुत्र हरप्रसाद जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21	272/2	0.340	0.236	निजी	सिंचित	सजनसिंह पिता हरप्रसाद जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
22	272/3	0.500	0.011	निजी	सिंचित	दिनेश पिता हरप्रसाद जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
23	264/1/1	0.040	0.015	निजी	सिंचित	भागवतीबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
24	264/1/2	0.040	0.015	निजी	सिंचित	भागवतीबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

25	264/2/2	0.404	0.404	निजी	सिंचित	वंशिता मिश्रा पत्नी श्री वेदांत मिश्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
26	264/2/1	0.476	0.006	निजी	सिंचित	वंशिता मिश्रा पत्नी श्री वेदांत मिश्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
27	268	0.400	0.085	निजी	सिंचित	विशानलाल पिता कालूराम एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
28	265	0.700	0.289	निजी	सिंचित	रामदयाल पुत्र भग्गा एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
29	271/1	0.290	0.024	निजी	सिंचित	सजनसिंह पिता हरप्रसाद जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
30	267	2.290	0.451	निजी	सिंचित	श्रीमती प्रेमबाई पत्नि टन्टीलाल ग्वाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			7.381			

ग्राम:- शोभापुर जहेज, रा.नि.न.:- कोलार
तहसील:-कोलार, जिला:-भोपाल

क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे. में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	197	0.140	0.140	निजी	सिंचित	परमोबाई बेवा सुन्दरलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
2	201/1	1.910	0.166	निजी	सिंचित	भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
3	199	0.080	0.080	निजी	सिंचित	भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
4	198	0.080	0.080	निजी	सिंचित	भगवानसिंह पिता मदनलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
5	195	0.020	0.020	निजी	सिंचित	मुल्लोबाई पत्नि शिवप्रसाद जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
6	196	0.080	0.080	निजी	सिंचित	परमोबाई बेवा सुन्दरलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
7	156	0.230	0.134	निजी	सिंचित	शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
8	157	0.100	0.072	निजी	सिंचित	शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
9	152-155/5	0.900	0.006	निजी	सिंचित	श्रीमती फूलवतीबाई बेवा नेमीचन्द एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
10	152-155/6	0.900	0.280	निजी	सिंचित	डालचन्द पिता जयकिशन एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
11	151	2.770	0.936	निजी	सिंचित	शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
12	161	0.110	0.108	निजी	सिंचित	घनश्याम पुत्र सुन्दरलाल जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
13	158/1	0.180	0.180	निजी	सिंचित	शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
14	158/2	1.840	0.753	निजी	सिंचित	घनश्याम पुत्र सुन्दरलालपता एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
15	162	2.690	1.133	निजी	सिंचित	श्रीमती गीता भार्गव पत्नि स्व. श्री मदनगोपाल भार्गव एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
16	160	1.190	0.063	निजी	सिंचित	घनश्याम पुत्र सुन्दरलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17	193	0.990	0.010	निजी	सिंचित	टीकाराम पिता खूबीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
18	194	0.590	0.308	निजी	सिंचित	मुल्लोबाई पत्नि शिवप्रसाद जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
19	200	0.400	0.080	निजी	सिंचित	भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			4.628			

ग्राम:- गोल, रा.नि.न.:- कोलार
तहसील:-कोलार, जिला:-भोपाल

क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे. में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	367	1.600	0.482	निजी	असिंचित व्यावसायिक /	सुंदरलाल पुत्र पूरनलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
2	410	0.990	0.568	निजी	सिंचित	भैयालाल पुत्र सदराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
3	409	0.640	0.447	निजी	सिंचित	राधेश्याम पुत्र अभयराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
4	366	1.820	0.565	निजी	सिंचित	श्रीमती संगीता श्रीवास्तव पत्नी राजीव श्रीवास्तव एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
5	415	0.610	0.356	निजी	सिंचित	खनाराम पुत्र बालाप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
6	414	0.260	0.064	निजी	सिंचित	श्रीमती रुबी त्रिपाठी पत्नी पवन त्रिपाठीपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
7	411	0.590	0.494	निजी	सिंचित	राधेश्याम पुत्र अभयराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
8	20	2.820	0.979	निजी	सिंचित	अभिषेक द्विवेदी पुत्र श्री रविकान्त द्विवेदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
9	321	2.370	0.969	निजी	व्यावसायिक	हरीप्रसाद पिता सद्दीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

10	17/2	0.303	0.020	निजी	सिंचित	रमाकान्त चौबे पुत्र स्व. सरजू प्रसाद चौबे निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
11	24	4.135	0.646	निजी	सिंचित	शबाना बेगम बेवा मतीन मोहम्मद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
12	24/1/1/1/2	0.405	0.343	निजी	सिंचित	श्रीमती अमृता चौबे पत्नी अतुल चौबे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
13	18	1.130	0.129	निजी	सिंचित	भैयालाल पुत्र सदाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
14	338	0.270	0.130	निजी	सिंचित	मोहम्मद अयाज पिता मुस्ताक अहमद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
15	297	1.610	0.575	निजी	सिंचित	संजय कुमार तिवारी आ.दयारांकर तिवारी एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16	19	2.000	0.048	निजी	सिंचित	शशी बेवा कमलसिंह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
17	337/1	1.465	0.540	निजी	सिंचित	मोहम्मद अयाज पिता मुस्ताक अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
18	337/2	1.465	0.589	निजी	सिंचित	मोहम्मद रियाज पिता मुस्ताक अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
19	336	1.020	0.176	निजी	सिंचित	बसंतलाल पुत्र पिता रामप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
20	334	0.140	0.052	निजी	सिंचित	विमल लोधी पुत्र आ. लक्ष्मीनारायण लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
21	365	2.190	1.184	निजी	सिंचित	जमनाप्रसाद लोधी पिता बट्टीप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
22	361	1.750	0.025	निजी	सिंचित	कमरलाल पिता रामलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
23	406	0.210	0.210	निजी	सिंचित	कालूराम मीना पुत्र आ. रामदयाल मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
24	405	1.400	0.178	निजी	सिंचित	सीताराम पिता अभय राम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
25	333/1	0.600	0.600	निजी	सिंचित	हरीनारायण पिता हरप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
26	412/3	0.210	0.021	निजी	सिंचित	श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी अभित सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
27	23	1.950	0.077	निजी	सिंचित	कमलेश पिता चम्पालाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
28	373	0.110	0.030	निजी	व्यावसायिक	रानी श्रीवास्तव पत्नी मनोज श्रीवास्तव पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
29	407	0.720	0.018	निजी	सिंचित	थान सिंह पुत्र मिश्रीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			10.512			

ग्राम:- कालापानी, रा.नि.न.:- कोलार
तहसील:-कोलार, जिला:-मोपाल

क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.मै)	अर्जित रकबा (हे.मै)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	198	0.670	0.437	निजी	सिंचित	अनूपकुमार बागोरा पिता गंगाराम बागोरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2	195/2	0.400	0.075	निजी	सिंचित	श्रीमती शोभा पत्नी अमृतलाल रजक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3	195/3	0.230	0.221	निजी	सिंचित	श्रीमती जमना देवी पत्नी एच एल कन्नोजिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	199	0.780	0.055	निजी	सिंचित	अनूपकुमार बागोरा पिता गंगाराम बागोरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5	188/1	0.400	0.363	निजी	सिंचित	श्रीमती जमना देवी पत्नी एच एल कन्नोजिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6	188/2	0.170	0.170	निजी	सिंचित	श्रीमती जमना देवी पत्नी एच एल कन्नोजिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7	186	0.530	0.472	निजी	सिंचित	दुले सिंह पिता गोपीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
8	161	0.430	0.355	निजी	सिंचित	कैलास पुत्र दसरत जाति लोडा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9	163	0.560	0.409	निजी	सिंचित	जगदीश पुत्र चतरा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10	166	1.200	0.662	निजी	सिंचित	संदीप पुत्र सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	165	1.560	0.652	निजी	सिंचित	संजय आ. सीताराम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
12	128	1.980	0.080	निजी	सिंचित	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13	287	0.540	0.047	निजी	सिंचित	दिनेश शंकर माथुर पुत्र दुर्गेश शंकर माथुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14	282/1	0.940	0.013	निजी	असिंचित	श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व.सौरभ गर्ग एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
15	282/2	0.260	0.013	निजी	सिंचित	श्रीमती हरलीन गुलियानी पत्नी बी एस गुलियानी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

1

16	283	0.200	0.019	निजी	सिंचित	श्रीमती हरलीन गुलयानी पत्नी बी एस गुलयानी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
17	200	0.160	0.082	निजी	सिंचित	अनूपकुमार बागोरा पिता गंगाराम बागोरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
18	96	0.500	0.012	निजी	सिंचित	नितिन अग्रवाल पिता रघुनन्दन अग्रवाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
19	97	0.500	0.020	निजी	सिंचित	महानंद सत्यन पुत्र बी सत्यन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
20	102	0.046	0.024	निजी	असिंचित	कैलाशनाथ शुक्ल पिता रामबदन शुक्ल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
21	286	0.210	0.030	निजी	सिंचित	श्रीमती हरलीन गुलयानी पत्नी बी एस गुलयानी एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
22	100	0.230	0.230	निजी	असिंचित	श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी प्रेम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
23	408/1	0.060	0.009	निजी	सिंचित	भूपेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
24	98	0.500	0.430	निजी	सिंचित	योगानंद सत्यन पुत्र बी सत्यन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
25	407	1.200	0.504	निजी	सिंचित	भूपेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
26	409	0.810	0.021	निजी	सिंचित	राजीव कपूर पुत्र के एल कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
27	288	3.240	2.070	निजी	सिंचित	इन्दिरा बगाई पत्नी आर पी बगाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
28	160	0.190	0.111	निजी	सिंचित	सुरेश बाबूलाल पिता श्यामलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
29	99	0.270	0.244	निजी	असिंचित / आवासीय	श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी प्रेम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
30	289	0.680	0.573	निजी	आवासीय	पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
31	406	0.860	0.186	निजी	आवासीय	पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
32	290	2.310	1.094	निजी	आवासीय	पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
33	405	0.570	0.570	निजी	आवासीय	पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
34	386	1.680	0.688	निजी	सिंचित	इफतेखार अहमद पुत्र खतीब अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
35	384	0.190	0.135	निजी	सिंचित	इफतेखार अहमद पुत्र खतीब अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
36	382	0.820	0.489	निजी	सिंचित	भैयालाल पुत्र सदाराम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
37	383	0.660	0.305	निजी	सिंचित	राधेश्याम पुत्र अभयराम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
38	370	0.300	0.218	निजी	सिंचित	हेमन्त पिता हरीनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
39	364	0.540	0.200	निजी	सिंचित	राधेश्याम पुत्र अभय राम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
40	381	0.130	0.071	निजी	सिंचित	इफतेखार अहमद पुत्र खतीब अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
41	190	0.200	0.094	निजी	सिंचित	दुले सिंह पिता गोपीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
42	371	5.850	0.697	निजी	सिंचित	संतोष पिता कैलाश नारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
43	347	0.800	0.046	निजी	सिंचित	परमानन्द पिता कैलाशनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
44	363	0.710	0.481	निजी	सिंचित	भैयालाल पुत्र सदाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
45	344	0.890	0.759	निजी	सिंचित	परमानन्द पिता कैलाशनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

46	343	0.480	0.247	निजी	सिंचित	हरिन्दर सिंह बेदी पिता टी एस बेदी एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
47	345	0.470	0.081	निजी	सिंचित	हनुमान प्रसाद पुत्र एम. पी. मिश्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
48	192	0.650	0.015	निजी	सिंचित	दुले सिंह पिता गोपीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
49	341	2.110	0.514	निजी	सिंचित	हरिन्दर सिंह बेदी पिता टी एस बेदी एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
50	610/370	0.300	0.168	निजी	असिंचित	हेमन्त पिता हरीनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
51	609/370	0.290	0.241	निजी	असिंचित	हेमन्त पिता हरीनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
52	403	2.390	0.038	निजी	आवासीय	प्रतीक कपूर पिता राजीव कपूर एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
53	162	0.130	0.061	निजी	सिंचित	जगदीश पुत्र चतरा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
54	164	0.440	0.006	निजी	सिंचित	संजय नीरज संदीप आ.सीताराम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
55	380	0.750	0.102	निजी	असिंचित / आवासीय	श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व० सौरभ गर्ग एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
56	103	0.550	0.005	निजी	असिंचित / आवासीय	विक्रान्त धाकड़े पुत्र राजेश धाकड़े एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			15.910			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोलार जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

आशीष सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.-313-भू-अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2023

प्ररूप V
(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग

रा.मा.क्र. 08/अ-82/2022-23 मौजा ग्राम- बिचुआ प.ह.नं.-9/8 तहसील - नरसिंहपुर

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम बिचुआ नं.ब. 407 प.ह.नं. 9/8 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 3.899 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 3.899 हेक्टेयर है ग्राम बिचुआ तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम - बिचुआ तहसील-नरसिंहपुर प.ह.नं.9/8

स.क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.
1	2		3	5
1	रेवतीबाई बेवा नन्हेलाल, शिबू अमर सिंह दशोदाबाई निक्काबाई पिस. नन्हेलाल मीराबाई वेबा कीरत रेवाराम ओमप्रकाश पिता कीरत डीमर सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	61, 62 66/2, 68	0.782 0.178
2	गेंदालाल रोशन परषोत्तम पिता जुगराज सब्बोबाई बेबा जुगराज मलाह सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	63	0.212
3	डोरी हाकम दशरथ पिता रामसिंह मलाह सा.नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	65/1 66/3, 69 72 87	0.042 0.331 0.194 0.021
4	परमलाल पिता मंगल देवकाबाई वेवा मंगल मलाह सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	66/1, 67 74/3, 76, 88/2 85/1	0.182 0.126 0.084
5	हल्कू पिता परसादी डीमर सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	65/2 86	0.064 0.126
6	रूपसिंह मुन्नीबाई पिस. रघुनाथ डीमर सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	71	0.168
7	बड्डू नन्हू पिता शंकर बडीबाई सम्पतबाई बेबा गंगाराम बबलू राकेश संध्या पिस. गंगाराम डीमर सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	73 74/1-2	0.267 0.251
8	बड्डू पिता नन्हा गुडडीबाई पत्नि छोटेलाल धर्मेन्द्र राजेश जीजीबाई पिता छोटेलाल डीमर सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	88/3 89/2	0.034 0.049
9	अन्नीलाल पिता परमलाल मल्लाह सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	74/1/1, 75	0.126
10	कढोरी रम्मू प्रेमनारायण पिस. चूरामन डीमर सा. केरपानी	भूमि स्वामी	89/3, 90/3 88/4	0.337 0.034

स.क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.
11	शंकरलाल साहब हक्कू पिता दम्मे अमरसिंह राजकुमार पिस. फूलसिंह पार्वती बाई पत्नि फूलसिंह पूरनलाल बल्द लेखराम सावित्रीबाई बेवा प्यारेलाल गुड्डा मुन्नालाल पिता प्यारेलाल ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	88/1	0.025
			89/1, 90/1	0.252
			85/2	0.009
12	परमलाल वल्द मंगल काशीबाई वेवा देवीसिंह कृष्णाबाई सावित्री सम्पत बाई पिता देवीसिंह शांति बाई वेवा अशोक जयन्तीबाई कामना ना.बा. अशोक वली दादी काशीबाई मलाह सा.देह	भूमि स्वामी	55/1	0.005
			56/1	
			56/4	
कुल योग				3.899

- उपरोक्त सूची के स. क्र. 1 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0112/अ-6/23-24 आदेश दिनांक 10.05.23, स.क्र. 6 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0211/अ-6/22-23 आदेश दिनांक 25.07.22, स. क्र. 9 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0063/अ-27/ 22-23 आदेश दिनांक 21.10.22, स. क्र. 10 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0032/अ-06/ 23-24 आदेश दिनांक 13.04.23 एवं स. क्र. 11 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0031/अ-06/ 23-24 आदेश दिनांक 13.04.23 के अनुसार संशोधित किये गये हैं।
- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा.नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 54 दिनांक 09.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

परिपत्र क्रमांक 363/249/6-121/2023-24 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा-11 की उपधारा(2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण :-

जिला	-	रायसेन
तहसील/तालुका	-	बेगमगंज
ग्राम	-	नयानगर

-:अनुसूची:-

-:भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)		
रायसेन	बेगमगंज	नयानगर नयानगर	50/1/1	0.449	0.520	कार्यपालन यंत्री परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध से डूब प्रभावित हेतु।
			50/1/2	1.214			
			50/1/2/3/1	1.542			
			50/1/2/3/2	0.308			
			50/1/2/5/1	0.405			
			50/1/2/5/2	0.809			
			50/1/2/5/3	0.254			
			50/1/2/6	0.822			
			50/1/2/7	0.275			
			50/1/2/8/1	0.303			
			50/1/2/9	0.352			
			50/1/2/10/2	0.031			
			50/1/3	1.214			
			50/2/2	0.125			
			50/1/2/2	0.470			
			50/1/2/4/1	0.712			
			50/1/2/4/2	0.712			
			50/1/2/8/2	0.304			
			50/1/2/10/1	0.155			
			50/2/1	0.125			
52	0.129	0.129					
54	1.639	1.639					
55/1	0.162	0.162					

55/2	0.364	0.364
56/1	0.291	0.291
56/2	0.0001	0.0001
58/1	1.100	2.935
58/2	1.140	
58/3	0.049	
58/4	0.048	
58/5	0.048	
58/6	2.310	
59/1	0.405	0.707
59/2	0.405	
59/3	0.412	
60/1/1/1	1.185	2.682
60/1/1/2	2.327	
60/1/1/3	0.178	
60/1/2/1	0.605	
60/1/2/1/3	0.605	
60/1/2/2	0.606	
60/1/2/2/1	0.809	
60/1/2/2/2	0.761	
60/1/2/3/1	0.810	
60/1/2/3/2	0.187	
60/1/2/3/3	0.998	
60/2	1.217	0.449
60/2/72/2/1	0.979	
60/2/72/2/2	0.315	
69/1	0.226	0.223
69/2	0.125	
70	0.429	0.429
71/1	0.758	0.758
71/2	0.757	0.206
72/1/1/1	0.474	0.474
72/1/1/2	0.473	0.473
72/1/1/3	0.474	0.474
72/1/2/2	1.819	1.819
72/1/2/3	1.819	1.819
72/1/3	1.619	1.619
72/2/1	0.101	0.101
72/2/2	0.0001	0.0001
72/1/2/1/1	0.206	0.206
72/1/2/1/2	1.009	1.009
72/3/1	0.809	0.809
72/3/2	0.449	0.449
73	0.563	0.563
75/163/75/1	0.668	0.668
75/163/75/2	0.659	0.659

75/163/75/3	0.041	0.041
76/2	0.506	0.506
76/1/1	0.202	0.202
76/1/2	0.202	0.202
76/1/3	0.405	0.405
77/1	0.809	0.809
77/2	1.148	1.148
77/3/1	1.238	1.238
77/3/2	0.733	0.733
78/1	1.619	1.619
78/2	1.675	1.675
79/1	0.077	0.077
79/2	0.283	0.283
80	0.101	0.101
81/165/81/1	0.405	0.657
81/165/81/2	0.777	
102/1	0.057	0.253
102/2	0.020	
102/3	1.695	
102/4	0.056	
102/5	0.028	
107/1/1/1	0.809	2.720
107/1/1/2	0.809	
107/1/1/3	0.809	
107/1/1/4	0.600	
107/1/1/5	0.607	
107/1/1/6	0.600	
107/1/1/7	0.575	
107/1/2	1.000	0.288
107/2/2	0.405	0.230
108	1.246	0.546
111	0.105	0.105
112	0.817	0.193
115/1	0.962	2.254
115/2/1	2.652	
115/2/2	0.809	
119/1	0.360	0.125
119/2	0.405	
120/1	0.720	0.720
120/2	0.129	0.129
121	0.833	0.833
122/1	0.203	0.203
122/2/1	0.204	0.204
122/2/2	0.205	0.205
124/1	0.611	0.611
124/2	0.764	0.764

125	0.053	0.053
126/1	0.316	0.316
126/2/1	0.350	0.350
126/2/2	0.350	0.350
127	0.0001	0.0001
128/1	1.420	1.420
128/2	1.319	1.319
176/129/1	0.340	0.340
176/129/2	0.178	0.178
176/129/3	0.339	0.339
129/1/1	0.210	0.210
129/1/2	0.219	0.219
129/2	0.445	0.445
130/1	0.405	0.405
130/2	0.210	0.210
130/3	0.291	0.291
130/4	0.283	0.283
131/1	0.142	0.142
131/2	0.101	0.101
131/3	0.259	0.259
131/4	0.243	0.243
131/5	0.105	0.105
131/6	0.202	0.202
132/1	0.057	0.057
132/2	0.469	0.469
133/1	0.480	2.100
133/2/1/1	0.057	
133/2/1/2	0.419	
133/2/2	1.214	
134	4.022	3.711
135/1	0.361	0.361
135/2	0.364	0.364
135/3	0.360	0.360
135/4	0.130	0.130
136	0.946	0.946
137/1	0.335	0.335
137/2	0.317	0.317
178/137	0.352	0.352
138/1/1	0.108	0.108
138/1/2	0.405	0.405
138/2	1.014	1.014
139/1	0.910	0.910
139/2	1.235	1.235
140	0.340	0.340
141	0.668	0.668
142	0.227	0.227

143	0.061	0.061
144	0.016	0.016
145	0.356	0.356
146	1.117	1.117
147/1/1	0.988	0.988
147/1/2	0.412	0.412
147/1/3	0.413	0.413
147/1/4	0.412	0.412
147/1/5	0.409	0.409
147/2	0.608	0.608
148/1/1	0.291	0.291
148/1/2	0.737	0.737
148/2	1.214	1.214
149/1	0.924	2.839
149/2	1.043	
149/3	1.214	
149/4/2	0.569	
149/5	1.346	
150/1	0.162	3.156
150/2/1/1	0.809	
150/2/1/2	0.396	
150/2/2/1	0.381	
150/2/2/2/1	0.404	
150/2/2/2/2	0.405	
150/3	1.274	
151/1	1.498	1.498
151/2	1.497	1.497
151/3	1.497	1.497
152/1	0.725	0.725
152/2	0.724	0.724
152/3	0.724	0.724
153	2.112	2.112
154	0.890	0.890
160/68	0.429	0.050
161/68	0.478	0.050
162/76/1	0.101	0.101
162/76/2	0.101	0.101
164/76	0.052	0.052
172/122/1	0.081	0.081
172/122/2/1	0.053	0.053
172/122/2/2	0.052	0.052
173/122/3	0.154	0.154
174/129/1	0.069	0.069
174/129/2	0.081	0.081
174/129/3	0.061	0.061
174/129/4	0.032	0.032

	175/129	0.081	0.081	
	176/129/2	0.178	0.007	
	176/129/3	0.339	0.052	
	177/126	0.356	0.356	
	179/129	0.348	0.348	
	179/129/2	0.339	0.339	
	181/129/1	0.130	0.130	
	181/129/2	0.081	0.081	
	181/129/3	0.283	0.283	
	181/129/4	0.182	0.182	
	181/129/5	0.101	0.101	
	181/129/6	0.109	0.109	
	181/129/7	0.061	0.061	
	186/129	1.440	1.440	
	187/138/1	0.172	0.172	
	187/138/2	0.120	0.120	
कुल कित्ता -	223	127.680	92.400	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है।

परिपत्र क्रमांक 364/246/B-21/2023-24 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण :-

जिला	-	रायसेन
तहसील/तालुका	-	बेगमगंज
ग्राम	-	लखनपुर

-:अनुसूची:-

-:भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	लखनपुर	71/1, 77, 78	7.147	0.324	परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम.यू.जल संसाधन संभाग सागर म0प्र0	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध के डूब प्रभावित हेतु।
			71/2, 77, 78	1.871			
			74	0.837	0.130		
			76	0.955	0.170		
			79	0.255	0.109		
			81/1	1.529	0.640		
			81/2	1.214			
			82/1/1	0.81	3.420		
			82/1/2	0.809			
			82/2	3.974			
			84	0.231	0.231		
			85	0.737	0.737		
			86	0.150	0.150		
			87	0.522	0.260		
			293/74	0.534	0.040		
			294/87/1	0.223	0.220		
			294/87/2	0.809			
			295/87	0.405	0.150		
			296/87	0.506	0.080		
			299/124/1	0.041	0.030		
299/124/2	0.047						
299/124/3	0.040						

01/10/23

	299/124/4	0.040		
	299/124/5	0.045		
	299/124/6	0.045		
	299/124/7	0.024		
	90/1	0.473	0.370	
	90/2	1.162		
	94	0.405	0.070	
	96/1	1.267	0.014	
	96/2	1.543		
	102/1, 128	1.625	0.360	
	102/2, 128	1.632		
	297/102	0.651	0.080	
	298/102	0.615	0.040	
	486/80	0.234	0.234	
	कुल किता	36	33.407	7.860

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है।

परिपत्र क्रमांक 365/248/B-121 / 2023-24 -चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण :-

जिला	-	रायसेन
तहसील/तालुका	-	बेगमगंज
ग्राम	-	तिनघरा सानी

--:अनुसूची:--

--:भूमि का विवरण:--

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क.	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे. मे.)	धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
रायसेन	बेगमगंज	तिनघरा सानी	48/1	1.886	0.140	परियोजना प्रबंधक बीना परियोजना प्रबंधन इकाई जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.)	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध के डूब प्रभावित हेतु	
			48/2	1.214				
			49	0.821	0.380			
			50	0.085	0.085			
			52/1	0.275	0.690			
			52/2	0.846				
			53	0.365	0.365			
			55/1/1	2.445	0.280			
			55/1/2	0.565				
			55/2	1.011				
			56/1/1/1	0.958	1.112			
			56/1/1/2	0.426				
			56/1/2/1	0.964				
			56/1/2/2	0.477				
			56/2/1/1	1.619				
			56/2/1/2	0.324				
			56/2/2/1	0.972				
			56/2/2/2	0.971				
			59	1.809				0.036
			66	1.915				1.099
67	0.615	0.445						

		68	0.417	0.417
		69/1	0.910	0.910
		69/2	0.851	0.851
		70	0.607	0.607
		72	1.631	0.951
		73/1	0.942	0.942
		73/2	0.942	0.942
		74	0.987	0.467
		78	0.595	0.100
		79/1	1.214	0.011
		79/2	0.563	
		88/1	2.562	1.530
		89	0.514	0.020
		90	2.962	2.562
		91	0.380	0.380
		92	0.388	0.388
		93	2.452	2.452
		94	0.798	0.798
		112/90	0.275	0.020
		113/90	0.121	0.121
		111/78	0.243	0.180
	कुल किता	42	40.917	19.281

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है।

परिपत्र क्रमांक 366/247/B-12/2023-24 -चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण :-

जिला	-	रायसेन
तहसील/तालुका	-	बेगमगंज
ग्राम	-	सूजा बीरान

-:अनुसूची:-

-:भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	सूजा बीरान	1/1	0.652	0.407	परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू.जल संसाधन संभाग सागर म0प्र0	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध के डूब प्रभावित हेतु।
			1/2	0.834	0.834		
			2	0.085	0.014		
			3/1	0.178	0.093		
			3/2	0.405	0.032		
			4	0.388	0.221		
			5/1	0.405	0.405		
			5/2	0.146	0.146		
			6/1	0.312	0.210		
			6/2	0.243	0.120		
			6/3	0.307	0.220		
			6/4	0.295	0.160		
			6/5	0.324	0.160		
			8	0.421	0.291		
			9	0.041	0.041		
			10	0.934	0.934		
11	0.591	0.591					
12/1	0.133	0.133					
12/2	0.861	0.699					
13/1	0.197	0.064					

	13/2	0.195	0.015	
	15/1	0.395	0.220	
	15/2	0.401	0.040	
	17	0.384	0.288	
	18	0.239	0.111	
	21	0.352	0.059	
	23/1/1	0.607		
	23/1/2	0.607		
	23/1/3	0.607	2.297	
	23/1/4	0.190		
	23/2	1.367		
	24	0.802	0.622	
	26/1	0.202		
	26/2	0.15	0.140	
	27	0.0001	0.000	0.0001
	28/1	0.825	0.110	
	44	0.882	0.062	
	46	0.725	0.085	
	47	0.061	0.034	
	48/1	0.494		
	48/2	0.200	0.248	
	50/1	0.15	0.120	
	50/2	1.602	0.400	
	52	0.113	0.113	
	53/1	0.276	0.276	
	53/2	0.033	0.033	
	54/1	0.428	0.428	
	54/2/1	0.405	0.405	
	54/3	0.522	0.522	
	55	0.243	0.243	
	56/1	0.137	0.137	
	56/2	0.292	0.292	
	58	1.149	0.799	
	59	0.619	0.463	
	60	0.563	0.126	
	61	0.938	0.082	
	62/1	0.081	0.081	
	62/3	0.486	0.144	
	62/4	0.485	0.300	
	63/2	0.725		
	63/3	0.680	0.882	
	65/1	0.405		
	65/2	0.409		
	65/3	1.214	0.673	
	65/4	0.853		
	65/5	1.240		

	65/6	0.300	
	65/7	0.676	
	65/8	0.405	
	65/9	0.681	
	69/1	0.228	0.016
	104	0.526	0.526
	105/1/1	0.381	0.381
	105/1/2	0.190	0.190
	105/1/3	0.190	0.190
	106/1/1	0.143	0.143
	106/1/2	0.071	0.071
	106/1/3	0.072	0.072
	107/1/1	0.042	0.042
	107/1/2	0.021	0.021
	107/1/3	0.022	0.022
	108/1/1	0.963	0.963
	108/1/2	0.963	0.963
	108/1/3	1.926	1.926
	110/1	0.429	0.429
	110/2	0.227	0.227
	115/6/1	0.478	0.086
	119/106	0.607	0.607
	120/108/1	1.314	1.314
	120/108/2	1.314	1.314
	120/108/3/1/1	0.478	0.478
	120/108/3/1/2	0.477	0.477
	120/108/3/2	0.124	0.124
	121/62	0.393	0.393
कुल	94	45.130	27.600

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र.-1271-भू-अर्जन-2023

सतना, दिनांक 21 सितम्बर 2023

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1271/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	बड़ोहरा	1.8029 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बड़ोहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1272/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	खडहरा	1.077 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.12.33/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	हरदुआ कला	3.7631 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बाबूपुर माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.12.33/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	कठवरिया	2.333 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1275/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	चन्दकुआं	0.196 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआ माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1276/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	जसो	0.552 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कोनी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0. ~~1277~~/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	बमुरहिया	5.370 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत बमुरहिया माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0. ~~1278~~/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	शहपुर	4.456 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1279/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	महदेई	0.663 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1280/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	शहपुर	4.323 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1281/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	जसो	0.623 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1282/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	रुहिया	1.176 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की रुहिया माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1283/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	बैदुरा खुर्द	0.553 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1284/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	वीरदत्त	4.992 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1285/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	पड़रिया खुर्द	3.412 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पड़रिया खुर्द टेल माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

SCHEDULE -II

After including the area shown in Schedule-I, The revised Limits of Barodiya Nonagar Nagar Parishad will be as follows:-

- North direction** – Bounded by the village Panchayat Khajraharchand, Mukarampur, Moodri, Chandpur village.
- East direction** – Limiting from the boundary of village Khiriyathansig, Bhilon, till the boundary of the river Bina.
- South direction** – Bounded by the village limits of Tehsil Rahatgarh till Bina river.
- West direction** – Bounded by the village Kajrai, Mahunajat, Khajraharchandra.

By order and in the name of Governor
of Madhya Pradesh



(Harshal Pancholi)

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh

Urban development and housing department

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 ~~257~~ / भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	त्योंधरा नं-1	4.858 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पड़रिया वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 ~~288~~ / भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	कोनी	3.388 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कोनी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1289/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	बूढी	2.2979 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (M0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1290/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	दुबहिया	2.472 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (M0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत दुबहिया सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1291./भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	बराज	0.6612 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बराज माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1292./भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	शहपुर	3.267 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माडाटोला सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1293./भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	माड़ाटोला	2.132 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1294./भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	ब्योहारी	2.3727 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की ब्योहारी माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1295/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	उमरी बृजनंदन	2.4888 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बाबूपुर माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1296/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	माडाटोला	1.832 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1297/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	खखरौंधा	2.2596 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1298/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	रोहनिया	1.5780 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सड़वा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1299/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	पवैया	1.2840 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1302/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	कठवरिया	3.440 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1301/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	इटनापार	0.832 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1302/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	कठवरिया	1.018 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.13.73/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	द्वारी खुर्द	1.9716 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के ररा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.13.74/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	कुलपुरा	1.6563 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कुलपुरा सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1375/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	मौहट	4.126 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के मौहट माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1376/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	करही वृत	3.388 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 ~~1377~~/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	मौहारी कटरा	6.766 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया वितरक नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 ~~1378~~/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	धतुवा	4.138 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुवा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 ~~1379~~/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	नैना कोठार	1.234 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 ~~1380~~/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कोटरी	0.946 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0/381/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	अहिरगांव	0.413 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुवा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0/382/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	ऐरा	7.206 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत ऐरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1383/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाधेलान	करा	2.169 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1384/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	अमिलिया	0.3828 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1385/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	धौरहरा	3.1867 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के धौरहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1386/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	सिंहपुर	10.2505 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1388/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	जैतवारा	3.0547 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के जैतवारा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1389/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	खैरुआ	4.2273 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के धौरहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1390/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	बिलौधा	4.0032 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के बिलौधा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1391/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	नोनगरा	7.5141 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के नोनगरा माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1392/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	भाजीखेरा	2.6724 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के जैतवारा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1392/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	पनगरा	4.2273 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के खम्हरिया माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1394/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	खम्हरिया कला	4.0572 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की द्वारी कला माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1395/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	गुढा	0.4132 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के कोल माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-39-अ-82-2022-23

छतरपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं।

**अनुसूची
भूमि का वर्णन**

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	छतरपुर	कदवां	80.000	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-0040-अ-82-2022-23

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं।

**अनुसूची
भूमि का वर्णन**

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	छतरपुर	नैगुवां	28.000	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-0041-अ-82-2022-23

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं।

अनुसूची
भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	छतरपुर	पड़रिया	20.000	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-0038-अ-82-2022-23

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11(1) एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं।

अनुसूची
भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	राजनगर	सिलावट	90.000	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर	नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना के ड्रब क्षेत्र एवं बंड लाईन, एप्रोच एवं स्पिल चैनल निर्माण

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

प्र.क्र.-0037-अ-82-2022-23

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र० 30 सन् 2013)" की धारा-11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं।

अनुसूची
भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छतरपुर	छतरपुर	बछरौनियां	05.000	अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 25 सितम्बर 2023

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1504/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहश	लोहरोरा	3.0780	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरं व कला माइनर अंतर्गत हरदुआ कोठार सब माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1505/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कल्ला	5.515 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की कल्ला सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1.306/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कोटरा	0.707 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के जुडमनिया माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1.307/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	परसवारा	4.5696 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर बाबूपुर माइनर एवं उजनेही सब माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1308/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	घदेह खुर्द	1.803 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (M0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1309/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	गुनहर	0.374 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (M0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.15/0./भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	ररा	2.1098 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर ररा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.15/1./भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	गौरा	0.722 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1312/भू-अर्जन/23 दि0 29/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	मढ़ा	0.2448 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर कतकोन माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1313/भू-अर्जन/23 दि0 29/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	धटेहकला	10.859 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.13/4/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	नौनिया	0.3019 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अतरौरा सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.13/5/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	ललचहा	0.7051 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.17/17/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	कोल	2.0372 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कोल माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.17/18/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	सड़वा	1.3889 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सड़वा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1519/भू-अर्जन/23 दि0 28/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	गजना बधाव	1.103 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1520/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	श्यामनगर	2.336 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1321/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	सिलपरी	4.990 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सिलपरी सब माइनर नं-1 निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1322/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	चोरखंडी	2.969 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की अजवानी वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1325/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	परसवाही	3.066 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1324/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	करहिया	0.710 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1325/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	चन्दकुइयां	0.801 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कचलोहा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1326/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	ताला तलरी	0.377 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ.मु.) मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1327/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	मौहारी कटरा	1.750 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत तमरा वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1328/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	मढी	3.545 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत मढी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1529/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	ककरा	0.927 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1530/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	धोरहरा	8.425 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के धोरहरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1531/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	ओवरा	4.059 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की अजवानी वितरिका के तिघरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1532/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	धतुई	2.632 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1333/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	मुगहर	0.385 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया सब माइनर.नं. 1 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1334/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	चन्दकुआं	1.177 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माड़ाटोला सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1335/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	देवरी	4.417 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1336/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	बारी	1.071 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनथ उपशाखा के धोरहरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1337/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	चोरखंडी	0.606 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका के मढी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1338/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	देवरी	2.220 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की अजवानी वितरिका के देवरी माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1339/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	रैकवार	2.333 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1340/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	मगराज	1.887 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1541/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	बारी	2.838 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया वितरिका व बारी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1542/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	नौगवां	2.844 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1345/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	मझगवां	4.661 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1344/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	सुआ	3.794 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मढी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1345/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	पडहा	1.936 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1346/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	बेदुआकला	1.334 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1347/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	धमना	3.957 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1348/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	कुम्हारी	3.900 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1349/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	इटमा	3.101 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1350/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	धतुई	0.748 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की धतुई सब माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1351/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	खटखरी	5.764 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत खटखरी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1351/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	शाह	1.623 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत रुहिया माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1353/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	बिरसिंहपुर	0.666 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत महुडर माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1354/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	करही कोठार	1.305 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1355/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	मौहारी कटरा	0.243 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेमरिया माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1356/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	बिरसिंहपुर	3.234 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पडरिया वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.13.57/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	त्यौधरा नं-2	0.609 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सिलपरी सब माइनर नं-1 निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.13.58/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	समोगर उन्मुक्त	0.470 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत कर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1359/भू-अर्जन/23 दि0 25/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	उमरी उर्फ शिवाजी	2.967 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत त्योंधरी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1361/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	बकैना	1.163 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बकैना माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1362/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	मौहारी कटरा	1.423 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मौहारी कटरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1363/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	महुडर	2.410 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की महुडर माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1364/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	किरहाई	1.068 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की धतुई माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1365/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	सेमरिया	3.747 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेमरिया माइनर नं. 1 माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1366/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	अहिरगांव	4.828 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (M0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के अहिरगांव माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1367/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	लालपुर	3.543 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (M0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बकौना माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1368/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	खुखुडा कोठार	0.975 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1369/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	खुटहा	0.981 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत रुहिया माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 ~~1370~~ भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	समोगर कोठार	3.934 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत कर्माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 ~~1371~~ भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	खुटहा	6.258 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ टेल माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 22 सितम्बर 2023

—: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील जीरापुर के ग्राम दोबडा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील जीरापुर के ग्राम दोबडा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण

ग्राम दोबडा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान दोबडा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)
1	करणसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया निवासी धामनिया	29/1 30/1/1	0.524	0.054 0.088
		योग		0.142
2	लालजी पिता गोपाल पुरीबाई बेवा नरभेसिंह बालूसिंह पिता नरभेसिंह चिंताबाई धापूबाई पिता नरभेसिंह उंकारसिंह पर्वतसिंह पिता श्यामसिंह हरिसिंह करणसिंह रतनलाल पिता रामसिंह सरदारबाई बेवा रामसिंह जाति सौंधिया निवासी धामंदा	28/1/1	1.412	0.012
		योग	1.412	0.012

3	इन्द्रसिंह शिवनारायण पिता रुपजी केसर बाई बेवा रुपजी जाति सौंधिया निवासी धामंदा	30/2/1	1.876	0.130
		योग	1.876	0.130
4	बलूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया निवासी दोबडा	71/2/1	0.052	0.052
		योग	0.052	0.052
5	पर्वतसिंह पिता गेंदालाल जाति सौंधिया निवासी दोबडा	71/4/1	0.746	0.158
		योग	0.746	0.158
6	मोहनलाल पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा	70/2/1/1	0.257	0.055
		योग	0.257	0.055
7	शांतिबाई पति मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा	70/2/2/1	0.278	0.058
		योग	0.278	0.058
8	जितेंद्रसिंह नरेंद्रसिंह पिता रामरतन कृष्णाबाई बेवा रामरतन जाति सौंधिया निवासी दोबडा	70/3/1	0.600	0.020
		योग	0.600	0.020
9	ईश्वर पिता रमेश जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा	70/1/1/2	0.209	0.020
		योग	0.209	0.020
10	ओमप्रकाश राजेश पिता रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा	70/1/1/1	0.209	0.020
		योग	0.209	0.020
11	बापूलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया निवासी दोबडा	69/1	1.006	0.070
		योग	1.006	0.070
12	नारायणसिंह बल्लभबाई पुत्रपुत्री कालूसिंहजाति सौंधिया निवासी दोबडा	65/2/1/1	0.319	0.045
		योग	0.319	0.045
13	मदनसिंह लीलाबाई पुत्रपुत्री कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी दोबडा	65/2/2/1	0.354	0.045
		योग	0.354	0.045

14	कमलसिंह पिता कालूसिंह धूलीबाई बेवा कालूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा	65/2/3/1	0.318	0.045
		योग	0.318	0.045
15	प्रेमसिंह पिता भेरुसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा	65/1/1/1	0.263	0.156
		योग	0.263	0.156
16	बीरमसिंह पिता रामलाल जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा	60/1/1	0.377	0.056
		योग	0.377	0.056
17	पिंकीबाई पति चंद्रसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा	60/1/2	0.253	0.048
		योग	0.253	0.048
18	मदनसिंह पिता भेरु जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा	60/2	0.630	0.090
		योग	0.630	0.090
19	सुल्तानसिंह पिता कालूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा	60/3/1	0.485	0.020
		योग	0.080	0.020
20	कालूसिंह पिता भेरूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा	62/1	1.137	0.025
		योग	1.137	0.025
		कुल योग		1.267

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 25 सितम्बर 2023

क्रमांक/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ...30.../अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम **जोगीपुरा** के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

:-अनुसूची (1) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल लाईन

क्र	विवरण	अर्जनीय रकबा है०में०
1	जोगीपुरा	8.688
	कुलयोग:-	8.688

:-अनुसूची (2) :-

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	कंवरलाल पिता हीरालाल जाति सौंधिया निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी	42/1/2/2	0.863	0.435
	योग	1	0.863	0.435
2	फतेहसिंह पिता नवल जाति सौंधिया नि. मनोहरपुरा निवासी मनोहरपुरा राजगढ़ भू स्वामी	42/2/1	0.655	0.180
	योग	1	0.655	0.180
3	मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी	42/3/1	0.695	0.012
	योग	1	0.695	0.012
4	लाखनसिंह सन्तरा बाई पिता बापूलाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी	44/1/1 74/2/1 45/1/1	1.175 0.759 0.242	0.212 0.253 0.160
	योग	3	2.176	0.625
5	कमलसिंह, गोकुलबाई पिता बापूलाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी	45/2/1 44/2/1 74/2/2	0.183 1.385 0.759	0.160 0.212 0.024
	योग	3	2.327	0.396
6	धीसालाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी	46/1/1	0.026	0.026
	योग	1	0.026	0.026
7	कैलाशचन्द्र पिता धीसालाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी	46/2/1	0.066	0.066
	योग	1	0.066	0.066
8	कमलाबाई बेवा हीरालाल, केदारबाई, सोनूबाई, मोनूबाई पिता हीरालाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी	46/3/1	0.027	0.027
	योग	1	0.027	0.027

9	जगन्नाथ पिता कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी	46/4/1	0.027	0.027
	योग	1	0.027	0.027
10	भगवानसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी	74/1/1/1	0.720	0.589
	योग	1	0.720	0.589
11	प्रेमसिंह पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी	76/17/1 74/97/2/3 74/3/3/3	0.380 0.022 0.051	0.210 0.022 0.051
	योग	3	0.453	0.283
12	गंगाराम पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी	74/97/2/5	0.023	0.023
	योग	1	0.023	0.023
13	रामलाल पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भू स्वामी	74/97/2/6	0.055	0.055
	योग	1	0.055	0.055
14	दरियाबाई पति कमलसिंह जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी	74/97/4/1	0.056	0.056
	योग	1	0.056	0.056
15	रोड्डी दरियाबाई कनीराम विष्णु फूलसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ जाति चमार निवासी जोगीपुरा भू स्वामी	74/3/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
16	रामलाल पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भू स्वामी	74/3/2/1	0.127	0.127
	योग	1	0.127	0.127
17	मोहनलाल पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भू स्वामी	74/3/2/2	0.126	0.126
	योग	1	0.126	0.126
18	रामबाबू पिता देवसिंह सरदार बाई बेवा देवसिंह जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी	74/97/2/1 74/3/3/1 76/15/1	0.022 0.051 0.475	0.022 0.051 0.210
	योग	3	0.548	0.283
19	रामप्रसाद पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी	74/97/2/2 74/3/3/2 76/13/1	0.012 0.051 0.420	0.012 0.051 0.160
	योग	3	0.483	0.223
20	पर्वतसिंह पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी	74/97/2/4 74/3/3/4 76/16/1	0.022 0.050 0.465	0.022 0.050 0.210
	योग	3	0.537	0.282
21	गंगाराम पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी	74/97/2/5 74/3/3/5 76/14/1	0.023 0.050 0.470	0.023 0.050 0.210
	योग	3	0.543	0.283
22	रामलाल पिता मांगीलाल केशरबाई पति रामलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी	76/20/1	1.180	0.650

	योग	1	1.180	0.650
23	रोडूलाल पिता जगन्नाथ जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी	76/19/1	1.150	0.450
	योग	1	1.150	0.450
24	गोपीलाल पिता भंवरलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी	76/18/1	1.218	0.150
	योग	1	1.218	0.150
25	श्रीमति कृष्णाबाई पति सुरेन्द्रसिंह जाति सौधिया निवासी राजगढ़ भूस्वामी	77 78 79/1 81	0.557 0.936 0.278 1.126	0.210 0.250 0.250 0.450
	योग	4	2.897	1.160
26	दोलजी पिता देवीसिंह जाति सौधिया निवासी राजगढ़ भूस्वामी	82	0.417	0.050
	योग	1	0.417	0.050
27	श्रीमति अनोखबाई पति प्रतापसिंह जाति सौधिया निवासी शिवप्रताप नगर राजगढ़ भूस्वामी	80/5/1	2.748	1.300
	योग	1	2.748	1.300
28	सोनाबाई पति मावसिंह उर्फ मानसिंह जाति सौधिया निवासी सेमलीकांकड़ राजगढ़ भू स्वामी	74/1/2/2	0.852	0.070
	योग	1	0.852	0.070
29	द्रोपतीबाई पति मांगीलाल जाति सौधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी	76/7	1.000	0.370
	योग	1	1.000	0.370
30	नारायण पिता नाथू जाति चमार निवासी राजगढ़ भू स्वामी	74/97/5/1	0.022	0.022
	योग	1	0.022	0.022
31	बबलू पिता नाथू जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी	74/97/5/2	0.023	0.023
	योग	1	0.023	0.023
32	रोडूजी पिता नाथू जाति चमार निवासी राजगढ़ भू स्वामी	74/97/5/3	0.022	0.022
	योग	1	0.022	0.022
33	दरियावबाई पति कमलसिंह जाति सौधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी	74/97/5/4	0.022	0.022
	योग	1	0.022	0.022
34	शैतानबाई पति लाखन सिंह जाति सौधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी	74/97/5/5	0.022	0.022
	योग	1	0.022	0.022
	कुलयोग:-	51	22.359	8.688

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 311-भू-अर्जन-2023 नरसिंहपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2023

प्रारूप V

(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग

रा0मा0 क. 01/अ-82/2022-23 मौजा ग्राम- मनकवारा प.ह.नं.-132 तहसील- गाडरवारा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 0.428 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.428 हेक्टेयर है ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम - मनकवारा तह0 गाडरवारा नं.बं. 363 प.ह.नं. 132

कं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	भूमि में हिस्सा	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे0 में)
1	मालगुजार बल्द अशोक कुमार	24	भूमि स्वामी	सिंचित	923/1870	0.428
2	राहुल बल्द राममनोहर				923/1870	
3	वर्षा पत्नि विपिन				2/935	
4	राधा पत्नि राममनोहर				2/935	
5	मीनेश बल्द अनिल				2/935	
6	रीता पत्नि अशोक कुमार				2/935	
7	रागिनी बल्द राममनोहर				2/935	
8	रोहित बल्द राममनोहर				2/935	
	कुल					0.428

- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
4. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
5. जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 6419-भू-अर्जन-2023

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 सितम्बर 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.एफ-22/03/2019-20/लघु.सि./31/542 भोपाल, दिनांक 04 जून 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-बोडी प0ह0न-59/72 ब.न.-424 रा.नि.म- ईकलबिहरी	रकबा-15.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौसर जिला छिन्दवाड़ा	बोडी जलाशय (नहर रहित) के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 6420-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.एफ-22/03/2019-20/लघु.सि./31/542 भोपाल, दिनांक 04 जून 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-नवलगांव प0ह0न-59/72 ब.न.-289 रा.नि.म- ईकलबिहरी	रकबा-05.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौसर जिला छिन्दवाडा	बोडी जलाशय (नहर रहित) के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 6210-भू-अर्जन-2023

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 सितम्बर 2023

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिन्दवाड़ा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-कुहिया, प0ह0न-69, ब.न.-70, रा.नि.म-पिंडरईकला
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.545 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	391/1/1,	0.325
2	391/2	0.110
3	393/2	0.110
	योग :-	कुल रकबा-0.545 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दांयी तट टेल वितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाडा, जिला-छिन्दवाडा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 चौरई जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क 01 चौरई जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1100-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	छिन्दवाडा	जुन्नार देव	मूल ग्राम - बेलनीढाना मजरा - किल्लाढाना	16	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
2	छिन्दवाडा	चांद	मूल ग्राम -परसोली मजरा- पटियाटोला	14	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
3	छिन्दवाडा	पांडुर्ना	मूल ग्राम- मरकावाडा मजरा- नजरपुर	01	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
4	छिन्दवाडा	पांडुर्ना	मूल ग्राम- काराघाट कामठी मजरा- झिरपानी	08	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1101-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आगरमालवा	आगर	मूल ग्राम- भ्याना मजरा - अरनीया तलाई	08	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	आगरमालवा	आगर	मूल ग्राम- चकबडाबीड मजरा- जगतपुरा	42	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	आगरमालवा	आगर	मूल ग्राम- परसुखेडी मजरा- तारबडी	10	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
4	आगरमालवा	आगर	मूलग्राम- निपानिया बैजनाथ मजरा- लसुडी	15	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
5	आगरमालवा	आगर	मूल ग्राम- राजाखेडी कुम्हार मजरा- पायरी	44	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
6	आगरमालवा	बडौद	मूल ग्राम-बर्डाबरखेडा मजरा-बरखेडा	40	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
7	आगरमालवा	बडौद	मूल ग्राम- ढावला सौंध्या मजरा-ढावला छत्री	29	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1102-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बुरहानपुर	नेपानगर	मूल ग्राम- रहमानपुरा मजरा- घमनपुरा	38	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1103-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	इन्दौर	खुडैल	मूल ग्राम- शिवनी मजरा- गढी	20	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
2	इन्दौर	खुडैल	मूल ग्राम- पेडमी मजरा- जैतपुरा	17	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1104-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सतना	नागौद	मूल ग्राम- रौड मजरा- नारायणपुर	15	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1105-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खण्डवा	खण्डवा	मूल ग्राम- सुरगांव बंजारी मजरा- कालकापुरम	61	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
2	खण्डवा	पंधाना	मूल ग्राम- नानखेडा मजरा- कालंका	38	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
3	खण्डवा	पंधाना	मूल ग्राम- बोरगांव बुजुर्ग मजरा- जामठी मजरा- चिचखेडा	58	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1106-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शिवपुरी	कोलारस	मूल ग्राम- बेंहटा मजरा- धर्मपुरा	00129	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	शिवपुरी	बदरवास	मूल ग्राम- मैघोनाबडा मजरा- दादूखेडी	00124	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	शिवपुरी	रन्नौद	मूल ग्राम- देहरदा गणेश मजरा- टपरियन	00105	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
4	शिवपुरी	रन्नौद	मूल ग्राम- ओडेरा मजरा- चकरामपुर	00129	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
5	शिवपुरी	रन्नौद	मूल ग्राम- राजापुर छावरा मजरा- छावरा	00108	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
6	शिवपुरी	रन्नौद	मूल ग्राम- अकोदा मजरा- मूढरी	00109	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
7	शिवपुरी	रन्नौद	मूल ग्राम- ढकरोरा मजरा- खासखेडा	00103	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
8	शिवपुरी	रन्नौद	मूल ग्राम- सुनाज मजरा- करमई (चक)	00102	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1107-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कटनी	बहोरीबंद	मूल ग्राम- गौरहा मजरा- नयागाँव	01	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1108-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नर्मदापुरम	बनखेडी	मूल ग्राम- बघेडी मजरा- कजियाखेडा	36	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1109-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शाजापुर	गुलाना	मूल ग्राम- पाडली मजरा- कालीसिंध	141	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1110-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गुना	मकसूदनगढ	मूल ग्राम- गोचा आमल्या मजरा- शीतलपुर	11	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
2	गुना	चाचौडा	मूल ग्राम- पीपलहेडा डांग मजरा- टांडी	04	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
3	गुना	राघोगढ	मूल ग्राम- सारसहेला मजरा- आरामपुरा	32	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1111-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	धार	बदनावर	मूल ग्राम- बोरदा मजरा- लाम्पाता	01	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	धार	बदनावर	मूल ग्राम- मूलथान मजरा- उंडवापाडा	07	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	धार	बदनावर	मूल ग्राम- संदला मजरा- पिपलीपाडा मजरा- भारारुण्डी	33	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
4	धार	बदनावर	मूल ग्राम- दोत्रया मजरा- झिकली	34	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
5	धार	बदनावर	मूल ग्राम- छाजन मजरा- इमलीपाडा	41	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1112-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भिण्ड	मिहोना	मूल ग्राम- मछण्ड मजरा- महावीरगंज	16	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	भिण्ड	रौन	मूल ग्राम- इन्दुर्खी मजरा- काशीपुरा मजरा- विरौना	10	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	भिण्ड	रौन	मूल ग्राम- पचोखरा मजरा- डमनापुरा	17	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1114-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पन्ना	गुनौर	मूल ग्राम- मुडवारी मजरा- जयपालनगर मजरा- मोटे की मडैयन मजरा- गोहद की मडैयन मजरा- गर्गा	27	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	पन्ना	गुनौर	मूल ग्राम- बिलघाडी मजरा- नौराही मजरा- लखनपुर	07	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	पन्ना	अमानगंज	मूल ग्राम- सिरी मजरा- चाका	18	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
4	पन्ना	देवेन्द्रनगर	मूल ग्राम- जिगदहा मजरा- जिगदही	27	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1116-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भोपाल	बैरसिया	मूल ग्राम- रमपुरा मजरा- बालाचौन	40	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	भोपाल	बैरसिया	मूल ग्राम- कोटरा चौपडा मजरा- पोलासगंज	109	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	भोपाल	बैरसिया	मूल ग्राम- हिरनखेडी मजरा- करौली	42	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1118-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खरगौन	भीकनगांव	मूल ग्राम- दौडवा मजरा- लोहारिया फाल्या	13	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
2	खरगौन	कसरावद	मूल ग्राम- भींसावद मजरा- बिलीदड	35	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
3	खरगौन	कसरावद	मूल ग्राम- बैंगदी मजरा- नादला	37	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
4	खरगौन	कसरावद	मूल ग्राम- डाबरी मजरा- राघोदड	38	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1119-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सीहोर	रेहटी	मूल ग्राम- पानगुराडिया मजरा- नीलकछार	26	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	सीहोर	रेहटी	मूल ग्राम- नीनोर मजरा- मकोडिया	24	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1115-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बैतूल	भीमपुर	मूल ग्राम- चिल्लौर मजरा- भवईपुरदाना	8	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	बैतूल	भीमपुर	मूल ग्राम- रातामाटी मजरा- प्रभुदाना मजरा- सेलुदाना मजरा- पडारुदाना मजरा- माण्डवाकौल मजरा- गोलागौदी	43	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	बैतूल	भीमपुर	मूल ग्राम- चूनालोहमा मजरा- बेहडदाना मजरा- भूरुदाना	45	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
4	बैतूल	भीमपुर	मूल ग्राम- झापल मजरा- पीपलढागा	31	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
5	बैतूल	शाहपुर	मूल ग्राम- डाबरी मजरा- रुमाकोल	03	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
6	बैतूल	प्रभातपट्टन	मूल ग्राम- चिचिण्डा मजरा- जूनापानी	61	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
7	बैतूल	प्रभातपट्टन	मूल ग्राम- सोमगढ मजरा- कौडियादाना	64	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
8	बैतूल	प्रभातपट्टन	मूल ग्राम- शेरगढ मजरा- सालईदाना	55	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
9	बैतूल	प्रभातपट्टन	मूलग्राम- दातेरा मजरा- देवझिरी	39	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
10	बैतूल	बैतूल	मूल ग्राम- बोथी मजरा- सिहार	53	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
11	बैतूल	बैतूल	मूल ग्राम- पिपती मजरा- गाढवा	54	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1120-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रतलाम	आलोट	मूल ग्राम- कराडिया मजरा- सूखाखेडा	02	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	रतलाम	आलोट	मूल ग्राम- तालोद मजरा- तारागढ	44	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	रतलाम	सैलाना	मूल ग्राम- बोरदा मजरा- राईखोरा	08	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
4	रतलाम	सैलाना	मूल ग्राम- करिया मजरा- नयाखेडा मजरा- डोकरिया कुण्ड	24	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
5	रतलाम	सैलाना	मूल ग्राम- कोटडा मजरा- महुडापाडा	25	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
6	रतलाम	सैलाना	मूल ग्राम- हरसोरा मजरा- भैंसोरा	25	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
7	रतलाम	सैलाना	मूल ग्राम- कपासिया मजरा- लक्ष्मणगढ	30	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
8	रतलाम	सैलाना	मूल ग्राम- सांसर मजरा- केदारगढ मजरा- देवरुण्डा मजरा- दौलतपुरा मजरा- नयाटपरा	32	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1113-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मंदसौर	दलोदा	मूल ग्राम- धंधोडा मजरा- पालसोडा	26	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	मंदसौर	दलोदा	मूल ग्राम- नांदवेल मजरा- अजनाटी	28	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	मंदसौर	दलोदा	मूल ग्राम- आक्या उमाहेडा मजरा- उमाहेडा	39	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
4	मंदसौर	सुवासरा	मूल ग्राम- किशोरपुरा मजरा- मोती जी का खेडा	17	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
5	मंदसौर	सुवासरा	मूल ग्राम- घसोई मजरा- बागरीखेडा	29	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
6	मंदसौर	सुवासरा	मूल ग्राम- खेजडिया मेघा मजरा- पादरीखेडा	22	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
7	मंदसौर	गरोठ	मूल ग्राम- देथली बुजुर्ग मजरा- भूतिया बाग	10	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
8	मंदसौर	गरोठ	मूल ग्राम- चचावदा मजरा-चचावदा साठिया	03	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
9	मंदसौर	शामगढ	मूल ग्राम- सेमली शंकर मजरा- कालबेलिया का डेरा	43	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
10	मंदसौर	शामगढ	मूल ग्राम- असावती मजरा- ओडवा	16	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
11	मंदसौर	शामगढ	मूल ग्राम- चंदवासा मजरा- चंदवासा का खेडा	09	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
12	मंदसौर	शामगढ	मूल ग्राम- कुरावन मजरा- हरिपुरा	21	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
13	मंदसौर	शामगढ	मूल ग्राम- रणायरा मजरा- रणायरा का खेडा	18	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक-1117-भू-सर्वेक्षण-2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	देवास	देवास	मूल ग्राम- भैंसुनी मजरा- विजयगंज मंडी	10	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	देवास	हाटपिपल्या	मूल ग्राम- महुखेडा मजरा- लालाखेडी	35	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	देवास	बागली	मूल ग्राम- मुकुन्दगढ मजरा- अम्बाझर	27	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
4	देवास	बागली	मूल ग्राम- धावडिया मजरा- खेडा	29	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
5	देवास	उदयनगर	मूल ग्राम- आगराखुर्द मजरा- झुलादड	53	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
6	देवास	कन्नौद	मूल ग्राम- बावडीखेडा मजरा- सेतीखेडा	06	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
7	देवास	कन्नौद	मूल ग्राम- अम्बाडा मजरा- दावतपुरा	32	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
8	देवास	सतवास	मूल ग्राम- निमासा मजरा- इन्द्रापुरी	38	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

^

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 9 अगस्त 2023

प्ररूप "च"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3061-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 19-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4265-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 में जल परिवहन हेतु ग्राम-देवझिरी रणवास, प.ह.नं.-46, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	देवझिरी रणवास, प.ह.नं. 46	130	0.028
			129	0.072
			128	0.026
			132/2	0.007
			132/1	0.010
			133	0.015
			134/3	0.010
			139	0.018
			140	0.010
			योग . .	0.196

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3064-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 30-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4294-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-माकनकुई, प.ह.नं.-56, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	माकनकुई,	359	0.034
		प.ह.न. 56	358/2	0.005
			348	0.025
			370	0.023
			योग . .	<u>0.087</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3067-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 17-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4279-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दाँयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक 11 तथा बाँयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक 18 में जल परिवहन हेतु ग्राम-परवट, प.ह.नं.-45, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	परवट प.ह.न. 45	99/4	0.020
			95/2	0.005
			97/1	0.010
			96/1	0.008
			94	0.020
			95/1	0.025
			96/2	0.040
			84/1	0.035
			86	0.045
			63/1	0.020
			85	0.030
			77	0.028
			62	0.025
			80/1	0.005
			79	0.046
			72/3	0.010
			58/2	0.020
			58/4	0.015
			58/3	0.005
			74/1	0.043
			74/2	0.038
			49/1	0.010
			55/2	0.010
			51/1	0.008
			51/2	0.008
			53	0.020
			57	0.005
			54	0.015
			16	0.015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	परवट	20/2	0.010
		प.ह.न. 45	4/1	0.035
			55/4	0.010
			20/1	0.010
			55/1/1	0.030
			20/1/1	0.035
			5	0.035
			519	0.006
			512	0.020
			521	0.009
			518	0.010
			517	0.007
			515	0.010
			516/1	0.008
			516/2	0.008
			514	0.010
			योग . . .	<u>0.837</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3070-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 25-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4319-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-सेमलियाबड़ा, प.ह.नं.-58, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	सेमलियाबड़ा, प.ह.न. 58	240	0.016
			241	0.030
			245	0.012
			242	0.018
			243	0.022
			246	0.003
			251	0.041
			249	0.040
			265	0.016
			266	0.032
			277	0.016
			275	0.014
			276	0.036
			99	0.018
			98	0.091
			97	0.020
			96	0.30
			योग . .	<u>0.455</u>

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3073-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 27-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4309-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-माकनकुई, प.ह.नं.-56, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	माकनकुई, प.ह.न. 56	304/1	0.042
			273	0.006
			271	0.006
			272/2	0.032
			267/1	0.004
			266/2	0.032
			264/1	0.036
			265/1	0.006
			238/4	0.010
			238/3	0.014
			238/1	0.016
			238/2	0.016
			239/4	0.027
			239/6	0.004
			232/4	0.006
			232/1	0.010
			232/3	0.020
			232/2	0.014
			227	0.041
			219/2	0.052
			217/1	0.004
			217/3	0.006
			217/2	0.008
			148/3	0.016
			80	0.063
			79/1	0.006
			योग ...	<u>0.497</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3076-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 08-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4200-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-पानकी, प.ह.नं.-55, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	पानकी, प.ह.न. 55	115 111 95 90/2 90/3 90/1 247/1 248/2 248/3 250/3 249 251 252 118	0.059 0.025 0.014 0.007 0.008 0.007 0.031 0.007 0.020 0.003 0.003 0.044 0.048 0.077
			योग	0.353

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3079-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 18-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4270-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दायीं ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-04 में जल परिवहन हेतु ग्राम-पिपलदेहला, प.ह.नं.-46, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	पिपलदेहला, प.ह.नं. 46	874/1	0.037
			874/2	0.006
			875	0.027
			876/3	0.019
			876/2	0.031
			878/2	0.012
			877	0.003
			878/1	0.012
			856/1	0.023
			856/2	0.030
			850/1	0.030
			852	0.005
			850/2	0.042
			828	0.031
			825	0.030
824	0.003			
822	0.008			
821	0.025			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	पिपलदेहला, प.ह.न. 46	823	0.020
			780/3	0.010
			780/2	0.010
			781/2	0.010
			781/1	0.010
			779	0.020
			386/3	0.030
			386/2	0.020
			383	0.010
			350	0.060
			346	0.035
			354	0.010
			345	0.030
			344	0.015
			276	0.020
			280	0.013
			281	0.008
			287	0.025
			331/1/2	0.015
			331/2	0.015
			330	0.030
			329/1	0.035
			320	0.025
			318	0.010
			321/3	0.040
			310/2	0.020
			321/2	0.025
			योग	0.945

प्ररूप "च"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3182-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. -अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4255-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दायी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-04 में जल परिवहन हेतु ग्राम-पानकी, प.ह.नं.-55, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	पानकी, प.ह.न. 55	115	0.014
			111	0.004
			100	0.027
			99	0.017
			96	0.017
			353	0.004
			354	0.011
			95	0.013
			358	0.013
			योग	0.120

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3085-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 28-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4304-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-धरमपुरी, प.ह.नं.-59, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	धरमपुरी, प.ह.न. 59	288	0.091
			141/1	0.074

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	धरमपुरी,	135	0.026
		प.ह.न. 59	136	0.064
			131	0.034
			127	0.070
			113	0.018
			112/1	0.070
			108	0.010
			योग	<u>0.457</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3091-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 22-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4250-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम-बाठीयाबर्ड, प.ह.नं.-51, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	बाठीयाबर्ड	511/1	0.025
		प.ह.न. 51	513	0.010
			512	0.015
			514	0.010
			504	0.020
			496	0.015
			495	0.013
			481	0.008
			482	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	बाठीयाखुर्द	449	0.015
		प.ह.न. 51	450	0.008
			447	0.020
			451	0.014
			442	0.025
			439	0.036
			438/2	0.020
			414/2	0.032
			414/1	0.025
			413	0.013
			411	0.065
			406	0.023
			405	0.018
			403/1	0.025
			403/2	0.023
			401	0.010
			402/1	0.018
			402/2	0.018
			291	0.030
			293	0.030
			304	0.060
			303	0.030
			301	0.012
			300	0.005
			298	0.053
			योग . . .	<u>0.748</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3094-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 29-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4299-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-सेमलिया बड़ा, प.ह.नं.-58, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	सेमलिया बड़ा प.ह.न. 58	830 812/1 812/5 812/8 812/9 812/10 812/12 807 668 670 667/4 667/3 667/2 673/1 686 687 689 688 841	0.040 0.017 0.008 0.008 0.009 0.008 0.008 0.015 0.034 0.006 0.007 0.011 0.013 0.006 0.033 0.040 0.004 0.006 0.054
			योग	<u>0.327</u>

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3097-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 07-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4205-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 (ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-50, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम-छोटीखरडू, प.ह.नं.-35, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन ग्राम-उमरियासलाम, प.ह.नं.-67, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	उमरियासलाम	147	0.066
		प.ह.न. 67	154	0.005
			252/2	0.026
			153	0.019
			240	0.020
			239	0.035
			255	0.044
			233/3	0.050
			230	0.025
			योग	

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3100-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 46-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4403-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्दवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम-डुंगराधन्ना, प.ह.नं.-42, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	डुंगराधन्ना	305/3	0.030
		प.ह.न. 42	136/3	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	डुंगराधन्ना	299/1	0.018
		प.ह.न. 42	133/1	0.035
			133/2	0.010
			134/1	0.015
			140	0.009
			139	0.010
			118	0.014
			120	0.029
			113	0.040
			143/3	0.036
			143/1	0.008
			144/1	0.010
			144/2	0.008
			144/4	0.005
			144/5	0.008
			145/1	0.025
			145/2	0.005
			145/3	0.005
			145/4	0.005
			80	0.083
			77/1	0.018
			70/3	0.063
			71/3	0.007
			71/2	0.019
			39/2	0.005
			40/2	0.006
			योग . .	<u>0.566</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3103-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 26-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4314-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-05 में जल परिवहन हेतु ग्राम-उमरियासलाम, प.ह.नं.-67, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	उमरियासलाम, प.ह.न. 67	217/1	0.008
			215/1	0.008
			194/8	0.027
			217/2	0.008
			217/3	0.008
			215/3	0.009
			218	0.008
			215/4	0.008
			206	0.014
			204	0.038
			171	0.013
			199	0.023
			202	0.035
			174	0.030
			59	0.008
			76	0.024
			97	0.015
			61	0.024
			71	0.010
			60/3	0.013
60/2	0.005			
85/2	0.018			
74/2	0.038			
77	0.035			
86/2	0.005			
82	0.036			
96	0.020			
83/7	0.014			
83/2	0.005			
85/1	0.011			
83/6	0.028			
	योग			<u>0.546</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3106-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-23-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4329-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 में जल परिवहन हेतु ग्राम-हडमंतिया, प.ह.नं.-44, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	हडमंतिया	103/1	0.042
		प.ह.नं.-44	105/1	0.050
			187	0.050
			189	0.003
			178/3	0.015
			177	0.060
			164	0.007
			163	0.018
			43	0.035
			42/3	0.041
			42/2	0.010
			42/1	0.040
			28	0.040
			31	0.008
			462	0.015
			463	0.046
	492	0.009		
	488	0.034		
	487	0.032		
	योग		<u>0.555</u>	

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3109-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-06-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012. (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4210-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-उमरी, प.ह.नं.-54, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	उमरी, प.ह.नं.- 54	792	0.048
			727/2	0.059
			727/1	0.034
			728	0.014
			729	0.019
			724/2	0.010
			724/1	0.017
			724/3	0.013
			723	0.022
			722	0.005
			707	0.023
			706	0.011
			415	0.038
			414/2	0.019
			414/1	0.009
			378	0.029
			35/2	0.030
			36/1	0.008
			36/2	0.007
			43/1	0.029
			योग	<u>0.444</u>

प्ररूप “घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3112-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-24-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4324-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-5 में जल परिवहन हेतु ग्राम-उमरिया बैजन, प.ह.नं.-67, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	उमरिया बैजन प.ह.नं.- 67	382/5	0.007
			329	0.033
			328	0.010
			331	0.069
			333	0.003
			332/1	0.015
			332/2	0.010
			277/1	0.040
			227	0.024
			226	0.011
			210/1	0.054
			219/1	0.015

प्ररूप “घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3115-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-31-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4289-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं डी. एम.-3 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-कुशलपुरा, प.ह.नं.-55, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	कुशलपुरा, प.ह.नं.-55	457	0.004
			464	0.035
			461/1	0.012
			461/2	0.011
			430/1	0.010
			430/2	0.020
			430/3	0.004
			432	0.010
			425	0.053
			422	0.009
			421/2	0.009
			420/7	0.023
			420/8	0.025
			501	0.037
			356	0.020
			355	0.026
			517/1	0.008
			358/3	0.015
			350	0.020
			348	0.006
			332	0.003
			331/3	0.010
			331/2	0.008
			31/1	0.020
			7	0.053
			10/1	0.025
			9/1	0.006
			9/2	0.006
			9/3	0.007
			योग	0.495

एच. एस. विश्वकर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
	197	0.070
	200/1	0.144
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना]	200/2/1/2	0.020
	204/2	0.012
	209/2/2	0.030
	218/2	0.004
रीवा, दिनांक 4 अक्टूबर 2023		
	योग . .	2.117

क्र. 899-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम चोरहटी पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

द्वितीय पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम—चोरहटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.117 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
153/3	0.390
153/4	0.141
160/1/2	0.202
160/2/2	0.030
163/1/2	0.040
163/1/3	0.576
170	0.162
173/4/1	0.080
173/6	0.036
173/7	0.132
174	0.018
175/1	0.030

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—
ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर, कार्यालय, जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना]

क्र. 901-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम चोरहटा पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

द्वितीय पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम—चोरहटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.373 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)	(1)	(2)
		654/4/1	0.044
(1)	(2)	669/1/1	
535/1/1		669/1/2	0.325
535/1/2		669/1/3	
535/1/3	0.040	1206/668	0.030
535/2		योग . . .	2.373
536/1/1			
536/1/2	0.036	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को, हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.
536/1/2			
536/2			
538/1		(3)	भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर, कार्यालय, जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
538/2	0.008		
538/3			
540/1/1			
540/1/2	0.036		
540/1/3			
541	0.096		
542/1	0.020		
545/1	0.064		
548	0.248		
549	0.024		
562/1	0.012		
563/2/1	0.038		
563/2/2	0.020		
563/2/3	0.020		
627/1	0.050		
635/2	0.100		
632/1/1	0.134		
632/1/2	0.133		
632/2	0.229		
632/3	0.273		
643/1			
643/2			
643/3			
643/4	0.012		
643/5			
643/6			
643/7			
643/8			
652/1	0.014		
653/1	0.036		
653/2	0.020		
654/3	0.052		
654/3/1	0.055		
654/3/1/1	0.050	(1)	(2)
654/3/1/2	0.050	27	0.016
654/3/2	0.052	29	0.020
654/3/3	0.052	योग . . .	0.036

[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना]

क्र. 903-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम पतेरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

द्वितीय पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम—पतेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.036 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
27	0.016
29	0.020
योग . . .	0.036

(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है— ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.	(1) 309/7/1/1/1/1/3	(2) 0.018
		385/3	0.092
(3)	भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	386/3	0.029
		325/1	0.042
		325/2	0.042
	[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना]	363/2	0.060
		312/11	0.063
		361/1/3	0.070
	क्र. 905-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम उमरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.	312/1	0.012
		312/9	0.017
		361/2	0.203
		362/2	0.024
		359/2	0.202
		385/1	0.092
		312/4	0.012
		312/7	0.015
		361/1/1	0.070
	द्वितीय पूरक अनुसूची	312/5	0.072
(1)	भूमि का वर्णन—	309/7/1/1/1/2	0.033
(क)	जिला—रीवा (म. प्र.)	302/2/1	0.020
(ख)	तहसील—हुजूर नगर	309/7/1/1/1/1/1/1/1/2	0.101
(ग)	नगर/ग्राम—उमरी		
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—3.664 हेक्टेयर.	309/7/1/1/1/1/1/2	0.018
	खसरा क्रमांक	309/7/1/1/1/1/1/1/2	0.018
	अर्जित रकबा (हे. में)		
	(1)	309/7/1/1/1/1/1/1/1/1	0.1155
	(2)		
	312/6	309/7/1/1/1/1/1/1/1/2	0.018
	305/1/2	312/2	0.001
	312/10	359/1	0.051
	154/1/1/1	319/1	0.051
	154/1/6	312/3	0.012
	316	312/8	0.016
	309/1	357/2	0.014
	309/7/1/1/1/1/2		
	0.018		

(1)	(2)	द्वितीय पूरक अनुसूची	
302/1	0.020	(1) भूमि का वर्णन—	
385/2	0.092	(क) जिला—रीवा (म. प्र.)	
159/1/2/2	0.018	(ख) तहसील—हुजूर नगर	
309/7/1/1/1/1/4	0.018	(ग) नगर/ग्राम—अगडाल	
342	0.514	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.789 हेक्टेयर.	
304/1/1	0.013	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा
361/1/4	0.070	(1)	(हे. में)
336/1	0.004		
361/1/2	0.070	748/2/1	0.275
363/1	0.089	748/2/2	0.053
384	0.016	720/1	0.002
योग . .	<u>3.664</u>	768/1	0.081
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—		768/2	0.165
ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के		768/3	0.065
रूप में विकसित हेतु अर्जन.		768/4	0.275
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर, कार्यालय,		768/5	0.417
जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण		786/6	0.280
विभाग (भ/स) संभाग, रीवा के कार्यालय में देखा		710	0.012
जा सकता है.		715/1	0.023
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित		715/2	0.023
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013		715/3	0.023
की धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना]		727/1/1	0.002
क्र. 907-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का		731	0.093
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम (1)		योग . .	<u>1.789</u>
में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित		(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—	
भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः		ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के	
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और		रूप में विकसित हेतु अर्जन.	
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4)		(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला	
के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि		रीवा कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग	
की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम अगडाल		रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु		प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम			
की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का			
सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.			

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक:F.Rev/6/0003/2023/Sec-7-7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला जबलपुर में नवीन तहसील पोंडा का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मण्डल पोंडा के पटवारी हल्का नम्बर 43 से 85 तक कुल 43 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। तदुपरांत तहसील मझौली में राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली के हल्का नम्बर 01 से 24 एवं 26 से 42 तक कुल 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev/6/0003/2023/Sec-7-7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.Rev/6/0003/2023/Sec-7-7, दिनांक 04/10/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2023

No. F.Rev./6/0003/2023/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new tehsil Ponda in district Jabalpur which would comprise of 43 patwari halkas, i.e., patwari halka number 43 to 85 of R.I. circle Ponda of tehsil Majhouli. After its formation, teshil Majhouli would comprise of 41 patwari halkas, i.e., patwari halka number 01 to 24 and patwari halka number 26 to 42 of R.I. circle Majhouli of tehsil Majhouli.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CALISTA KUJUR, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक: एफ.01-10/2020/सात/शा.7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला ग्वालियर में नवीन तहसील पिछोर का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान डबरा के वीरमढाना, धई, अरूसी, बडेराबुजुर्ग, सरनागत, भगेह, जंगीपुर, जरगांव, लखनोती, सकतपुरा, जनकपुर, पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा, कैठोदा, सहोना, पुट्टी, गिजौरा, मेहगांव, किरोल, किटोरा, देवगढ़, कुम्हरा, शुक्लहारी, सिसगांव, हथनौरा, धमनिका, गढ़ी इस प्रकार कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला ग्वालियर में प्रस्तावित नवीन तहसील पिछोर के गठन उपरांत डबरा तहसील में शेष 54 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक: एफ.01-10/2020/सात/शा.7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ.01-10/2020/सात/शा.7, दिनांक 04/10/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2023

No. F-01-10/2020/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new tehsil Pichhor in district Gwalior which would comprise of 29 patwari halkas of tehsil Dabra, i.e., Veeramdhana, Dhai, Arrusi, Badera-bujurg, Sarnagat, Bhageh, Jangipur, Jargaon, Lakhnoti, Sakatpura, Janakpur, Pichhor, Chhapra, Ajaygarh, Lidhora, Kaithoda, Sahona, Putti, Gijora, Mehgaon, Kirol, Kitora, Devgarh, Kumhrarra, Shuklhari, Sisgaon, Hathnora, Dhamnika, Gadi. After the formation of tehsil Pichhor in district Gwalior, Tehsil Dabra would comprise of remaining 54 patwari halkas of tehsil Dabra.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CALISTA KUJUR, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक:एफ.01-01/2022/सात/शा.7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला मऊगंज में नवीन तहसील देवतालाब का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 15 एवं 47 से 49, राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नम्बर 16 से 27, 29 एवं 56, 57 राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नम्बर 40, 42, 43, तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्वा के पटवारी हल्का नम्बर 21 से 28 व 54 से 58 समाविष्ट होंगे। तत्पश्चात् शेष तहसील नईगढ़ी में तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 14 एवं 43 से 53, राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्वा के पटवारी हल्का नम्बर 15 से 20 एवं 59 से 67, राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नम्बर 29 से 42 व 68 से 79 समाविष्ट होंगे तथा शेष तहसील मऊगंज में तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नम्बर 50, 51 राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नम्बर 28, 30 एवं 52 से 55, 58, 59 राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नम्बर 31 से 39 एवं 41, 44 से 46 एवं 60 से 62 राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नम्बर 63 से 85 समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक: एफ.01-01/2022/सात/शा.7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ.01-01/2022/सात/शा.7, दिनांक 04/10/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2023

No. F-01-01/2022/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new tehsil Devtalab in district Mauganj which would comprise patwari halka number 1 to 15 and 47 to 49 of R.I. circle Devtalab of tehsil Mauganj, patwari halka number 16 to 27, 29 and 56, 57 of R.I. circle Ratanganva, patwari halka number 40, 42, 43 of R.I. circle Sitapur, patwari halka number 21 to 28 and 54 to 58 of R.I. circle Kharra of Tehsil Naigarhi.

After the formation of new tehsil Devtalab, remaining tehsil Naigarhi would comprise patwari halka number 1 to 14 and 43 to 53 R.I. circle Rampur of of tehsil Naigarhi, patwari halka number 15 to 20 and 59 to 67 of R.I. circle Kharra, patwari halka number 29 to 42 and 68 to 79 of R.I. circle Mauganj while remaining tehsil Mauganj would comprise of patwari halka number 50, 51 of R.I. circle Devtalab of tehsil Mauganj, patwari halka number 28, 30 and 52 to 55, 58, 59 of R.I. circle Ratanganva, patwari halka number 31 to 39 and 41, 44 to 46 and 60 to 62 R.I. circle Sitapur and patwari halka number 63 to 85 of R.I. circle Mauganj.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CALISTA KUJUR, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक:F.Rev/6/0008/2023/Sec-7-7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला बालाघाट में नवीन तहसील लामता का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील बालाघाट के प.ह.न. 01 से 16 तक इस प्रकार कुल 16 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित लामता के गठन के पश्चात शेष बालाघाट तहसील में तहसील बालाघाट के प. ह. न. 17 से 56 तक कुल 40 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. F.Rev-6-0008-2023-Sec-7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.Rev-6-0008-2023-Sec-7-7, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Bhopal, the 6th October, 2023

No. F.Rev/6/0008/2023/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new tehsil Lamta in district Balaghat from the date of publication of this order in the gazette, comprising of 16 patwari halkas, i.e., patwari halka number 1 to 16 of tehsil Balaghat.. After its formation, remaining tehsil Balaghat would comprise of 40 patwari halkas, i.e., patwari halka number 17 to 56 of tehsil Balaghat.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक:F.Rev/6/0011/2023/Sec-7-7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला रायसेन में नवीन तहसील सुल्तानगंज का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील बेगमगंज के प.ह.न. 34 से 61 तक कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज के गठन के पश्चात तहसील बेगमगंज में तहसील बेगमगंज के प.ह.न. 01 से 33 तक इस प्रकार कुल 33 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. F.Rev-6-0011-2023-Sec-7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.Rev-6-0011-2023-Sec-7-7, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Bhopal, the 6th October, 2023

No. F.Rev/6/0011/2023/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new tehsil Sultanganj in district Raisen from the date of publication of this order in the gazette, comprising of 28 patwari halkas, i.e., patwari halka number 34 to 61 of tehsil Begamganj of district Raisen. After its formation, remaining tehsil Begamganj would comprise of 33 patwari halkas, i.e., patwari halka number 1 to 33 of tehsil Begamganj.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev/6/0012/2023/Sec-7-7:: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला रायसेन में नवीन तहसील बम्होरी का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील सिलवानी के प.ह.न. 01 से 20 तक इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित तहसील बम्होरी के गठन के पश्चात शेष तहसील सिलवानी में तहसील सिलवानी के प.ह.न. 21 से 68 तक कुल 48 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. F.Rev-6-0012-2023-Sec-7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.Rev-6-0012-2023-Sec-7-7, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Bhopal, the 6th October, 2023

No. F.Rev/6/0012/2023/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new tehsil Bamori in district Raisen from the date of publication of this order in the gazette, comprising of 20 patwari halkas, i.e. patwari halka number 1 to 20 of tehsil Silvani. After its formation, remaining tehsil Silvani would comprise of 48 patwari halkas, i.e., patwari halka number 21 to 68 of tehsil Silvani.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev/6/0018/2023/Sec-7-7:: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला मन्दसौर में नवीन तहसील कयामपुर का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील सीतामऊ के प.ह.न. 31 से 31 तक कुल 31 हल्के, इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित तहसील कयामपुर के गठन के पश्चात शेष तहसील सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के प.ह.न. 32 से 74 तक कुल 43 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. F.Rev-6-0018-2023-Sec-7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.Rev-6-0018-2023-Sec-7-7, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Bhopal, the 6th October, 2023

No. F.Rev/6/0018/2023/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new tehsil Kayampur in district Mandsaur from the date of publication of this order in the gazette, comprising of 31 patwari halkas, i.e., patwari halka number 01 to 31 of tehsil Sitamau. After its formation, remaining tehsil Sitamau would comprise of 43 patwari halkas, i.e., patwari halka number 32 to 74 of tehsil Sitamau.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev/6/0022/2023/Sec-7-7:: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील नागदा के प.ह.न. 33 से 41, 47, 48, 50 से 66 तक इस प्रकार कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित तहसील उन्हेल के गठन के पश्चात शेष तहसील नागदा में तहसील नागदा के प. ह. न. 01 से 32, 42 से 46 एवं 49 तक कुल 38 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. F.Rev-6-0022-2023-Sec-7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.Rev-6-0022-2023-Sec-7-7, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th October, 2023

No. F.Rev/6/0022/2023/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new tehsil Unhel in district Ujjain from the date of publication of this order in the gazette, comprising of 28 patwari halkas, i.e. patwari halka number 33 to 41, 47, 48, 50 to 66 of tehsil Nagda. After its formation, remaining tehsil Nagda would comprise of 38 patwari halkas, i.e., patwari halka number 1 to 32, 42 to 46 and 49 of tehsil Nagda.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक एफ-3-80/21/18-5 :: म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपठित धारा 23 (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित मंदसौर विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है, तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227, वी. बी. 2 द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला मंदसौर म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक परिषद मंदसौर म.प्र.।
5. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच म.प्र.।

अनुसूची

मंदसौर विकास योजना (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.3 एवं प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा के मानचित्र क्रमांक 5.2 तथा पुस्तक के प्रस्तावित उपांतरण।

क्र.	मंदसौर विकास योजना प्रारूप 2035 में निर्दिष्ट प्रावधान	प्रस्तावित उपांतरण	मानचित्र क्रमांक
1	2	3	4
मार्ग रेखांकन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव।			
1	मंदसौर विकास योजना प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर.-5 का एलाईनमेंट।	प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर.-5 के रेखांकन में परिवर्तन कर एम.आर.-5 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित।	03
2	मंदसौर विकास योजना प्रारूप अनुसार ग्राम नालछा में प्रस्तावित एस.आर. 18.00 मीटर मार्ग।	ग्राम नालछा में प्रस्तावित 18.00 मीटर चौड़े एस.आर. मार्ग को विलोपित किया जाना प्रस्तावित।	02
3	मंदसौर विकास योजना प्रारूप में ग्राम भुनियाखेडी में एस.आर.-24 मीटर मार्ग एवं प्रस्तावित आवासीय भू उपयोग में वर्तमान मार्ग दर्शित नहीं है।	बायपास मार्ग एवं पुराना महू -नसीराबाद मार्ग के मध्य ग्राम भुनियाखेडी एवं ग्राम गुराडिया देदा की काकड़ को 24 मीटर चौड़ा सेक्टर मार्ग प्रस्तावित किया है।	07

4	ग्राम भुनियाखेड़ी में प्रस्तावित एस.आर.-24 मीटर चौड़ा मार्ग।	ग्राम भुनियाखेड़ी में प्रस्तावित एस.आर.-24 मीटर चौड़े मार्ग को वर्तमान मार्ग से समन्वित कर दर्शाया गया है।	08
5	कलेक्ट्रेट मार्ग	कलेक्ट्रेट मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर प्रस्तावित की गई।	04
6	एम आर-3 के दक्षिण में ग्राम मुलतानपुरा में प्रस्तावित 18.00 मीटर चौड़ी एस.आर.	प्रस्तावित 18.00 मीटर चौड़ी एस आर के आंशिक भाग को विलोपित किया जाता है।	05
7	विकास योजना प्रारूप के अनुसार मंदसौर रेलवे स्टेशन से लगकर एस.आर. 18.00 मीटर मार्ग एवं एम.आर.-20 मार्ग के मध्य में शिवना नदी को पार करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।	मानचित्र में दर्शाये अनुसार एस.आर.18.00 मीटर मार्ग से होते हुये एम.आर. 20 मार्ग को नवीन प्रस्तावित मार्ग एवं पुल द्वारा जोड़ा जाना प्रस्तावित है।	12
8	विकास योजना प्रारूप अनुसार एम.आर.20 जो कि 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग है, ग्राम तोडी में एस.आर. 18.00 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित नहीं है।	मानचित्र अनुसार ग्राम तोडी का एम.आर. 24.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है, एवं रेलवे ब्रिज से होते हुये नवीन एस.आर. 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित है।	13
भूमि उपयोग संबंधी प्रस्ताव।			
9	ग्राम कस्बा मंदसौर के मार्ग रेबस देबस से मंदसौर सिटी को जाने वाली मार्ग एवं एम.आर.-7 एवं एम.आर.-10 के मध्य में भू उपयोग वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, प्रस्तावित आवासीय एवं मिश्रित उपयोग प्रस्तावित है।	तैलिया तालाब के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित आवासीय को विलोपित कर कृषि भू उपयोग प्रस्तावित।	01
10	ग्राम अरन्या भट्टी में महू-नसीराबाद मार्ग पर प्रस्तावित मिश्रित एवं कृषि भू उपयोग प्रस्तावित है।	मानचित्र अनुसार ग्राम अरन्या भट्टी में महू-नसीराबाद मार्ग पर कृषि से मिश्रित भू उपयोग प्रस्तावित किया गया है।	11
11	विकास योजना प्रारूप अनुसार ग्राम नालछा में मिश्रित उपयोग प्रस्तावित है।	ग्राम नालछा में ग्राम सीमा से लगकर प्रस्तावित मिश्रित भू-उपयोग को विलोपित कर कृषि भू-उपयोग प्रस्तावित है।	02
12	ग्राम भुनियाखेड़ी में महू-नसीराबाद बायपास मार्ग पर भूमि कृषि भू उपयोग प्रस्तावित है।	ग्राम भुनियाखेड़ी में महू-नसीराबाद बायपास मार्ग पर खसरा क्र. 183/1 रकबा 3.00 हेक्टे. एवं खसरा क्र. 110 रकबा 1.48 हेक्टे. कुल रकबा 4.48 हेक्टे. भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवासीय प्रस्तावित होने से उक्त भूमि को कृषि से आवासीय प्रस्तावित है।	06

13	मंदसौर विकास योजना प्रारूप में दर्शित एस.एच. 60.00 मीटर चौड़े मार्ग से लगकर उत्तर दिशा की ओर मिश्रित एवं कृषि उपयोग प्रस्तावित है।	मानचित्र में दर्शाये अनुसार अतिरिक्त मिश्रित भू उपयोग प्रस्तावित है।	09
14	ग्राम भुनियाखेडी एवं बोलखेडा से लगकर एम.आर.-15 मार्ग से लगकर विकास योजना प्रारूप में भू उपयोग कृषि प्रस्तावित है।	मानचित्र में दर्शाये अनुसार एम.आर.-15 मार्ग उत्तर दिशा की ओर भू उपयोग कृषि से प्रस्तावित आवासीय किया गया है।	10
15	प्रारूप में प्रस्तावित ग्राम तोडी में प्रस्तावित मार्ग एस.आर. 18.00 मीटर चाड़े मार्ग एवं दक्षिणी ग्राम सीमा के मध्य में कृषि भू उपयोग प्रस्तावित है।	प्रारूप में प्रस्तावित ग्राम तोडी के प्रस्तावित मार्ग एस.आर. 18.00 मीटर चौड़ा मार्ग एवं दक्षिणी ग्राम सीमा के मध्य में कृषि भू-उपयोग से प्रस्तावित आवासीय किया गया है।	16
16	ग्राम बहादरी के पूर्वी दिशा की ओर कृषि उपयोग प्रस्तावित हैं।	मानचित्र में दर्शित अनुसार मिश्रित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है।	14
17	मंदसौर विकास योजना प्रारूप में ग्राम चांगली एवं बाजखेडी का मार्ग एस.एच. 31 के दोनों ओर मिश्रित एवं कृषि भू-उपयोग प्रस्तावित हैं।	मानचित्र अनुसार ग्राम चांगली एवं बाजखेडी के दोनों ओर आंशिक मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किया गया है।	15

मंदसौर विकास योजना (प्रारूप) 2035 पुस्तिका में प्रस्तावित उपांतरण।

18	1. अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव-2035 की कण्डिका क्रमांक 4.5.9 मिश्रित उपयोग में वर्णित पैरा की अंतिम लाईन को विलोपित कर निम्नानुसार नवीन लाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है— मिश्रित उपयोग मुख्य मार्गों यथा 12.00 मीटर व इससे अधिक चौड़े मार्गों पर प्रस्तावित किया गया है।
19	अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका की सारणी क्रमांक 6-सा-3 के नीचे अंकित टीप-1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:— 1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा। <ul style="list-style-type: none"> • मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक— 1.75 • मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक— 2.0 4. 12.00 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी। मार्ग चौड़ाई भवन रेखा (मार्ग मध्य से) 12.0 मीटर 10.5 मीटर 18.0 मीटर 13.5 मीटर 24.0 मीटर 16.5 मीटर
20	अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.11 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं/हेतु नियमन की सारणी क्रमांक 6-सा-5 को निम्न सारणी से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

क्र	श्रेणी	जनसंख्या	प्रति सुविधा के लिए अनुशंसित क्षेत्र (हेक्टेयर)	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)
1	2	3	4	5
1	शैक्षणिक भवन नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला प्राथमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय	2500-3000 3000-4000 7500-10000 10000-50000	0.08-0.1 0.40-0.60 1.60-2.0 2.0-4.0	12.0 12.0 12.0 18.0
2	स्वास्थ्य सामान्य चिकित्सालय हेल्थ सेंटर नर्सिंग होम पालीक्लीनिक पेट क्लीनिक	80000 15000 45000 1.5 लाख 1.5 लाख	4.0 0.08 से 2.0 0.2 से 0.5 0.2 से 0.5 0.2 से 0.5	18.0 12.0 12.0 12.0 12.0
3	वाणिज्यिक सुविधायें जिनमें दुकानों की सुविधा सम्मिलित है।	प्रत्येक 100 की जनसंख्या के लिए 1	0.05 से 0.1	12.0
4	संचार सुविधायें तथा अत्यावश्यक सेवायें			
	उप डाकघर	प्रत्येक 10000 जनसंख्या पर 1	100 वर्गमीटर	12.0
	डाक और तार कार्यालय	प्रत्येक 10000 जनसंख्या पर 1	1.0 हेक्टेयर	12.0
	विद्युत उप केन्द्र	प्रत्येक 10000 जनसंख्या पर 1	12X12 मीटर	12.0
	पुलिस चौकी	प्रत्येक 20000 जनसंख्या पर 1	0.4	12.0
	पुलिस थाना	प्रत्येक 50000 जनसंख्या पर 1	0.8	12.0
	अग्निशमन केन्द्र	-	0.8	12.0
	सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधायें			
	कला विधिका एवं संग्रहालय	नगर स्तरीय	0.5 से 1.0	12.0
	ऑडीटोरियम	2 से 3 लाख	0.5 से 1.0	12.0
	केन्द्रीय पुस्तकालय	नगर स्तरीय	0.5 से 1.0	12.0
	क्लब	1 से 3 लाख	0.5 से 1.0	12.0
	सामुदायिक कक्ष एवं पुस्तकालय	15000	0.2 से 0.4	12.0
	धार्मिक भवन/धर्मशाला	5000	0.04	12.0
	धार्मिक/अध्यात्मिक केन्द्र	1 से 3 लाख	0.5	12.0
6	अन्य दुग्ध वितरण केन्द्र तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल कब्रिस्तान/श्मशान घाट	5000 3 से 5 लाख 5 लाख 1.5 से 2.0	0.002 0.5 से 0.6 0.05 2.0	12.0 12.0 12.0 12.0
नोट- उपरोक्त कॉलम 4 में वर्णित विभिन्न सुख सुविधाओं के लिए आपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशात्मक है। भूखण्ड का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा।				

21 उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरण के फलस्वरूप विकास योजना में समुचित कंडिका एवं सारणी में भी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

22 तैलिया तालाब की सीमा/क्षेत्रफल वही मान्य होगा जो कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण में प्रचलित ओ.ए.नं. 17/2018 (CZ) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

उक्त उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो, वह अवर सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्षल पंचोली, उपसचिव.